

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
(निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा)

बिहार सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-5

विषय सूची

अध्याय संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभ्युक्तियाँ
	प्राक्कथन		iii
	विहंगावलोकन		v
I	परिचय		
	इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
	लेखापरीक्षिती रूपरेखा	1.2	1
	सरकार की प्रतिक्रिया	1.3	1
	राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.4	4
II	निष्पादन लेखापरीक्षा		
	कृषि विभाग		
	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	2	5
III	विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा		
	वित्त विभाग		
	वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण	3	39
IV	विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा		
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
	अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति	4	53
V	एकल कंडिकाएं		
	पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग		
	निष्फल व्यय	5.1	65
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग		
	अलाभकारी व्यय	5.2	67
	सामाजिक कल्याण विभाग		
	अस्वीकार्य भुगतान	5.3	68
	निष्क्रिय व्यय	5.4	69

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	कंडिकाएं	पृष्ठ संख्या
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी	1.3.1	73
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार को दर्शाती विवरणी	1.3.1	74
1.3	मार्च 2021 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति	1.3.3	75
1.4	राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति दर्शाती विवरणी	1.4	76
3.1	बचत के अभ्यर्पण में विलंब का विवरण	3.2.2 & 3.2.3	77
3.2	बचत का शीर्ष-वार 100 प्रतिशत अभ्यर्पण की स्थिति	3.2.2	79
3.3	नमूना जाँच किए गए बी.डी.ओ. कार्यालयों में निष्क्रिय बैंक खातों की सूची	3.2.4	83
3.4	बिना किसी औचित्य के भुगतानों के विवरण की स्थिति	3.2.8	84
4.1	प्रति वर्ष आवर्ती व्यय	4.2.3	85
4.2	अवसर बढ़े आगे पढ़े के अंतर्गत स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में मानव संसाधनों की स्थिति	4.4	86
4.3	अन्य संस्थानों के परिसरों में कार्यरत संस्थानों की सूची	4.6	90

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।


इस प्रतिवेदन में कृषि, वित्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और समाज कल्याण के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो 2020–21 की अवधि के लिए नमूना–लेखापरीक्षा के क्रम में ध्यान में आया साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए, परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। 2020–21 के अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामलों को, जहाँ आवश्यक हो, अद्यतन स्थिति देते हुए शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा अवलोकन सीमित नमूना–जाँच पर आधारित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।



विहंगावलोकन



विहंगावलोकन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण और अवसर बढे आगे पढे के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटैक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति पर दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं चार लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

2 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

- ❖ भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) योजना, सभी पात्र किसान परिवारों को उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी घरेलू जरूरतों के लिए उनकी वित्तीय आवश्यकता को संबल प्रदान करने हेतु प्रत्येक चार माह में ₹ 2,000 की तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान करती है।

(कंडिका 2.1)

- ❖ योजना पोर्टल पर शीघ्र ऑनबोर्डिंग योजना के लाभों की समय पर प्राप्ति को सुनिश्चित करती है। तथापि, विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होने से 71,45,065 लाभार्थी ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।

(कंडिका 2.6 एवं 2.6.1)

- ❖ पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या केवल 82.50 लाख (50 प्रतिशत) थी (अगस्त 2021)। अपर्याप्त आच्छादन के लिए विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होना, मौजूदा डाटाबेस तक पहुंच नहीं होना, ऑफलाइन आवेदनों की गैर-स्वीकृति आदि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(कंडिका 2.6.2)

- ❖ ऑफ लाईन आवेदन का विकल्प नहीं देकर, राज्य सरकार ने उन किसानों को योजना के लाभ से रोका जो ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सके थे।

(कंडिका 2.6.3)

- ❖ कृषि विभाग आयकर भुगतान की स्थिति और पात्रता निर्धारित करने वाली अन्य सूचनाओं के विषय में लाभार्थियों द्वारा की गई स्व-घोषणाओं पर निर्भर थी। परिणामस्वरूप, 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 आयकर दाता लाभार्थियों को ₹ 39.05 करोड़ (नवंबर 2021) प्राप्त हुए। औसतन, इन अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में विभाग को 16 से 24 माह लग गए। इसी प्रकार, 19,485 अपात्र लाभार्थियों (लाभार्थी के रोजगार, मृत्यु मामलों आदि के आधार पर) को ₹ 23.62 करोड़ (नवंबर 2021) का भुगतान प्राप्त हुआ जिसका पता लगाने में विभाग को औसतन दो वर्ष लगे।

(कंडिका 2.6.4)

- ❖ 10 नमूना जांचित जिलों में, 22,301 अवयस्क लाभार्थियों (कुल पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों का 91 प्रतिशत) को ₹23.59 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य लाभ

का भुगतान किया गया क्योंकि पी.एम.-किसान के तहत लाभ के लिए आवेदन निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को पकड़ा नहीं था।

(कंडिका 2.6.5)

- ❖ 841 नमूना जाँचित लाभार्थियों में से 610 (73 प्रतिशत) के पास उनके अपने नाम पर भूमि नहीं थी और उन्होंने योजना के दिशा-निर्देशों के विपरीत ₹ 58.46 लाख का योजना लाभ प्राप्त किया। यदि इस तरह के मामलों की जाँच पूरे राज्य में कराये जाते हैं तो यह एक संभावना है कि लाभों की एक बड़ी राशि अपात्र लाभार्थियों को गया होगा। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। राज्य में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया दुष्कर है और राज्य में भूमि अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन अभी भी जारी है। बिहार सरकार ने इस समस्या का समाधान नहीं किया जिसकी परिणति अनियमित भुगतान में हुई।

(कंडिका 2.6.6)

- ❖ विफल एवं लंबित भुगतानों के कारण राज्य के लाभार्थियों को ₹50.48 करोड़ का हस्तांतरण नहीं किया जा सका जो दर्शाता है कि विभाग द्वारा आवश्यक सत्यापन और विवरण को अद्यतन करना शेष था। लेखापरीक्षा ने देखा कि विफल और लंबित भुगतानों के दृष्टांतों के साथ-साथ आवश्यक सत्यापनों के तरफ राज्य सरकार की ओर से निष्क्रियता एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना सकता है जिसमें राशि अभीष्ट प्राप्तकर्ताओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सके।

(कंडिका 2.7.1)

- ❖ बैंक खाते से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा 67,535 लाभार्थियों के आवेदन अस्वीकृत किये गये। इस प्रकार की अस्वीकृतियाँ इस तथ्य के कारण थीं कि राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल के पास बैंक खाता विवरणों की जाँच की सुविधा नहीं थी और राज्य नोडल अधिकारी ने इस तथ्य को केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं लाया था।

(कंडिका 2.7.2)

- ❖ 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹ 22.62 लाख के योजना लाभ अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए, जो लाभार्थियों के बैंक खाते के विवरण की शुद्धता सुनिश्चित करने के मौजूदा तंत्र में कमजोरी की पुष्टि करते हैं। राशि की वसूली अभी तक बाकी है (नवंबर 2021)।

(कंडिका 2.7.3.1)

- ❖ 10 नमूना-जाँचित जिलों में से छः में, डी.ए.ओ. द्वारा राज्य नोडल कार्यालय को भुगतान रोकने के आग्रह के बावजूद, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख का भुगतान किया गया।

(कंडिका 2.7.3.2)

- ❖ डी.ए.ओ. सिवान की लापरवाही के कारण 98 में से 70 व्यक्तियों को ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान प्राप्त हुआ और राशि की वसूली अभी तक बाकी थी (सितंबर 2021)।

(कंडिका 2.7.3.3)

- ❖ 67,851 अपात्र लाभार्थियों से वसूली योग्य ₹62.67 करोड़ के विरुद्ध, लगभग ₹5.00 करोड़ (आठ प्रतिशत) वसूल किया गया (फरवरी 2022 तक) जिसे अभी तक भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाना शेष था क्योंकि समाशोधन प्रक्रिया पूरी नहीं थी।

(कंडिका 2.7.6)

- ❖ बिहार सरकार समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना न करने के कारण 2018–21 की अवधि के लिए भारत सरकार से ₹9.48 करोड़ की मांग नहीं कर सकी। समर्पित पी.एम.यू. के अभाव ने प्रभावी निगरानी को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.8.1)

- ❖ राज्य स्तरीय अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की केवल एक बैठक सितम्बर 2021 में हुई थी क्योंकि समिति की बैठक की आवृत्ति 9 सितम्बर 2021 तक निर्धारित नहीं थी। नमूना जाँचित जिलों में, जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी।

(कंडिका 2.8.2)

- ❖ प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी स्तर पर निर्धारित समीक्षा बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था।

(कंडिका 2.8.3)

- ❖ योजना के प्रारम्भ (फरवरी 2019) से अगस्त 2021 तक अर्थात् 31 माहों के दौरान, केवल 9,408 शिकायतों (23 प्रतिशत) का निवारण किया गया जबकि तीन माह अर्थात् सितंबर 2021 से नवंबर 2021 के दौरान, शेष 30,674 (77 प्रतिशत) शिकायतों का निवारण किया गया। तथापि, संबंधित अभिलेखों के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि 30,674 लंबित शिकायतों का निवारण, जिन्हें निष्पादित संप्रेषित किया गया था, लाभार्थियों के शिकायत का वास्तव में निवारण किया गया। साथ ही, विभिन्न अधिकारियों ने शिकायत मामलों का सत्यापन नहीं किया।

(कंडिका 2.8.4)

- ❖ योजना के प्रारम्भ से कम से कम एक किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की तुलना में 1,30,492 लाभार्थियों की कुल कमी थी। विभाग द्वारा लाभार्थियों की कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया जिसमें अपात्र लाभार्थियों से गैर-वसूली एवं कुछ पात्र लाभार्थियों को असावधानीवश हुई कतिपय त्रुटियों जैसे बैंक खाता विवरण आदि में त्रुटियों आदि के कारण अनुवर्ती किस्तें प्राप्त नहीं होने का जोखिम था।

(कंडिका 2.8.6)

- ❖ आवेदनों के प्रसंस्करण में 124 दिनों (एक तिमाही) से अधिक के विलंब के परिणामस्वरूप संभावित लाभार्थियों को ₹92 लाख का गैर-भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.8.9)

विस्तृत अनुपालन लेखा परीक्षा

3 वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण

- ❖ वित्त विभाग ने डी.डी.ओ. जिला स्तर पर पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला लेखा अधिकारी के पद के उचित/प्रभावी काम काज को सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन का पूर्ण अभाव था।

(कंडिका 3.6)

- ❖ निधियों के समर्पण/चूक, कई बैंक खातों के अविवेकपूर्ण संचालन, निधि का विचलन, लगातार असमायोजित अग्रिम आदि के मामले जिला/प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में निरंतर आ रहे थे।

(कंडिका 3.2)

- ❖ सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना खातों के रख-रखाव में अनियमितताएं थीं जिनमें गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना थी।

(कंडिका 3.3)

- ❖ विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के कार्यपद्धति के अपर्याप्त प्रबंधन ने वित्तीय नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुपालन की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के अपने इच्छित उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। इन सभी ने विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जहाँ लेखापरीक्षा केवल अनुरोध पर थी।

(कंडिका 3.4)

- ❖ वित्त विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यबल की भारी कमी ने अंततः आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जिसने सरकारी निधि के दुर्विनियोजन, गबन, धोखाधड़ी आदि की संभावना का सृजन किया।

(कंडिका 3.5)

4 अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटैक्निक संस्थानों की कार्यप्रणाली

- ❖ अवसर बढ़े आगे पढ़े (ए.बी.ए.पी.) बिहार में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए सात निश्चय में से एक था।

(कंडिका 4.1)

- ❖ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अपने तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों के निर्माण तथा स्थापना के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी था।

(कंडिका 4.2.1)

- ❖ विलंबित भूमि अधिग्रहण, अनुपयुक्त भूमि का अधिग्रहण, भवन निर्माण विभाग द्वारा भवनों का गैर/विलंबित निर्माण, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण सुविधाओं आदि द्वारा योजना का उद्देश्य विफल रहा।

(कंडिका 4.3)

- ❖ विभाग शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक कमी तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग गैर-उपलब्धता के कारण योजना को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर सका जो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था।

(कंडिका 4.4)

- ❖ पुनः, विभाग के प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण, अनुपयुक्त भूमि का चयन किया गया, भवनों/वहनीय केबिनों का निर्माण नहीं किया गया तथा पर्याप्त प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थीं।

(कंडिका 4.7)

- ❖ महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्रों को उनकी क्षमता से तीन गुना समायोजित करने तथा महाविद्यालय/संस्थानों तक पहुँचने के लिए छात्रों को 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करने के साथ, प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना के निश्चय का उद्देश्य विफल हो जाता है।

(कंडिका 4.6)

लेखापरीक्षा कंडिकाएं

लेखापरीक्षा ने गम्भीर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों का अवलोकन किया, जो राज्य सरकार की प्रभावकारिता को प्रभावित करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा (चार कंडिकाएं) से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिवेदन में शामिल हैं। महत्वपूर्ण अवलोकन नियमों और विनियमों का गैर-अनुपालन, औचित्य के बिना लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के मामले तथा निगरानी/शासन की विफलता से संबंधित हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

- पहुँच मार्ग के लिए भूमि सुनिश्चित किए बिना उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण से ₹11.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 5.1)

- ग्राम जलापूर्ति योजना में बिना किसी योजना उनके उपयोग हेतु पानी के मीटर के प्रावधानों से ₹1.99 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(कंडिका 5.2)

- दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन के रूप में ₹45.43 लाख का भुगतान किया गया था।

(कंडिका 5.3)

- विभाग अपेक्षित मानव बल की कमी के कारण ₹6.26 करोड़ मूल्य के आधार नामांकन किट का उपयोग नहीं कर सका और किट अप्रयुक्त रहा।

(कंडिका 5.4)

A teal-colored envelope icon with a white flap, centered on a light blue background. The envelope is slightly open, showing a white interior. The text is centered on the white interior of the envelope.

अध्याय-I
परिचय

अध्याय-I परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

यह प्रतिवेदन बिहार सरकार (बि.स.) के कृषि विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं कुछ चयनित विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है।

प्रतिवेदन के इस खण्ड का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधान मंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षा है कि वह कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों के निर्माण हेतु सक्षम बनाएगा, जो संस्था के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर रूप से आगे करेगा, इस तरह से अधिक अच्छा शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने में योगदान करेगा।

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय विभागों के व्यय एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उन पर की गई कार्रवाई पर सरकार की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय-II से V वर्ष 2020-21 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत निष्कर्षों और अवलोकनों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹2,45,522.62 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध राज्य ने कुल ₹1,67,915.40 करोड़ व्यय किया।

1.3 सरकार की प्रतिक्रिया

1.3.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेनदेन की नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण का संचालन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात चार सप्ताह के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किया जाता है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं का निपटान कार्य-स्थल पर नहीं किये जाने की स्थिति में, इन्हें निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों, अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ जारी किया जाता है।

जब भी जवाब प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य के 128 आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) और चार स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा संचालित किया गया था।

गंभीर अनियमितताओं को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के भी ध्यान में लाए गए थे।

सितम्बर 2020 तक 39 विभागों से संबंधित 2,538 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से 5684 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित ₹10,82,916.30 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 42,348 कंडिकाएं 31 मार्च 2021 के अंत तक लंबित रहे उद्घाटित हुआ जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका और अनियमितताओं के प्रकार की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-1.1 और परिशिष्ट-1.2 में क्रमशः वर्णित है:

तालिका सं.1.1
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

क्रम संख्या	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	1 वर्ष से कम	55 (01)	704 (2)	1,95,818.91 (18)
2	1 से 3 वर्षों तक	1,159 (20)	11147 (26)	6,70,458.88 (62)
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	1,953 (35)	14511 (34)	80,373.02 (7)
4	5 वर्षों से अधिक	2,517 (44)	15986 (38)	1,36,265.48 (13)
	कुल	5,684	42,348	10,82,916.30

*कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

विभागीय अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में असफल रहे, परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ।

अनुशंसा

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामलों को देखें।

1.3.2 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सरकार की प्रतिक्रिया (निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं)

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियाँ कार्यान्वयन तथा आंतरिक नियंत्रणों के गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों पर सूचना दी है, जिसका चयनित विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्य ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित सिफारिश प्रदान करने पर था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2020 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को छः सप्ताह के अन्दर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप प्रतिवेदन और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए अग्रेसित किया गया था। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसे कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार से मिलने की भी सलाह दी गई थी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 के लिए, “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में सरकार का जवाब एवं “वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण” पर वित्त विभाग का जवाब प्राप्त हुआ। यद्यपि, *अवसर बढ़ आगे बढ़े* के तहत” स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटिकल संस्थानों की कार्यपद्धति” विषय पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

1.3.3 निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार है के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2020 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा इकाई यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़े, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई समान रूप से शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) और दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। हालांकि, कई मामलों में बार-बार प्रयासों के बावजूद लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे और लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लेखापरीक्षित 93 इकाईयों में से 71 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कयावद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि का लोप हो सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामलों को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के संबंध में जारी 1,266 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 266 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का जवाब प्राप्त नहीं हुआ था तथा छः लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त हुए थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

1.3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प.प्र.) में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित

विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2020 की अवधि तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2021 तक कृत-कार्रवाई टिप्पणियों (ए.टी.एन.) की प्राप्ति की वस्तुस्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.सा. एवं आ.प्र.) में सम्मिलित कंडिकाओं पर
विभागीय कृत-कार्रवाई की प्राप्ति के संबंध में स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	30 सितम्बर 2021 तक लंबित कृत-कार्रवाई टिप्पणियाँ (कंडिकाओं की संख्या)	राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत-कार्रवाई टिप्पणियाँ की प्राप्ति की नियत तिथि
2017-18	12	896.66	23.03.2021	23.05.2021
2018-19	5	1,876.53	29.07.2021	29.09.2021
2019-20	राज्य विधानसभा में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया।			


उपर्युक्त तालिका लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

1.3.5 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

लेखापरीक्षा निष्कर्ष में शामिल वसूली जो राज्य सरकारों के विभागों के लेखों के नमूना-जाँच के दौरान पाए गए को संबंधित प्राधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा को सूचना के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित है।

1.4 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में छः स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया था जिसमें से चार स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षाओं को सौंपने का नवीकरण नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा को लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन और विधानमंडल में इसकी प्रस्तुतीकरण **परिशिष्ट-1.4** में दर्शायी गई हैं।



अध्याय-II
प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि योजना

अध्याय-II

कृषि विभाग

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) योजना

2.1 परिचय

किसानों को लाभ के वितरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान) योजना फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई, जो कि 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी थी। इस योजना का उद्देश्य सभी भूमि धारक किसान परिवारों¹ को उचित फसल स्वास्थ्य एवं उचित पैदावार सुनिश्चित करने लिए विभिन्न उत्पादक सामग्रियों के आपूर्ति के साथ-साथ उनकी घरेलू जरूरतों हेतु वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए आय समर्थन प्रदान करना है। यह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) माध्यम से संचालित, 100 प्रतिशत भारत सरकार की निधि के साथ एक केन्द्रीय प्रक्षेत्र योजना है। इस योजना के अंतर्गत, कृषि भूमि के माप के निरपेक्ष, कुछ अपवर्जनों² के साथ, सभी पात्र किसान परिवारों को प्रत्येक चार माह अर्थात् दिसंबर-मार्च, अप्रैल-जुलाई एवं अगस्त-नवंबर में ₹2,000 की तीन समान किस्तों में ₹6,000 प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभार्थियों की पहचान एवं उनके विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

लाभ केवल उन्हीं किसान परिवारों को दिया जाना है जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण के लिए निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 है। विभिन्न माध्यम, जिसके जरिए राज्यों को भारत सरकार के पी.एम. किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड की अनुमति है, **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

¹ योजना के तहत एक भूमिधारी किसान परिवार को "पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को सम्मिलित करते हुए एक परिवार जो संबंधित राज्य के भूमि अभिलेखों के अनुसार कृषि योग्य भूमि का मालिक हो" के रूप में परिभाषित किया जाता है।

² (क) सभी संस्थागत भूमि धारक, और (ख) किसान परिवार जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं: (i) संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक (ii) पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व एवं वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व एवं वर्तमान अध्यक्ष; (iii) केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्र या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ (एम.टी.एस.)/चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ कर्मचारियों को छोड़कर);

(iv) सभी अधिवर्षिता प्राप्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन ₹10,000 या उससे अधिक है (एम.टी.एस./चतुर्थ श्रेणी/समूह-घ कर्मचारियों को छोड़कर; (v) पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति; (vi) पेशेवर निकायों में पंजीकृत पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जो प्रैक्टिस कर पेशा करते हैं; (ग) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.)।

चार्ट-2.1

पी.एम.-किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के माध्यम

राज्य जिनके पास किसानों की अपनी सूची है, इसे पूर्व-निर्धारित प्रारूप में अपलोड कर सकते हैं।

राज्य जिनके पास अपनी सूची नहीं है, वे पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए किसानों के कुछ मौजूदा आंकड़ों का उपयोग और किसानों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए उन्हें संपादित कर सकते हैं।

पी.एम.-किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के तरीके

राज्य इस उद्देश्य के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सामाजिक आर्थिक और जातीय जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के डेटाबेस का भी उपयोग कर सकते हैं।

यदि राज्य एक किसान की नई प्रविष्टि करना चाहते हैं, तो इन किसानों के पंजीकरण के लिए एक परिभाषित और मानकीकृत प्रारूप में प्रावधान है।

(स्रोत: पी.एम.-किसान दिशानिर्देश, भारत सरकार)

2.2 संगठनात्मक ढाँचा

बिहार सरकार राज्य में योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव के नेतृत्व में कृषि विभाग, नोडल विभाग है एवं केंद्र सरकार के साथ समायोजन स्थापित करता है। कृषि विभाग द्वारा योजना के लिए राज्य केन्द्रक अधिकारी (एस.एन.ओ.) के रूप में निदेशक (कृषि)/अपर निदेशक (कृषि विज्ञान) को नामित (फरवरी/मार्च 2019) किया गया था।

जिला स्तर पर अपर जिला समाहर्ता/राजस्व (ए.डी.एम.), पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयकों (ए.सी.) द्वारा लाभार्थी की पहचान एवं प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी (सी.ओ.) द्वारा भूमि सत्यापन के आधार पर, लाभार्थियों को अनुमोदित करते हैं।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य निर्धारण करना था:-

- लाभार्थियों की पहचान एवं सत्यापन के लिए स्थापित प्रणाली की दक्षता एवं प्रभावशीलता;
- योजना का वित्तीय प्रबंधन सहित लाभार्थियों को भुगतान की प्रक्रिया, प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण, प्रतिदाय और उनका लेखांकन; और
- योजना के लिए निगरानी तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता।

2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किये गये थे :-

- योजना का परिचालन दिशानिर्देश/सामान्य प्रश्न ;
- योजना से संबंधित निधि अंतरण, प्रतिदाय तंत्र, व्ययों की प्रतिपूर्ति आदि पर दिशानिर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) ;
- भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा निर्गत पत्राचार एवं निर्देश ;
- निगरानी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त ;
- कृषि जनगणना 2015-16 (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार);

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.) के प्रतिवेदन।

2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र, प्रणाली एवं सीमाएं

2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा नमूना आधार पर कृषि विभाग के कार्यालयों एवं इसके 10 जिला कृषि कार्यालयों एवं 20 प्रखंड कृषि कार्यालयों तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानि 10 ए.डी.एम. कार्यालय (जिला स्तर पर) एवं 20 सी.ओ. कार्यालय (प्रखंड स्तर पर) के अभिलेखों की नमूना-जाँच³ के माध्यम से अगस्त से नवंबर 2021 में संचालित किया गया।

लेखापरीक्षा प्रणाली में दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना का संग्रहण, चयनित 841 लाभार्थियों⁴ के अभिलेखों की जाँच एवं उनमें से 300 नमूना लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन सम्मिलित था। जुलाई 2021 में कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशकों के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड एवं प्रणाली पर चर्चा की गई थी। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के सचिव तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशक-सह-अतिरिक्त सचिव के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन फरवरी 2022 में आयोजित किया गया। कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की प्रतिक्रियाओं को प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा की कुछ सीमाएँ थी। उनमें से एक यह था कि, कई अनुरोधों (अगस्त-सितंबर 2021) के बावजूद, कृषि विभाग ने राज्य के योजना डेटाबेस तक पहुँच की अनुमति नहीं दिया था, जिससे लेखापरीक्षा के दौरान आंकड़ों का वास्तविक परीक्षण बाधित हुआ। अभिलेखों का अव्यवस्थित रखरखाव/गैर-रखरखाव/कुछ अभिलेखों एवं सूचनाओं का गैर-प्रस्तुतिकरण एक अन्य सीमा थी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा विचलनों की सटीक सीमा का निर्धारण नहीं कर सका।

³ स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण पद्धति का उपयोग करते हुए, 10 जिलों (बांका, दरभंगा, जमुई, खगड़िया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, सारण और सीवान), 20 प्रखंडों (प्रत्येक नमूना जाँचित जिले में दो प्रखंड) एवं 60 ग्रामों (प्रत्येक नमूना जाँचित प्रखंड में तीन ग्राम) से कुल 900 लाभार्थियों के अभिलेखों का चयन किया गया। चुने गए 900 लाभार्थी (प्रत्येक नमूना जाँचित ग्राम में 15) के अभिलेखों में से, 300 लाभार्थियों का लेखापरीक्षा के दौरान भौतिक सत्यापन के लिए भी चयन किया गया।

⁴ चुने गए 900 लाभार्थियों में से, केवल 841 लाभार्थियों के अभिलेख उपलब्ध कराए गए और क्षेत्र लेखापरीक्षा के दौरान सत्यापित किया गया एवं उनमें से 300 लाभार्थियों (60 नमूना जाँचित ग्रामों में से प्रत्येक से पाँच) का भौतिक सत्यापन किया गया। प्रस्तुत नहीं किए गए 59 लाभार्थी अभिलेखों के जिलावार ब्यौरा में- दरभंगा (12), जमुई (पाँच), खगड़िया (तीन), मधुबनी (11), पूर्वी चंपारण (सात), पूर्णिया (तीन), सहरसा (एक), सारण (11) एवं सिवान (छह) सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.6 लाभार्थी की पहचान एवं सत्यापन प्रक्रिया की दक्षता एवं प्रभावशीलता

भारत सरकार ने 1 फरवरी 2019 को 2019-20 के अंतरिम केंद्रीय बजट में पी.एम.-किसान योजना की घोषणा की। उसी दिन, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू.) ने योजना को लागू करने के भारत सरकार के निर्णय के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जिसके अनुसार लाभार्थियों को हस्तांतरण के लाभ 1 दिसंबर 2018 के पूर्वव्यापी प्रभाव से स्वीकार्य थे। डी.ए.सी. एफ.डब्ल्यू. ने राज्य सरकार को तेज गति से डाटा अपलोड शुरू करने के लिए कहा (11 फरवरी 2019), ताकि 20 फरवरी 2019 तक पर्याप्त प्रविष्टियां की जा सकें। तदनुसार, बिहार सरकार के कृषि विभाग ने योजना के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देश जारी किया (12 फरवरी 2019)। डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) को आवश्यक कदम उठाने की भी सलाह दिया (18 फरवरी 2019) ताकि योजना आरम्भ होने के बाद 24 फरवरी 2019 को स्वयं किसानों को लाभ हस्तांतरित किया जा सके।

हालांकि, डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. के पत्राचार (26/28 फरवरी 2019) से ज्ञात हुआ कि राज्यों ने त्रुटिपूर्ण आंकड़ा अपलोड किया था और कुछ गैर-लाभार्थियों को भुगतान प्राप्त हुआ था लेकिन इन भुगतानों को स्वतः प्रतिलोन करने का तंत्र अनुपस्थित था।

सचिव, कृषि विभाग ने भी स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि भूमि जोत आंकड़ा एवं डिजिटल भूमि अभिलेखों की अनुपलब्धता उस समय की समस्याएँ थी।

2.6.1 संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची उपलब्ध नहीं

भारत सरकार द्वारा जारी, योजना दिशानिर्देशों में, उल्लेख किया गया कि राज्यों द्वारा किसानों का विवरण या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हस्त पंजी में संधारित किया जा रहा है। इसमें आगे प्रावधान किया गया कि राज्य अपने द्वारा संधारित किए गए किसानों की सूची अपलोड करते हुए पी.एम.-किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड भी कर सकते हैं। अतः राज्यों से अपेक्षा थी कि वे अपने राज्यों के किसानों की सूची बनाए रखें एवं किसानों की इस सूची को अपलोड करते हुए उन्हें पी.एम.-किसान पोर्टल पर ऑनबोर्ड करने की अनुमति प्रदान की गई।

हालांकि, कृषि विभाग के पास ऐसी कोई सूची संधारित नहीं थी। इसलिए, यह पी.एम.-किसान पोर्टल पर किसानों की कोई सूची अपलोड करने की स्थिति में नहीं था। इस प्रकार विवरण प्रदान करने एवं दस्तावेज अपलोड करने की जिम्मेवारी संभावित लाभार्थियों पर आ गई। कृषि विभाग ने अपने डी.बी.टी. पोर्टल पर किसानों से व्यक्तिगत आवेदन मांगे। विभाग द्वारा इन आवेदनों के प्रसंस्करण के बाद, किसानों के विवरण को भारत सरकार के पी.एम.-किसान पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। राज्य के किसानों को योजना का लाभ देने की चरण-वार प्रक्रिया नीचे चार्ट 2.2 में दिखाई गई है:

चार्ट 2.2 राज्य में पी.एम.-किसान योजना के लिए पंजीकरण एवं लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया



(स्रोत: भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा पी.एम.-किसान दिशा-निर्देश)

भारत सरकार के दिशानिर्देशों ने आगे निर्धारित किया कि किसान जिनके नाम पी.एम.-किसान पोर्टल पर एक विशेष चार-मासिक अवधि में अपलोड किए जाएंगे, उस चार-मासिक अवधि से ही योजना के लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे। इस प्रकार, भारत सरकार के पी.एम.-किसान पोर्टल पर शीघ्र ऑनबोर्डिंग का अर्थ किसानों को योजना के लाभों का शीघ्र उपार्जन था। लेकिन, कृषि विभाग ने किसानों की कोई सूची संधारित नहीं की थी जिससे भारत सरकार के पी.एम.-किसान पोर्टल पर उनके शीघ्र ऑनबोर्डिंग सुगम बनाया जा सके, अतः राज्य के अधिकांश किसान इस लाभ से वंचित थे।

योजना के आंकड़ों की जाँच से उद्घाटित हुआ कि राज्य के 78,64,562 लाभार्थियों में से केवल 7,19,497 (नौ प्रतिशत) ने भारत सरकार द्वारा जारी सभी सात किस्तों का लाभ प्राप्त किया, क्योंकि वे पहली किस्त अवधि (मार्च 2019 के समापन) के दौरान ही आवेदन करने के कारण जल्दी ही ऑनबोर्ड हो गए थे। इस प्रकार, 71,45,065 (91 प्रतिशत) लाभार्थी को रहने दिया जिन्हें भारत सरकार द्वारा जारी सभी सात किस्तों (मार्च 2021) के विरुद्ध एक से छह किस्तों तक योजना का लाभ प्राप्त हुआ, जैसा कि नीचे तालिका 2.1 में वर्णित है।

तालिका 2.1

योजना पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग में विलम्ब के कारण लाभार्थियों को हुए नुकसान को दर्शाने वाली विवरणी

किस्त संख्या एवं किस्त की अवधि	अवधि के दौरान पंजीकृत एवं निरंतर लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	संबंधित अवधि के दौरान पंजीकृत लाभार्थियों को हानि हुई किस्तों की संख्या	संबंधित अवधि के सभी लाभार्थियों को हानि हुई किस्तों की गणना की कुल संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)
A	B	C	D (B x C)	E (D x ₹ 2000)
प्रथम (12/2018 से 3/2019)	719497	0	0	0
द्वितीय (4/2019 से 7/2019)	2592595	1	2592595	518.52
तृतीय (8/2019 से 11/2019)	1585075	2	3170150	634.03
चतुर्थ (12/2019 से 3/2020)	1309969	3	3929907	785.98
पंचम (4/2020 से 7/2020)	986205	4	3944820	788.96
छठा (8/2020 से 11/2020)	447039	5	2235195	447.04
सातवां (12/2020 से 3/2021)	224182	6	1345092	269.02
कुल	7864562	1 से 6	17217759	3443.55

(स्रोत: कृषि विभाग)

इस प्रकार, कृषि विभाग के पास किसानों की मौजूदा सूची के अभाव ने 91 प्रतिशत लाभार्थियों को ₹3,443.55 करोड़ के योजना लाभ से वंचित कर दिया, जो एक मौजूदा सूची, यदि संधारित होती, को अपलोड करते हुए (मार्च 2019 को समाप्त होने वाली योजना की पहली किस्त अवधि के दौरान) शीघ्र ऑनबोर्डिंग करके सुनिश्चित की जा सकती थी।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि योजना की शुरुआत में, विभाग के पास संभावित लाभार्थियों का उनके भूमि स्वामित्व अभिलेख के साथ कोई डेटाबेस नहीं था। राज्य में भूमि अभिलेखों का, हालाँकि डिजिटलीकरण जारी था।

2.6.2 संभावित लाभार्थियों की व्याप्ति

केन्द्र सरकार ने कृषि जनगणना 2015-16 में उल्लिखित परिचालित भूमि जोतों के आधार पर योजना के तहत पात्र परिवारों की संख्या को अनुमानित किया एवं पात्र किसानों के रूप में परिचालित भूमि जोतों का अर्थ लगाया। लेखापरीक्षा ने योजना के पंजीकृत लाभार्थियों की तुलना राज्य में परिचालित भूमि जोतों की संख्या से की। इस तुलना से पता चला कि राज्य में 164 लाख परिचालित भूमि जोतों के विरुद्ध, योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या केवल 82.50 लाख (अगस्त 2021) थी, जिसमें योजना के तहत लगभग 50 प्रतिशत किसानों की व्याप्ति निहित हुई।

अपर्याप्त व्याप्ति के मुख्य कारणों में कृषि विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई मौजूदा सूची नहीं होना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना, कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) जैसी केन्द्र सरकार के योजनाओं तथा राज्य की योजनाओं जैसे डीजल सब्सिडी, कृषि इनपुट योजनाओं आदि के तहत पंजीकृत किसानों के डाटाबेस तक नहीं पहुँचना सम्मिलित हैं।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि लाभार्थियों के साथ उनकी भूमि स्वामित्व अभिलेखों के डाटाबेस की गैर-उपलब्धता के कारण राज्य में कुल संभावित लाभार्थियों के आकलन में समस्या उत्पन्न हुई थी।

2.6.3 संभावित लाभार्थियों को लाभों से वंचित रखना

(i) ऑफलाइन आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं

योजना दिशा-निर्देश निर्धारित करता है कि पात्र किसान ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस नियम के विपरीत राज्य सरकार ने ऑफलाइन आवेदन के लिए विकल्प प्रदान नहीं किया।

इस प्रकार, ऑफलाइन आवेदन के लिए विकल्प प्रदान नहीं करने से, राज्य सरकार ने उन किसानों को योजना के लाभों से रोका जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके थे।

पुनः, संसद में संचार मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, राज्य में 8,404 ग्राम पंचायतों में से 109 में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं थी (जुलाई 2021) एवं 39,073 बसे हुए गांवों में से 245 में, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी (दिसम्बर 2021)। इससे संभावित लाभार्थियों की ऑनलाइन आवेदन करने की क्षमता पर असर पड़ा।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि ऑनलाइन आवेदन दोहराव को रोकता है एवं एक व्यक्ति के कई लाभ प्राप्त करने की संभावना से बचाव सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन प्रक्रिया के संबंध में किसी किसान ने शिकायत नहीं की थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि योजना के तहत आधार एक विशिष्ट पहचानकर्ता होने के नाते, इसका उपयोग विभाग द्वारा दोहराव को रोकने के लिए किया जा सकता था। इसके अलावा, उन संभावित लाभार्थियों की आशा करते हुए, जो ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हो सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया के संबंध में शिकायत दर्ज कराने की अपेक्षा करना यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है।

(ii) केन्द्र सरकार के पी.एम.-किसान पोर्टल पर किए गए आवेदनों का गैर-प्रसंस्करण

योजना के दिशा-निर्देश, केन्द्र सरकार के पी.एम.-किसान पोर्टल पर स्व-पंजीकृत करने के लिए नए किसानों के आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए, प्रावधानित करता है कि एक बार जब फार्म भर दिया गया हो और सफलतापूर्वक जमा कर दिया गया हो तो यह सत्यापन के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया द्वारा एस.एन.ओ. को अग्रेषित हो जाता है। एस.एन.ओ. विवरण को सत्यापित करता है एवं सत्यापित ऑकड़ों को पी.एम.-किसान पोर्टल पर अपलोड करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि राज्य ने उन किसानों के आवेदनों का प्रसंस्करण नहीं किया जिन्होंने केन्द्र सरकार के पी.एम.-किसान पोर्टल/ऐप पर सीधे स्व-पंजीकृत किया था। तथापि, ऐसे आवेदकों का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। एस.एन.ओ. ने बताया (नवंबर 2021) कि ऐसे किसानों को योजना के लाभ के लिए राज्य पोर्टल पर फिर से आवेदन करने के लिए सूचित किया गया था। लेकिन, उन्होंने उन किसानों को ऐसी जानकारी के प्रेषण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया।

सचिव, कृषि विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि पी.एम.–किसान पोर्टल के माध्यम से आवेदन विलंब से अस्तित्व में आया एवं इससे पहले कि राज्य ने इसकी आवेदन प्रक्रिया पहले शुरू कर दी थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पी.एम.–किसान पोर्टल पर जमा किये गये आवेदनों को अवधि की परवाह किए बिना संसाधित किया जा सकता था।

2.6.4 स्व-घोषणाओं की अपर्याप्तता

योजना का दिशा-निर्देश निर्धारित करता है कि राज्य सरकार लाभार्थियों द्वारा की गई स्व-घोषणा के आधार पर लाभार्थियों की पात्रता को प्रमाणित कर सकते हैं। यह आगे निर्धारित करता है कि राज्य सरकार लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत सूचना/घोषणा के सत्यापन के लिए उपयुक्त तंत्र/प्राधिकरण के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य सरकार द्वारा योजना दिशानिर्देशों के पूर्वोक्त सक्षम प्रावधान का प्रयोग नहीं किया गया था। वह लाभार्थियों द्वारा की गई स्व-घोषणाओं पर निर्भर थी। राज्य सरकार के पास आयकर भुगतान की स्थिति और अन्य अपात्र लाभार्थियों को बाहर करने के बारे में स्व-घोषणा की प्रतिपरीक्षण के लिए कोई तंत्र नहीं था।

केंद्र सरकार के स्तर पर किए गए सत्यापन से उद्घाटित हुआ (नवम्बर 2021) कि राज्य के 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 अपात्र लाभार्थी आयकर दाता थे और ₹39.05 करोड़ का योजना लाभ प्राप्त हुआ था, जिसका विवरण नीचे तालिका 2.2 में दिया गया है—

तालिका 2.2
आयकर दाता अपात्र लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किस्तवार लाभ

किस्तों की संख्या	किस्तों को आच्छादित करने वाले माहों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त कुल किस्तों की संख्या	कुल राशि (₹ करोड़ में)
A	B (A x 4 माह)	C	D (AxC)	E (D x ₹ 2000)
1	4	2011	2011	0.40
2	8	2499	4998	1.00
3	12	14110	42330	8.47
4	16	8863	35452	7.09
5	20	14859	74295	14.86
6	24	6024	36144	7.23
कुल	-	48366	195230	39.05

(स्रोत –कृषि विभाग)

इन 48,366 लाभार्थियों द्वारा प्राप्त किये गए किस्तों की औसत संख्या चार थी जो कुछ मामलों में छह तक पहुँच गई। इसका अर्थ यह भी है कि एक औसत आधार पर, कुछ मामलों में इन अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में विभाग को 16 माह से 24 माह (चार किस्तों से छह किस्तों तक की समयावधि) का समय लगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बिहार सरकार ने किसानों के आयकर भुगतान की स्थिति को सत्यापित करने के लिए तंत्र नहीं बनाया। आयकर विभाग द्वारा आवेदकों को आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि हो एवं आयकर रिटर्न की प्रतियाँ, यदि दायर किया गया हो की मांग से आयकर दाताओं को योजना लाभ भुगतान के मामले कम कर सकते थे।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया कि आयकर दाता किसानों का पता लगाने के लिए राज्य स्तर पर कोई तंत्र नहीं था। उन्होंने आगे जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर तंत्र का अनुसरण किया कि किसी भी अपात्र लाभार्थी को योजना का लाभ न मिले और सत्यापन के विभिन्न स्तरों पर 39 लाख से अधिक आवेदनों को रद्द किया गया था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने 48,366 आयकरदाताओं को हटाने के लिए उपलब्ध तंत्र का प्रयोग नहीं किया जैसे पैन एवं आयकर रिटर्न की प्रति की मांग, जो सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत कर सकता था।

आगे, लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2021) कि कृषि विभाग ने अन्य अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के लिए विभिन्न सत्यापन प्रणाली यथा लाभार्थी के रोजगार की स्थिति, उसी परिवार से एक से अधिक सदस्य, मृत्यु के मामले आदि के रहने के बावजूद 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 7,951 अपात्र लाभार्थियों को ₹8.13 करोड़ की राशि का योजना लाभ प्राप्त हुआ था। ऐसे अपात्र लाभार्थियों की संख्या बढ़कर (नवम्बर 2021) 19,485 हो गई जिसमें ₹23.62 करोड़ का भुगतान शामिल है। जिसका विवरण नीचे तालिका 2.3 में वर्णित है –

तालिका 2.3
अन्य अपात्र लाभार्थियों को किस्तवार प्राप्त लाभ

किस्तों की संख्या	किस्तों को आच्छादित करने वाले माहों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त कुल किस्त	कुल राशि (₹ करोड़ में)
A	B (Ax4 माह)	C	D (A x C)	E (D x ₹2000)
1	4	152	152	0.03
2	8	438	876	0.18
3	12	1194	3582	0.72
4	16	1995	7980	1.60
5	20	3178	15890	3.18
6	24	3821	22926	4.59
7	28	3968	27776	5.56
8	32	3846	30768	6.15
9	36	893	8037	1.61
कुल	-	19485	117987	23.62

(स्रोत – कृषि विभाग)

अपवर्जन मानदंड में स्पष्टता की कमी को एस.एन.ओ. ने अपात्र लाभार्थियों के चयन के कारणों में से एक के रूप में उल्लेखित किया लेकिन स्पष्टता की कमी वाले विशिष्ट बिंदुओं को उनके द्वारा इंगित नहीं किया गया। हालांकि, एस.एन.ओ. ने न तो स्पष्टता की कमी वाले बिंदुओं पर भारत सरकार से कोई मार्गदर्शन मांगा और न ही योजना के कार्यान्वयन में शामिल पदाधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कोई विशिष्ट जाँच सूची या एस.ओ.पी. जारी किया जो अपात्र लाभार्थियों के चयन के कारणों में से एक हो सकता है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि स्व-घोषणा प्रपत्र के तंत्र में लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों के द्वारा भविष्य में उनकी पात्रता में अनुवर्ती परिवर्तन के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करने से संबंधित कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था।

इन 19,485 लाभार्थियों को प्राप्त किस्तों की औसत संख्या छह थी जो कुछ मामलों में नौ तक पहुँच गई। औसतन, इन अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने में कुछ मामलों में विभाग को दो वर्ष (छह किस्तों की समयावधि) लगा जो तीन वर्ष (नौ किस्तों की समयावधि) तक बढ़ गया। इस प्रकार, स्थापित नियंत्रण वांछित रूप से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि अपात्र लाभार्थियों को इसके प्रवेश स्तर पर ही नहीं रोका जा सका। इसके बाद, उनकी पहचान में भी काफी समय लगा।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि रोजगार, मृत्यु या पेंशन के कारण अपात्रता को सत्यापित करना बहुत कठिन है एवं इस तरह का विवरण केवल किसान एवं उनके परिवारों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तथापि, उन्होंने यह भी जवाब दिया कि विभाग लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन कर रहा था जिससे ऐसे अपात्र लाभार्थियों के विलोपन में सहायता होगी।

जवाब ने लेखापरीक्षा के दावे की पुष्टि की कि लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों को भविष्य में उनकी पात्रता में कोई अनुवर्ती बदलाव के बारे में प्राधिकारियों को सूचित करने को बाध्यकारी बनाने से अपात्र लाभार्थियों को हटाने में सहायता मिल सकती है। लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के प्रयास जारी रह सकते हैं।

2.6.5 अपात्र अवयस्क लाभार्थी

योजना का दिशा-निर्देश प्रावधानित करता है कि योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता के निर्धारण की निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 होगी एवं उसके बाद अगले पाँच वर्षों के लिए योजना के तहत लाभ की पात्रता के लिए किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अवयस्क बच्चों के वयस्क होने की निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत, विभाग ने 53,393 लाभार्थियों को पंजीकृत किया जो 1 फरवरी 2019 की निर्दिष्ट तिथि के बाद वयस्क हुए। लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि 10 नमूना-जाँचित जिलों में, 22,301 ऐसे लाभार्थियों को ₹23.59 करोड़ की राशि के अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया था जो नीचे **तालिका 2.4** में वर्णित है। इसी प्रकार के मामले (आठ) नमूना-जाँचित लाभार्थी अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान भी देखे गए थे। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल पर पी.एम.-किसान के तहत लाभ के लिए आवेदन की निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को पकड़ा नहीं था, जैसा नीचे दिखाये गये नमूना-जाँचित आवेदन के चित्र में दर्शाया गया है।

Pradhan Mantri Kisan SAMman Nidhi Yojna (PM-KISAN)			
किसान का विवरण			
पंजीकरण संख्या :	2141178414856	कृषक श्रेणी :	सीमांत किसान (1 हेक्टेअर से कम)
किसान का नाम :	ROHIT KUMAR	पिता का नाम :	MAGAIN RAJAK
जन्म तिथि :	04-Jun-2002	वर्तमान उम्र :	19
जिला :	SAHARSA	प्रखण्ड :	SIMRI BAKHTIARPUR
पंचायत का नाम :	RAIPURA	गाँव का नाम :	Blindpur
आधार संख्या :	9133 XXXX 4001	मोबाइल नंबर :	7979 xxxx 3614
लिंग :	पुरुष	बैंक का नाम :	SBI
अकाउंट नंबर :	20398968365	IFSC कोड :	SBIN0008363

निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 को आवेदक की आयु न पकड़ने को दर्शाती आवेदन प्रपत्र (27 अक्टूबर 2021) का चित्र

उपरोक्त चित्र ने पुष्टि की कि निर्दिष्ट तिथि 1 फरवरी 2019 को आवेदक की आयु आवेदन में पकड़ा नहीं लिया गया था। आवेदन ने आवेदक की केवल वर्तमान आयु को ही पकड़ा। हालांकि, 1 फरवरी 2001 के बाद जन्मा कोई भी आवेदक, निर्दिष्ट तिथि पर अवयस्क होने पर योजना के लाभ के लिए अपात्र था। लेकिन डी.बी.टी. पोर्टल पर जन्म तिथि क्षेत्र को अवयस्क लाभार्थियों के पंजीकरण की जाँच के लिए इस पर चेतावनी प्रस्तुत करने के लिए नहीं बनाया गया था।

तालिका 2.4
नमूना जिलों में अपात्र अवयस्क लाभार्थियों को भुगतान

क्रम संख्या	जिला का नाम	पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों की संख्या	भुगतान प्राप्त किए गए अपात्र अवयस्क लाभार्थियों की संख्या	नौवे किस्त तक भुगतान किए गए किस्तों की कुल संख्या	भुगतान की गई राशि (लाख ₹ में)
A	B	D	E	F	G (F x ₹ 2000)
1	बांका	540	480	2,306	46.12
2	दरभंगा	203	203	1,475	29.50
3	जमुई	5,029	4,681	22,695	453.90
4	खगड़िया	1,496	1,398	6,262	125.24
5	मधुबनी	793	760	5,257	105.14
6	पूर्वी चम्पारण	4,070	3,786	20,509	410.18
7	पूर्णिया	961	835	3,507	70.14
8	सहरसा	3,029	2,636	14,105	282.10
9	सारण	6,183	5,376	29,514	590.28
10	सिवान	2,241	2,146	12,304	246.08
	कुल	24,545	22,301	1,17,934	2,358.68

(स्रोत—कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखापरीक्षित सत्त्व)

इसके अलावा, कृषि विभाग निर्दिष्ट तिथि के बाद वयस्क हुए अवयस्कों की अपात्रता के बारे में अवगत नहीं था, जैसा इस तथ्य से स्पष्ट है कि विभाग ने इस संबंध में पी.एम. किसान केन्द्रीय निगरानी दल से स्पष्टीकरण मांगा (सितम्बर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2021)। तथापि, स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2022)।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि योजनान्तर्गत पात्र किसानों से पंजीकरण/आवेदन स्वीकार करने की कोई अंतिम तिथि नहीं थी। सचिव ने यह भी उल्लेख किया कि विभाग ने 18 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों का डाटा अपलोड नहीं किया था।

जवाब मान्य नहीं है। यह तथ्य कि पंजीकरण/आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं थी निर्दिष्ट तिथि को केवल पात्र किसानों पर प्रयोज्य था और अपात्र अवयस्क किसानों पर नहीं। योजना दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से पात्रता तय करने की निर्दिष्ट तिथि (18 वर्ष की आयु सहित) के रूप में 1 फरवरी 2019 का उल्लेख किया गया है।

2.6.6 अपने स्वयं के नाम पर भूमि नहीं होने वाले अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

योजना के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक किसान के पास अपने स्वयं के नाम पर भूमि होनी चाहिए।

चयनित लाभार्थी अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि 841 चुने गए लाभार्थियों में से 610 (73 प्रतिशत) के पास अपने स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी और फिर भी ₹58.46 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया (मार्च 2021)। यह अनियमितता 10 चयनित जिलों के सभी 20 चयनित प्रखंडों में देखी गयी। जिलावार चयनित लाभार्थी एवं पाए गये लाभों का विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5
चयनित लाभार्थियों के नाम पर भू-स्वामित्व नहीं

क्र. सं.	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या	31/3/2021 तक अंतरित किए गए किस्तों की संख्या	अंतरित की गई कुल राशि (₹ लाख में)
1	बांका	80	435	8.70
2	दरभंगा	40	232	4.64
3	जमुई	68	283	5.66
4	खगड़िया	54	211	4.22
5	मधुबनी	58	305	6.10
6	पूर्वी चम्पारण	66	317	6.34
7	पूर्णिया	25	116	2.32
8	सहरसा	70	335	6.70
9	सारण	72	314	6.28
10	सिवान	77	375	7.50
	कुल	610	2923	58.46

(स्रोत—भारत सरकार का पी.एम.—किसान पोर्टल एवं लेखापरीक्षित सत्वों के अभिलेख)

20 चयनित प्रखण्डों में से पाँच में, सी.ओ.⁵ ने सूचित किया कि लाभार्थियों का चयन वंशावली⁶ (वंश) के आधार पर किया गया था, जबकि, अन्य सी.ओ. ने इस संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं किया। राज्य के भूमि अभिलेखों के आधार पर अपने नाम पर भूमि रखने वालों के अतिरिक्त लाभार्थियों की स्वीकृति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनियमित थी। इसकी इस तथ्य से भी पुष्टि होती है कि छः⁷ चयनित जिलों के डी.एम./ए.डी.एम. ने संबंधित सी.ओ. को केवल उन लाभार्थियों के आवेदनों को स्वीकृत करने के निर्देश जारी किये (अगस्त 2020 से सितंबर 2021 के दौरान) जिनके पास अपने नाम पर भूमि हो। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने केवल झारखंड के मामले में वंशावली के आधार पर योजना के लाभ की अनुमति दी एवं वह भी वंशावली के प्रमाणीकरण के लिए निर्दिष्ट प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद। इस प्रकार, योजना के दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन एवं सी.ओ. द्वारा भूमि सत्यापन की प्रक्रिया के मंदन के परिणामस्वरूप, अपने नाम पर भूमि न होने वाले व्यक्तियों को अनियमित लाभ दिया गया। इसके अलावा, वंशावली के आधार पर किसानों को भुगतान एक किसान के स्थान पर कई व्यक्तियों को भुगतान के जोखिम से भरा था।

उपरोक्त दृष्टान्त नमूना-जाँच पर आधारित है और यदि इस तरह के मामलों की जाँच पूरे राज्य में कराई जाती है यह संभव है कि बड़ी मात्रा में अपात्र लाभार्थियों को लाभ हुआ होगा।

निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया (मार्च 2022) कि राज्य में सभी 38 जिलों में भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण से संबंधित एक विशेष सर्वेक्षण चल रहा था एवं सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर भूमि अभिलेखों का अद्यतन किया जाएगा।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने आवेदकों के भूमि स्वामित्व सत्यापन के उद्देश्य के लिए प्रमाणित भूमि स्वामित्व सत्यापन प्रक्रिया अपनाई। सी.ओ. द्वारा, वंशावली के आधार पर भूमि कब्जा प्रमाणपत्र (एल.पी.सी.) जारी किया गया था।

⁵ बौंसी, केवटी-रनवे, जमुई, चौथम एवं कस्बा

⁶ वंशावली तालिका

⁷ बांका, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा एवं सिवान

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि योजना के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से केवल उन्हीं किसानों को लाभ के हस्तांतरण का प्रावधान करते हैं जिनके पास अपने नाम पर भूमि है। इसके अलावा, सी.ओ. द्वारा प्रमाणित एल.पी.सी./ वंशावली केवल चार मामलों में उपलब्ध थी।

2.6.7 परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी युक्त डाटाबेस का अभाव

योजना के दिशा-निर्देश किसानों के परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आधार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस का प्रावधान करते हैं जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज हैं। परिवार का केवल एक सदस्य, भूस्वामी, योजना का लाभ पाने का पात्र है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया देखा कि बिहार सरकार के पास किसान जिनके नाम भूमि अभिलेखों में दर्ज थे के परिवारों के सभी सदस्यों के विवरण युक्त कोई विद्यमान डाटाबेस नहीं था। योजना के लाभों के लिए आवेदन के समय पर भी बिहार सरकार ने ऐसे विवरण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होने के बावजूद किसानों के परिवारों के सभी सदस्यों का विवरण प्राप्त नहीं किया, जिसका लेखापरीक्षा के दौरान एस.एन.ओ. द्वारा पुष्टि की गई। इसने बिहार सरकार को जाँच करने के तंत्र से वंचित किया कि क्या उसी परिवार से अन्य सदस्य योजना दिशा-निर्देश के विपरीत, योजना के लाभों को प्राप्त कर रहे थे। 841 चयनित लाभार्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹3.40 लाख के भुगतान को शामिल करते हुए 41 (पॉच प्रतिशत) मामले देखे, जहाँ उसी परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को लाभ मिला।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक ही परिवार के सदस्यों को भुगतान के मामलों से बचा जा सकता था यदि दिशानिर्देश के अनुसार किसानों के परिवारों के सभी सदस्यों के विवरण युक्त आधार सम्बद्ध डाटाबेस के लिए अनुबंधित करने की योजना का अनुपालन किया जाता।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग सभी डाटा आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए एक परिष्कृत एप्लिकेशन मॉड्यूल के सृजन पर काम कर रहा था जैसा योजना के परिचालन दिशा-निर्देश में उल्लेखित है। हालाँकि, यदि योजना के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया होता और परिवार के सदस्यों के विवरण को भी संज्ञान में लिया जाता, इसे स्वयं आवेदन के समय पर ही सुनिश्चित किया जा सकता था और एक ही परिवार के एक से ज्यादा लाभार्थियों की रोकथाम में सहायता करता।

2.6.8 अन्य अपात्र लाभार्थी

अपात्र लाभार्थियों के भुगतान के अन्य मामले यथा मृत लाभार्थी, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं थी एवं जो सरकारी नौकरी में/पेंशनर थे, भी 841 चयनित लाभार्थियों के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पाए गए, जैसा कि नीचे तालिका 2.6 में वर्णित है।

तालिका 2.6
मानदंड-वार अपात्र लाभार्थी

अपात्रता की मानदंड	अपात्र लाभार्थियों की संख्या	चयनित लाभार्थियों के प्रतिशत के रूप में	भुगतान की राशि (₹ लाख में)
मृत लाभार्थियों को प्रदत्त लाभ	9	1	0.44
लाभार्थी जिनके पास कृषि भूमि नहीं है	6	1	0.40
सरकारी नौकरी में/पेंशनर लाभार्थी	3	-	0.36

(स्रोत: पी.एम.-किसान पोर्टल तथा लेखापरीक्षित इकाईयों के अभिलेख)

(i) मृत्यु के बाद लाभ जारी

योजना का दिशानिर्देश के अनुसार, भू-स्वामी की मृत्यु के मामले में, उत्तराधिकारियों का परिवार लाभ का हकदार होगा, यदि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हो। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मृत लाभार्थियों के नाम पर योजना के लाभ का हस्तांतरण रोका जाना चाहिए।

लाभार्थी अभिलेख सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 841 चयनित लाभार्थियों में से, छः⁸ नमूना जाँचित प्रखण्डों में नौ लाभार्थियों को उनकी मृत्यु के बाद ₹0.44 लाख की राशि का योजना लाभ प्रदान किया गया था। एक⁹ मामले में, लाभार्थी की मार्च 2019 में मृत्यु हो गई लेकिन योजना के तहत जुलाई 2019 में वह पंजीकृत पाया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इन लाभार्थियों को एक से आठ के बीच किस्तें (कुल 22 किस्तें) हस्तांतरित की गई। औसतन, इन लाभार्थियों को लगभग तीन किस्तें प्राप्त हुईं जिसका अर्थ यह भी निकला कि विभाग उनकी मृत्यु के एक वर्ष (तीन किस्तों की समयावधि) के बाद भी उनका पता नहीं लगा सका।

इस प्रकार, यह लाभार्थियों की मृत्यु की अनुसंधान एवं उनके खाते में लाभ हस्तांतरण रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करने को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र के अभाव की तरफ इशारा किया। कृषि विभाग को जिला कृषि पदाधिकारियों (डी.ए.ओ.) को उनके क्षेत्रीय कर्मचारियों यथा कृषि समन्वयक के माध्यम से ऐसे मामलों का शीघ्रता से पता लगाने एवं उनके खातों में लाभ हस्तांतरण को रोकने हेतु कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्देशित करना चाहिए था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि मृत्यु के मामले हमेशा किसानों के परिवारों द्वारा सूचित किये गये थे एवं जहां सूचना में देरी होती है, लाभ की प्रतिपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने आगे जवाब दिया कि प्रत्येक सूची कीलन गतिविधि से पहले मृत्यु मामलों की जाँच संचालित करने के निर्देश जारी किए गए थे। जवाब ने इंगित किया कि अपात्रता एवं मृत्यु मामलों की जाँच में और सुधार की जरूरत है।

(ii) कृषि एवं जोतने योग्य भूमि के गैर-स्वामित्व वाले लाभार्थी

योजना के दिशा-निर्देशों प्रावधानित करता है कि योजना के तहत पात्रता के लिए, किसान के स्वामित्व वाली भूमि जोतने तथा कृषि योग्य होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 841 चयनित लाभार्थियों में से, तीन नमूना-जाँचित प्रखण्डों में छह अपात्र लाभार्थियों जिनके पास कृषि एवं जोतने योग्य भूमि नहीं थी को ₹0.40 लाख का योजना लाभ दिया गया था

विभाग को भूमि के अकृष्य तथा गैर-कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में मानदंड के बारे में पता नहीं था। ऐसे में, विभाग इस मामले में क्षेत्रीय कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने की स्थिति में नहीं था। विभाग ने गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही कृषि भूमि के मामलों का पता लगाने के लिए कोई विशेष अभियान भी संचालित नहीं किया (नवंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने आश्चर्य किया (फरवरी 2022) कि विभाग योजना की बेहतर समझ के लिए कार्य करेगा तथा अपात्र लाभार्थियों को प्रतिबंधित करने वाली गतिविधि को अंजाम देने के साथ-साथ संभावित लाभार्थियों तक पहुँचेगी। प्रत्येक सूची कीलन गतिविधि से पहले अपात्रता जाँच संचालित करने के निर्देश जारी किये गये थे। तथापि, तथ्य यह है

⁸ दरभंगा सदर, जमुई, चांदन, कस्बा, मढ़ौरा और सिमरी बख्तियारपुर

⁹ सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड में भागदेवा ग्राम अंतर्गत

कि योजना के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के बाद भी, इन प्रस्तावित गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया गया था।

(iii) अन्य अपात्र लाभार्थी

योजना के दिशा-निर्देश के विपरीत, तीन लाभार्थी, जो सरकारी नौकरी में/पेंशनर थे, को ₹0.36 लाख की राशि की 18 किस्तें प्राप्त हुईं।

सचिव, कृषि विभाग ने वास्तविक-समय या त्वरित आधार पर इस प्रकार के विवरण प्राप्त करने के लिए सरल, प्रभावी तथा कुशल तंत्र के लिए एक नवीन एवं तीव्र तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया (फरवरी 2022)। तथापि, तथ्य यह है कि योजना के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के बाद भी, इन प्रस्तावित गतिविधियों को अंजाम नहीं दिया गया था।

2.6.9 आवासीय भूमि (वासगीत परचा) के आधार पर लाभों की अनियमित स्वीकृति

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार (जुलाई 1999) गृहविहीन ग्रामीण परिवारों को आवासीय उद्देश्य के लिए 12.5 डिसमील भूमि के आवंटन का प्रावधान करता है, जिसे आमतौर पर वासगीत परचा पर जारी भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है। अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ कि सहरसा जिला अंतर्गत बनमा इटहरी प्रखंड में, लाभार्थियों का अनुमोदन आवासीय प्रयोजन हेतु उन्हें वितरित भूमि के आधार किया गया। यह योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था जिसके अनुसार उनके नाम पर जोतने योग्य एवं कृषि भूमि स्वामित्व वाले भूमि धारक किसानों के परिवार, लाभ प्राप्त करने के पात्र है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बी.ए.ओ.), बनवा इटहरी को कृषि समन्वयक द्वारा अपात्र के रूप में प्रतिवेदित (सितम्बर 2021) 36 व्यक्तियों की सूची के विरुद्ध, चार मामले प्रणाली में सक्रिय पाये गये (नवम्बर 2021) जिसका अर्थ यह कि योजना के तहत वे अब भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंगित किए जाने पर, डी.ए.ओ. सहरसा द्वारा इन चार लाभार्थियों की अवस्था को निष्क्रिय चिन्हित कर दिया गया (नवंबर 2021)। इसके अलावा, डी.ए.ओ. ने सभी अपात्र लाभार्थियों से राशि की वसूली के लिए कृषि समन्वयक को निर्देश दिया (नवंबर 2021)। ऐसे अपात्र लाभार्थियों के अनुमोदन के परिणामस्वरूप सितंबर 2019 से अगस्त 2021 के दौरान ₹4.92 लाख का अनियमित भुगतान हुआ। डी.ए.ओ. सहरसा एवं ए.डी.एम. सहरसा ने पी.एम.-किसान के तहत लाभों के लिए ऐसे व्यक्तियों के अनुमोदन का कारण प्रस्तुत नहीं किया।

सचिव, कृषि विभाग ने, लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए, आश्वासन दिया (फरवरी 2022) कि विभाग इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को एक परिपत्र जारी करेगा। योजना के लिए समावेशन मानदंड को भूमिधारी किसान परिवार के बेहतर स्पष्टता एवं समझ के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे। तथ्य यह है कि यह सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने अपात्र लाभार्थियों का अनुमोदन किया था और मानदंड को प्रकाशित करने से चूक या कृत्य की त्रुटियों की सभंभवतः कमी नहीं होगी।

2.6.10 आवश्यक भूमि सत्यापन को दरकिनार करना

राज्य सरकार ने योजना लाभ के लिए एक ऑनलाइन आवेदन आधारित दृष्टिकोण अपनाया (फरवरी 2019)। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति के बाद, पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक सत्यापित करेंगे कि आवेदक किसान है। फिर कृषि समन्वयक, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, आवेदक के भूमि अभिलेखों के विवरण के सत्यापन के लिए सी. ओ. को आवेदन अग्रेषित करेगा। सी. ओ., आवेदन को सत्यापित करेगा और ए.डी.एम. को अग्रेषित करेगा जो, लाभ के हस्तांतरण के लिए इसे एस.एन.ओ को अग्रेषित करेगा। एस.एन.ओ इसे केंद्र सरकार के पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करेगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि कृषि विभाग द्वारा जारी अनुवर्ती अनुदेश (मई 2019) में प्रावधान किया गया कि उन मामलों में जहां कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन रद्द कर दिया जाता है, पुनर्विचाराधीन आवेदन डी.ए.ओ. को प्रस्तुत किया जायेगा जो उनके द्वारा अनुमोदित आवेदन को तब एस.एन.ओ. को अंतिम अग्रेषण के लिए ए.डी.एम को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रकार, इन पुनर्विचाराधीन आवेदनों के मामलों में, सी.ओ द्वारा भूमि सत्यापन के आवश्यक प्रावधान को दरकिनार कर दिया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक, डी.ए.ओ. द्वारा अग्रेषित 1,35,276 आवेदनों में से, ए.डी.एम. ने 1,20,087 आवेदनों को अनुमोदित किया था। चयनित जिलों के ए.डी.एम. एवं डी.ए.ओ. इस प्रकार के मामलों में सी.ओ. द्वारा भूमि सत्यापन का प्रमाण नहीं दे सके। चार¹⁰ चयनित जिलों में, उपलब्ध कराए गए पुनर्विचाराधीन आवेदनों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ कि 31 अपात्र लाभार्थियों के मामले, ₹1.72 लाख के कुल भुगतान शामिल करते हुए, को उनके नाम पर भूमि न होने के बावजूद अनुमोदित किया गया।

इस प्रकार, इन आवेदनों को सी.ओ जो भूमि अभिलेखों का अभिरक्षक है, द्वारा आवश्यक भूमि सत्यापन के बिना अनुमोदित किया गया, एवं इस प्रकार, योजना के लाभो को प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों की संभावना को खारिज नहीं किया जा सका।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब (फरवरी 2022) में आवेदनों पर पुनर्विचार के मामलों में प्रचलित प्रक्रिया को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रक्रिया ने किसी भी स्तर पर आवेदन सत्यापन को दरकिनार नहीं किया। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह योजना के प्रावधानों के विपरीत था।

2.6.11 आधार और बैंक खाता के साथ भूमि जोत अभिलेखों का डिजिटाइजेशन और संयोजन

योजना दिशा-निर्देश अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं उन्हें आधार के साथ-साथ लाभार्थियों के बैंक खाते से जोड़ने की प्रगति में तेजी लाएगी।

बिहार में भूमि अभिलेखों के अद्यतनीकरण एवं डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया लगभग 10 वर्ष पहले शुरू हुई थी एवं अभी भी जारी है (मार्च 2022)। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने, राज्य में जमाबंदी¹¹ की कुल संख्या का उल्लेख किए बिना कहा (मार्च 2022) कि राज्य में लगभग ₹3.78 करोड़ जमाबंदी का डिजिटाइजेशन किया गया है। हालांकि, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी.)¹² पर बिहार सरकार द्वारा दर्ज एवं अद्यतन किए गए डाटा (मार्च 2022) से उद्घाटित हुआ कि 47,589 ग्रामों में से 45,401 (95 प्रतिशत) के अभिलेख कम्प्यूटरीकृत हो गए थे एवं 493 ग्रामों में अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण जारी था जबकि शेष 1,695 ग्रामों के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य अभी भी पूर्ण किया जाना था।

आगे, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि, राज्य में डिजिटल भूमि जोत अभिलेखों को तदनुसार आधार एवं बैंक खाते से संयोजित नहीं किया गया था, जैसा योजना के तहत परिकल्पित था। परिणामस्वरूप, इस डाटा का उपयोग योजना के लिए नहीं किया गया। इस प्रकार, राज्य योजना के तहत आवेदनों को प्रसंस्करण करने के लिए एक तीव्र तंत्र से वंचित रहा।

¹⁰ दरभंगा, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सहरसा

¹¹ अभिधारी खाता पंजी में सभी अभिधारी को आवंटित पन्ना दर्शाने वाली एक संख्या जहां उनके अधिवृत्तियों के ब्यौरे आदि दर्ज की जाती है।

¹² भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत

निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2022) कि भूमि-जोत अभिलेखों को आधार एवं बैंक खाते से संयोजित करना एक विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से 2023-24 तक संभव होगा। इसके अतिरिक्त, यह एक नीतिगत मामला है जिस पर सरकार एवं बैंकों के निर्णय के बाद कार्रवाई की जा सकेगी।

सचिव, कृषि विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से सहमत होते हुए एक बहुमुखी डाटाबेस के सृजन पर जोर दिया (फरवरी 2022)। इस तरह के डाटा की उपलब्धता से पी.एम.-किसान के मामलों में किसानों को बहुत फायदा होता। तथापि, तथ्य यह है कि योजना के क्रियान्वयन के तीन वर्ष के बाद भी, इन प्रस्तावित गतिविधियों को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

2.6.12 अंचल अधिकारियों द्वारा आवेदनों के अनुमोदन में अनियमितताएँ

कृषि विभाग के प्रावधान के अनुसार, कृषि समन्वयक किसानों द्वारा प्रस्तुत विवरणों का सत्यापन करेगा एवं इसे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित सी.ओ. को अग्रेषित करेगा। लाभार्थियों के भूमि स्वामित्व की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी संबंधित सी.ओ. की होती है।

841 चुने गये लाभार्थियों के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि सात प्रखंडों के अंतर्गत ₹2.46 लाख के भुगतान शामिल करते हुए, सी.ओ. ने पूर्वोक्त प्रावधान के विपरीत अन्य प्रखंडों में स्थित भूमि के अभिलेख युक्त आवेदनों को अनुमोदित किया, जिसके कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

निदेशक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जवाब दिया (मार्च 2022) कि विभाग ने ऐसे मामलों के सत्यापन के लिए सभी ए.डी.एम. एवं सी.ओ. को निर्देश दिया है।

सचिव, कृषि विभाग ने कहा (फरवरी 2022) कि प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित भूमि अभिलेखों के मामलों में ऐसे मुद्दे हो सकते हैं। उन्होंने आश्वासित किया कि विभाग सी.ओ. एवं ए.डी.एम. को अतिरिक्त निर्देश संचारित करेगा एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया रचना को केवल उसी अंचल के तहत भूमि जोत को समावेशित करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

2.7 वित्तीय प्रबंधन

राज्य के लाभार्थियों को भुगतान किए गए कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे तालिका 2.7 में वर्णित है:-

तालिका 2.7

लाभार्थियों को भुगतान किए गए राशि का वर्ष-वार ब्यौरा

भुगतान का वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	भुगतान की गई कुल राशि
वर्ष के दौरान भुगतान की गई राशि (₹ करोड़ में)	50.04	2,915.54	4,556.83	7,522.41

(स्रोत:- कृषि विभाग)

कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि राज्य के 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से 2,81,025 (तीन प्रतिशत) को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, जबकि 3,52,218 (चार प्रतिशत) लाभार्थियों ने केवल आंशिक भुगतान प्राप्त किया (अगस्त 2021)। एस.एन.ओ. ने गैर/आंशिक भुगतान के कारणों और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि विभाग के पास कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि 2 फरवरी 2022 तक, राज्य में 84,95,702 किसान पी.एम.-किसान पोर्टल पर पंजीकृत थे एवं उनमें से 2,12,436 किसानों

को कोई किस्त प्राप्त नहीं हुई थी, जबकि 3,40,400 किसानों को आंशिक किस्ते प्राप्त हुई। उन्होंने आगे सूचित किया कि लंबित सुधार 1,30,948 पर स्थिर रही और 51,386 किसानों को अपात्र चिन्हित किया गया था क्योंकि वे आयकर दाता थे। विभाग योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

हालांकि, उपरोक्त सारांश पूर्णरूप से व्याख्यात्मक नहीं है क्योंकि 5,52,836 गैर/आंशिक भुगतान के मामलों के विरुद्ध, प्रतिवेदित लंबित सुधार/अपात्र चिन्हित के मामले 1,82,334 हैं। इस प्रकार, 3,70,502 मामलों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी।

2.7.1 विफल एवं लंबित भुगतान

योजना के लिए निधि अंतरण दिशा-निर्देश (फरवरी 2019) निर्धारित करता है कि डी.ए.सी. एफ.डब्ल्यू. ब्यौरे के आवश्यक सत्यापन और अद्यतन करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों के साथ विफल लेनदेन का ब्यौरा साझा करेगा। राज्य स्तर के पदाधिकारियों से विवरण प्राप्त होने पर, डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. विफल लेनदेन को फिर से संसाधित करेगा।

राज्य के लाभार्थियों के विफल एवं लंबित भुगतानों की वर्ष-वार विवरणी नीचे तालिका 2.8 में विस्तृत है।

तालिका 2.8
लाभार्थियों के विफल एवं लंबित भुगतान

वर्ष	हस्ताक्षरित आर.एफ.टी. * की संख्या	उत्पन्न एफ.टी. ओ. # की संख्या	सफल भुगतानों की संख्या	विफल भुगतानों की संख्या	लंबित कार्रवाई वाले भुगतानों की संख्या
2018-19	250,835	250,796	250,211	585	0
2019-20	1,46,08,460	1,46,06,738	1,45,77,717	25,835	3,186
2020-21	2,30,07,491	2,30,07,195	2,27,84,406	87,828	1,34,961
कुल	3,78,66,786	3,78,64,729	3,76,12,334	1,14,248	1,38,147

(स्रोत:—पी.एम.—किसान पोर्टल) * अंतरण का अनुरोध # निधि अंतरण आदेश

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि राज्य के लाभार्थियों को कुल ₹50.48 करोड़ की राशि का योजना लाभ विफल एवं लंबित भुगतान के कारण अंतरित नहीं किया जा सका।

एस.एन.ओ. ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि ऐसे मामलों को केंद्र सरकार को पहले ही अधिसूचित किया गया था एवं भुगतान केवल उनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। हालांकि, एस.एन.ओ. ने राज्य द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, के बाद संबंधित खातों में जमा किए गए लेन-देन का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या राज्य सरकार ने विवरणों का आवश्यक सत्यापन एवं अद्यतनीकरण किया था। लाभार्थियों के बैंक खातों का उनके संबंधित आधार के साथ संयोजन को बिहार सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया था जबकि यह योजना के दिशा-निर्देशों में अपेक्षित था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया कि डी.बी.टी. माध्यम का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार का योजना में भुगतानों पर पूर्ण नियंत्रण था। विफल एवं लंबित मामलों का भुगतान करने का मामला पी.एम.—किसान निगरानी दल के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्रों के दौरान नियमित रूप से उठाया गया था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि विफल एवं लंबित भुगतान के साथ-साथ राज्य सरकार की तरफ से की गई अप्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप अभीष्ट प्राप्तकर्ता को निधि का हस्तांतरण नहीं किया जा सका।

2.7.2 बैंक खाता से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा आवेदन रद्द किया जाना

योजना के लिए निधि अंतरण दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार को आधार संख्या, बैंक खाता संख्या एवं बैंक के आई.एफ.एस. कोड सहित लाभार्थियों के ब्यौरे शामिल हों, की सत्यता सुनिश्चित करनी है। आगे, लाभार्थी के गलत/अपूर्ण बैंक विवरणों के मामले में शीघ्र समाशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ (अगस्त 2021) कि 67,535 लाभार्थियों के आवेदनों को बैंक खातों से संबंधित विसंगतियों यथा बैंक वर्तमान में निष्क्रिय और अन्य बैंक में विलय हो गया, आई.एफ.एस. कोड या तो मौजूद नहीं या वर्तमान में निष्क्रिय हैं, खाता बैंक में मौजूद नहीं हैं, खाता स्थिति बंद है या बैंक खाता संख्या अमान्य आदि के कारण पी.एफ.एम.एस. द्वारा रद्द कर दिए गए थे।

एस.एन.ओ. ने इस तरह की अस्वीकृति को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया कि उनके डी.बी.टी. पोर्टल में बैंक खाते के विवरण, सी.बी.एस. के तहत ग्रामीण और सहकारी बैंकों को कवर न करने, डुप्लिकेट बैंक खातों आदि की जाँच करने की सुविधा नहीं थी और कहा कि संबंधित लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को सही करने के लिए कहा गया था।

हालांकि, एस.एन.ओ. ने केंद्र सरकार के संज्ञान में नहीं लाया कि ग्रामीण एवं सहकारी बैंक सी.बी.एस. के अंतर्गत आच्छादित नहीं थे। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों में उल्लेख नहीं किया गया था कि लाभार्थियों के बैंक खाते सी.बी.एस. के अंतर्गत आच्छादित होने चाहिए।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि वर्तमान में पी.एफ.एम.एस. में सुधार 27,310 (40 प्रतिशत) रहा एवं ऐसे सभी आवेदकों को उनके बैंक खातों एवं आई.एफ.एस. कोड को सही करने के लिए एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया गया है। विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी खाता सुधार के संबंध में संवेदनशील बनाया गया है।

2.7.3 चयनित लाभार्थियों की सूची के अतिरिक्त योजना में विसंगतियां

2.7.3.1 गलत बैंक खातों में अंतरण

चयनित जिलों में बैंक खातों में सुधार के लिए लाभार्थियों द्वारा जमा किए गए आवेदनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹22.62 लाख की योजना लाभ अन्य व्यक्तियों के बैंक खाते में अंतरित किया गया।

इस अनियमितता में लाभार्थियों के बैंक खाते की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान प्रणाली में कमी की संपुष्टि की। इससे टाला जा सकता था अगर राज्य ने लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापन के लिये एक तंत्र विकसित किया होता जैसा योजना के दिशा-निर्देश में परिकल्पना की गई थी। आगे, प्राधिकारियों ने अन्य व्यक्तियों के खाते में अंतरित राशि को वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं किया था (नवंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने कहा (फरवरी 2022) कि ऑन-लाइन पंजीकरण के दौरान स्वयं लाभार्थियों द्वारा बैंक खातों के विवरण दिये गये थे। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि मौजूदा समाधान अभी भी प्रचलित था एवं इसने काफी हद तक सहायता की थी, विभाग एक त्वरित समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में परिवर्तन करने के लिए सक्षम बना देगा। हालांकि, यह भी एक तथ्य है कि लाभार्थियों के बैंक खाते को उनके संबंधित आधार से संयोजित करने से ऐसे मामलों को रोकने में सहायता मिलती।

2.7.3.2 "भुगतान रोक" के अनुरोधों के बावजूद भुगतान की विमुक्ति

योजना के दिशा-निर्देश अपात्र पाए गए किसानों के भुगतान रोक अमल में लाने का प्रावधान करता है। एस.एन.ओ. मामलों जहां "भुगतान रोधन" की प्रक्रिया को कार्यान्वित किया गया था की खेप-वार विवरणी उपलब्ध नहीं करा सका।

लेखापरीक्षा में देखा कि 10 चयनित जिलों में से छः में, डी.ए.ओ. द्वारा भुगतान रोकने हेतु एस.एन.ओ. से आग्रह के बाद भी, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख का भुगतान किया गया। इस प्रकार, संबंधित अधिकारियों द्वारा ससमय कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों को भुगतान हुआ।

सचिव, कृषि विभाग ने इस पर विशेष प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं किया।

2.7.3.3 निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान

योजना के दिशा-निर्देश अपात्र पाये जाने वाले किसानों के लिये प्राधिकारियों द्वारा भुगतान रोक अमल में लाने की अपेक्षा करता है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बी.ए.ओ., बरहरिया ने एक कृषि समन्वयक के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड को चोरी करके किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 87 आवेदनों की अनधिकृत स्वीकृति के बारे में डी.ए.ओ. सिवान को सूचित किया (सितंबर 2020)। साथ ही, बी.ए.ओ., सिवान सदर एवं बी.ए.ओ., मैरवा ने 11 अपात्र लाभार्थियों के बारे में डी.ए.ओ., सिवान को सूचित किया (सितंबर/अक्टूबर 2020) और आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ए.ओ., सिवान ने इन आग्रहों पर कोई कार्रवाई नहीं किया (सितंबर 2021) परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त 98 व्यक्ति में से 70 ने ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार, डी.ए.ओ. की लापरवाही के कारण, अनियमित भुगतान हुआ अभी तक वसूली किया जाना था (सितंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि अपने लॉगिन्स के संबंध में आवश्यक सावधानियाँ बरतना अधिकारियों का कर्तव्य था। अनधिकृत लॉगिन का उपयोग करते हुए, सभी निष्पादित कार्य कार्य पूर्ववत् कर दिए गये।

हालांकि यह तथ्य रह गया कि, डी.ए.ओ. को बी.ए.ओ. द्वारा दिए गए अनधिकृत स्वीकृति के संबंध में सूचना के बावजूद अनधिकृत लाभार्थियों को भुगतान किया गया और किसी राशि की वसूली नहीं की गई थी।

2.7.4 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजा जाना

सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 का नियम 238 (1) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) का समर्पण निर्धारित करता है।

भारत सरकार ने योजना के शुभारंभ समारोह के वेबकास्टिंग पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु ₹ 63.40 लाख की राशि राज्य को हस्तांतरित किया (जून 2019)। हालांकि, जी.एफ.आर. के प्रावधान के विपरीत, इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को प्रेषित नहीं किया गया (सितंबर 2021)।

सचिव, कृषि विभाग ने सूचित किया गया (फरवरी 2022) कि ₹63.40 लाख में से, ₹60.76 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को 8 फरवरी 2022 को प्रेषित किया गया था। इस प्रकार, आंशिक उपयोगिता प्रमाण पत्र जी.एफ.आर. के अनुसार निर्धारित समय के लगभग एक वर्ष के उपरांत समर्पित किया गया और प्रयोजन की समाप्ति के लगभग तीन वर्ष के बाद भी ₹2.64 लाख अप्रयुक्त रही जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या राशि अव्ययित थी/लक्षित उद्देश्य हेतु व्यय की गई थी या नहीं।

2.7.5 गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना

दो जिलों (पूर्णिमा एवं पूर्वी चंपारण) में अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ (सितंबर-अक्टूबर 2021) कि डी.ए.ओ. ने निधियों के वास्तविक खर्च को व्यय करने से काफी पहले विभाग को ₹ 3.77 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जैसा इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के बाद भी राशि उनके पास उपलब्ध थी (तालिका 2.9)।

तालिका 2.9
व्यय से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पण

जिला का नाम	राशि (₹ लाख में)	यू.सी. समर्पित करने की तिथि	वास्तविक व्यय आरम्भ होने की तिथि
पूर्वी चंपारण	3.49	24/8/2020	25/11/2020
पूर्णिमा	0.28	13/8/2020	17/8/2020
कुल	3.77	-	-

(स्रोत: डी.ए.ओ. के अभिलेख)

संबंधित डी.ए.ओ. द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

सचिव, कृषि विभाग ने यह आश्वस्त किया (फरवरी 2022) कि विभाग इस संबंध में आंतरिक जाँच आरम्भ कर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

2.7.6 वसूली एवं प्रतिदाय

योजना का दिशा-निर्देश प्रावधान करता है कि गलत घोषणा के मामले में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली के लिए जिम्मेदार होगा। डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. ने प्रतिदाय और समाधान की पद्धति को आसान करने एवं गैर-कर प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से अपात्र लाभार्थी, जैसे तंत्र द्वारा चिन्हित आयकर दाता, मृत्यु के मामले एवं वैसे मामले जिनमें गलत बैंक खाता में राशि जमा हो गई हो, से प्रतिदाय के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संसूचित किया (अप्रैल 2021)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि बिहार सरकार के आकलन के अनुसार, राज्य के 67,851 अपात्र लाभार्थियों से ₹62.67 करोड़ वसूलनीय था (नवंबर 2021 तक)। एस.एन.ओ. ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि अपात्र लाभार्थियों से अब तक लगभग ₹4.00 करोड़ (छ: प्रतिशत) की वसूली की जा चुकी थी। राशि अभी तक केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना था क्योंकि समाशोधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं थी। डी.बी.टी. सेल में संधारित रोकड़ बही में वैयक्तिक लाभार्थी और या यूनिट-वार वसूली गयी राशि दर्ज चित्रित नहीं की गयी थी एवं वसूली गयी राशि की प्रविष्टि एकमुश्त की गयी थी। परिणामस्वरूप, वैयक्तिक और/या यूनिट-वार वसूली का पता नहीं लगाया जा सका।

सचिव, कृषि विभाग ने, सूचना देते हुए कि ₹5.00 करोड़ की वसूली कर ली गई थी, जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग वसूली एवं प्रतिदाय प्रक्रिया के लिए एक प्रभावी कार्यप्रणाली के सृजन का प्रयास कर रहा था।

अपात्र लाभार्थियों से सिर्फ ₹5.00 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वसूली राज्य की दोषपूर्ण वसूली प्रक्रिया की द्योतक थी। लंबित समाधान के कारण केंद्र सरकार को वसूली गयी राशि की गैर-वापसी वसूली की लेखांकन प्रक्रिया में कमियों की तरफ इशारा किया। पुनः, यदि अपात्र लाभार्थियों को प्रारम्भिक स्तर पर ही रोक दिया जाता, तो न केवल अनियमित भुगतान से बचा जा सकता था बल्कि वसूली प्रक्रिया में अपेक्षित संसाधन भी बचाये जा सकते थे।

2.7.7 दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाना

योजना दिशा-निर्देश प्रावधान करता है कि गलत स्व-घोषणा के मामलों में, लाभार्थी हस्तांतरित वित्तीय लाभ की वसूली एवं कानून के अनुसार अन्य दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि गलत घोषणा प्रस्तुत करके (नवम्बर 2021) योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध कृषि विभाग द्वारा कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई। एस.एन.ओ द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 67,851 ऐसे लाभार्थी (48,366 आयकर दाता लाभार्थी एवं 19,485 अन्य अपात्र लाभार्थी) थे जिनसे वसूली की जानी थी।

सचिव, कृषि विभाग, ने चर्चा करते हुए कि विभाग ने अपात्र लाभार्थियों से की जाने वाली वसूली के संबंध में निर्देश जारी किया था, आगे सूचित किया कि विभाग वसूली एवं इसके प्रतिवेदन से निपटने के लिए एक बेहतर एवं सुगम प्रणाली पर काम कर रहा था। तथापि, उन्होंने परिकल्पित दण्डात्मक कार्रवाई के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

2.8 निगरानी तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता

2.8.1 परियोजना निगरानी इकाई की गैर-स्थापना

योजना के दिशा-निर्देशानुसार, केंद्रीय स्तर पर परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) योजना की समग्र निगरानी, प्रचार/संचार अभियान करने के लिए जिम्मेदार था और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा इसका नेतृत्व किया जाना था। दिशानिर्देश आगे निर्धारित करता है कि केंद्रीय स्तर पर पी.एम.यू. के तर्ज पर, राज्य सरकार एक समर्पित पी.एम.यू. स्थापित करने पर विचार कर सकती है। लाभार्थियों को हस्तांतरित किये गये किस्तों की राशि के आधार पर, राज्य सरकार को उसके पी.एम.यू. यदि स्थापित हो, पर व्यय को समाविष्ट करने हेतु एक निश्चित प्रतिशत¹³ केन्द्र सरकार द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य में समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, 2018-21 के दौरान बि.स. द्वारा ₹9.48 करोड़ का दावा नहीं किया जा सका।

योजना की निगरानी अपर निदेशक, कृषि विभाग के नेतृत्व में डी.बी.टी. प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही थी। डी.बी.टी. प्रकोष्ठ को कृषि विभाग की अन्य योजनाओं की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। निगरानी उद्देश्यों के लिए जिला स्तर से कोई निगरानी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ। एक समर्पित पी.एम.यू. का अभाव कई अनियमितताओं जैसे अपात्र लाभार्थियों की गैर-पहचान, अवयस्क लाभार्थियों को भुगतान आदि के लिए भी जिम्मेदार था जो दिशानिर्देशों के विपरीत था। 2019 में दो समाचार पत्र विज्ञापनों को छोड़कर, अभीष्ट लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा कोई जन सम्पर्क माध्यम अभियान प्रारम्भ नहीं किया गया। समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना न होने से योजना की समग्र निगरानी प्रभावित हुई।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि डी.बी.टी. प्रकोष्ठ पी.एम.यू. के रूप में पी.एम.-किसान योजना के लिए काम कर रहा था। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि एक समर्पित सलाहकार और दो प्रोग्रामर के साथ अन्य प्रशासनिक/सहायक स्टाफ सदस्य योजना के कार्यान्वयन में सहायता कर रहे थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एक सलाहकार एवं दो प्रोग्रामर, जैसा जवाब में बताया गया था, का चयन ही जनवरी 2022 में किया गया था। इस प्रकार, एक समर्पित पी.एम.यू. की गैर-स्थापना ने न केवल

¹³ पहली किस्त की राशि का 0.25 प्रतिशत और बाद की किस्तों का 0.125 प्रतिशत।

निगरानी की गुणवत्ता को प्रभावित किया बल्कि राज्य को ₹ 9.48 करोड़ की निधि से भी वंचित किया।

2.8.2 निगरानी समितियाँ

योजना के दिशा-निर्देशानुसार, राज्य सरकार राज्य एवं जिला स्तरीय समीक्षा/निगरानी समिति को अधिसूचित करेगी।

बिहार सरकार ने प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति का गठन किया (फरवरी 2019)। 2018-19 से 2020-21 के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई एवं तत्पश्चात सितंबर 2021 में मात्र एक बैठक आयोजित की गई। यह मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण था कि समिति की बैठक की आवृत्ति सितम्बर 2021 तक निर्धारित नहीं की गई थी, इसके बाद, प्रत्येक तीन महीने में एक बार समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

चुने गए जिलों की लेखापरीक्षा के क्रम में, यह देखा गया कि 2018-21 के दौरान निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। जिला स्तर पर समिति की बैठकों के आयोजित करने को सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

2018-19 से 2020-21 तक की लंबी अवधि के लिए निगरानी समितियों की नियमित बैठक के अभाव ने नियमित आधार पर उच्चाधिकारियों के मार्गदर्शन से क्षेत्रीय संरचनाओं (पी.एम. किसान के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार) को वंचित किया।

सचिव, कृषि विभाग ने, यह उल्लेख करते हुए कि 9 सितंबर 2021 को राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी एवं कुछ जिलों ने भी बैठक आयोजित की थी, जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने हर तीन महीने के एक अंतराल पर राज्य एवं जिला दोनों स्तरों पर बैठक आयोजित करने का निर्देश जारी किया था।

2.8.3 प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा योजना की समीक्षा

कृषि विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्तों (डी.सी.) एवं जिलाधिकारियों (डी.एम.) द्वारा योजना की साप्ताहिक समीक्षा के लिए प्रावधान बनाया (फरवरी 2019)। इस आवृत्ति पर, मार्च 2021 के अंत तक प्रत्येक डी.सी. एवं डी.एम. द्वारा सौ से अधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए था।

लेखा परीक्षा ने अवलोकन किया कि मार्च 2021 तक, संबद्ध सात डी.सी. में से, दो¹⁴ ने ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं किया, डी.सी. कोसी ने एक बैठक आयोजित किया एवं डी.सी. पूर्णिया ने चार बैठकें आयोजित किया, जबकि तीन¹⁵ डी.सी. ने इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

10 नमूना जिलों के जिलाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठकों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि छः¹⁶ डी.एम. ने इस अवधि के दौरान ऐसी कोई बैठक आयोजित नहीं किया जबकि शेष चार¹⁷ डी.एम. ने इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

¹⁴ भागलपुर एवं मुंगेर

¹⁵ दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण

¹⁶ बांका, जमुई, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया एवं सिवान

¹⁷ दरभंगा, मधुबनी, सहरसा एवं सारण

2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान नगण्य समीक्षा बैठकों ने नियमित आधार पर प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी के मार्गदर्शन से क्षेत्रीय संरचना को वंचित किया।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि कृषि विभाग ने प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी स्तर पर नियत समीक्षा बैठक आयोजित करना सुनिश्चित नहीं किया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि योजना की रूप रेखा बनाने के दौरान, यह प्रस्तावित था कि डी.सी. एवं डी.एम. साप्ताहिक रूप से योजना की निगरानी करे लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि डी.एम द्वारा प्रत्येक तीन महीने पर एक बार समीक्षा की जायेगी।

2.8.4 शिकायत निवारण

योजना के दिशा-निर्देशों प्रावधान करता है कि कोई शिकायत या अभियोग जो निगरानी एवं शिकायत निवारण समिति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं को अधिमानतः दो सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

(i) शिकायत अधिकारियों का विवरण अधिसूचित नहीं किया जाना

भारत सरकार ने राज्य सरकारों से प्रमुखता से शिकायत अधिकारियों के विवरण को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अविलंब रूप से अधिसूचित करने का अनुरोध किया (मार्च 2019)।

हालाँकि, राज्य द्वारा अभी तक शिकायत अधिकारियों को अधिसूचित जाना है। इस प्रकार, लाभार्थी अपने शिकायतों को दर्ज करने के लिए अपेक्षित तंत्र से वंचित थे। साथ ही, नए संभावित लाभार्थी अपने शिकायतें दर्ज करने में असमर्थ थे क्योंकि पात्र किसान परिवार की पहचान एवं डाटाबेस की तैयारी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि राज्य स्तर पर एस.एन.ओ. को शिकायत निवारण अधिकारी एवं जिला स्तर पर डी.ए.ओ. को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित करने का आदेश जारी किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि जिला स्तर पर डी.ए.ओ. को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित करने का आदेश 22 फरवरी 2022 को जारी किया गया, लेकिन समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके प्रकाशन का उल्लेख जवाब में नहीं था। इसलिए, बिना जागरूकता के, उनके नामांकन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है।

(ii) शिकायत निवारण

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि एस.एन.ओ. द्वारा प्रदान की गई शिकायत प्रतिवेदन के अनुसार, 40,082 प्राप्त शिकायतों में से, सिर्फ 9,408 का समाधान किया गया एवं शेष 30,674 शिकायतें लंबित थीं (अगस्त 2021)।

एस.एन.ओ. ने सूचित किया (नवंबर 2021) कि उन्होंने निपटान प्रक्रिया को तेज किया है एवं वर्तमान में शून्य मामले लंबित हैं। तथापि, एस.एन.ओ. शिकायत पंजीकरण एवं इसके निपटान का तिथि-वार विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार, यह सत्यापित नहीं हो सका कि क्या शिकायतों का निबटान दो सप्ताह की नियत अवधि में किया गया था। आगे, यह देखा गया कि 31 महीनों के दौरान (फरवरी 2019 से अगस्त 2021), केवल 9,408 शिकायतों (23 प्रतिशत) का निबटारा किया गया जबकि आगामी तीन महीनों यानि सितंबर 2021 से नवंबर 2021 के दौरान, बाकी 77 प्रतिशत शिकायतों को लेखापरीक्षा को निष्पादित के रूप में बताया गया। हालांकि, संबंधित अभिलेखों के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि क्या 30,674 लंबित शिकायतों में, जो कि निष्पादित प्रतिवेदित किये गये थे, लाभार्थी की शिकायतों का वास्तव में निवारण किया। साथ ही,

विभिन्न अधिकारियों ने शिकायतों के मामले को सत्यापित नहीं किया, जैसा कि आगामी कंडिका में वर्णित है।

सचिव, कृषि विभाग ने इस संबंध में कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।

(iii) शिकायत सत्यापन

बिहार सरकार ने शिकायत मामलों को सत्यापित एवं निवारण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिया (फरवरी 2019 एवं जुलाई 2021)। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2018-21 के दौरान चयनित जिलों/प्रखंडों में अधिकारियों द्वारा शिकायतों का कोई सत्यापन नहीं किया गया।

सचिव, कृषि विभाग ने इस संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

2.8.5 राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश (अगस्त 2019) के अनुसार, राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष के दौरान पात्रता को सुनिश्चित करने हेतु करीब पाँच प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करना अपेक्षित है।

2020-21 की अवधि के लिए भौतिक रूप से सत्यापित किए जाने वाले 78,551 लाभार्थियों वाले 38 जिलों में से आठ में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया (अगस्त 2021)। राज्य में सत्यापन किए जाने वाले अपेक्षित कुल 3,13,660 लाभार्थियों के विरुद्ध, केवल 1,03,518 लाभार्थियों (33 प्रतिशत) को सत्यापित किया गया। सत्यापित किए गए 1,03,518 लाभार्थियों में से, 2,683 लाभार्थी (तीन प्रतिशत) विभाग द्वारा अपात्र पाए गए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एस.एन.ओ. ने भौतिक सत्यापन के परिणाम के आधार पर न तो कोई उपचारात्मक कार्रवाई किया और न ही भविष्य में लाभार्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शन निर्गत किया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि 22 फरवरी 2022 तक, 3,13,160 लाभार्थियों में से, 2,73,095 लाभार्थी (87 प्रतिशत) वर्ष 2020-21 के लिए भौतिक रूप से सत्यापित किये गये थे। भौतिक रूप से सत्यापित 2,73,095 लाभार्थियों में से, 13,496 लाभार्थी (पाँच प्रतिशत) या तो अपात्र पाए गए या मृत घोषित किए गए।

यह इंगित करता है कि संवितरित राशि का करीब पाँच प्रतिशत अपात्र लाभार्थियों को गये होंगे। इस प्रकार, यथासमय सत्यापन से अपात्र लाभार्थियों का पता चल जाता और उन लाभार्थियों को लाभ का अंतरण भी पहले रूक जाता।

2.8.6 लाभार्थियों की संख्या में कमी

कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि प्रथम किस्त और सातवीं किस्त की राशि प्राप्ति के बीच लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी हुई जैसा कि नीचे तालिका 2.10 में वर्णित है—

तालिका 2.10
लाभार्थियों की संख्या में कमी

पंजीकरण की अवधि	योजना के शुरुआत से मार्च 2021 की अवधि के लिए लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान							लाभार्थियों की कमी
	1 दिसम्बर 2018 से 31 मार्च 2019 तक	1 अप्रैल 2019 से 31 जुलाई 2019 तक	1 अगस्त 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक	1 दिसम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 तक	1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक	1 अगस्त 2020 से 30 नवम्बर 2020 तक	1 दिसम्बर 2020 से 31 मार्च 2021 तक	
1/12/2018 से 31/3/2019 तक	7,35,478	7,35,358	7,35,356	7,25,841	7,25,592	7,25,332	7,19,497	15,981
1/4/2019 से 31/7/2019 तक	-	26,46,949	26,46,628	26,10,184	26,09,405	26,07,771	25,92,595	54,354
1/8/2019 से 30/11/2019 तक	-	-	16,16,692	15,94,531	15,94,383	15,94,097	15,85,075	31,617
1/12/2019 से 31/3/2020 तक	-	-	-	13,38,138	13,20,128	13,19,919	13,09,969	28,169
1/4/2020 से 31/7/2020 तक	-	-	-	-	9,86,428	9,86,283	9,86,205	223
1/8/2020 से 30/11/2020 तक	-	-	-	-	-	4,47,187	4,47,039	148
1/12/2020 से 31/3/2021 तक	-	-	-	-	-	-	2,24,182	-
कुल	7,35,478	33,82,307	49,98,676	62,68,694	72,35,936	76,80,589	78,64,562	1,30,492

(स्रोत : कृषि विभाग)

कम से कम एक किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या की तुलना में 1,30,492 लाभार्थियों की समग्र कमी है।

एस.एन.ओ. ने जवाब दिया कि लाभार्थियों की कमी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया गया है। लाभार्थियों की संख्या में कमी के विश्लेषण नहीं करने से योजना का लाभ पाने वाले अपात्र लाभार्थियों से गैर-वसूली तथा साथ ही अनजाने में हुई कतिपय त्रुटियाँ यानी बैंक खाता विवरण में त्रुटियों के कारण गैर-भुगतान आदि के कारण अनुवर्ती किस्त प्राप्त नहीं करने वाले कुछ पात्र लाभार्थियों के जोखिम से भरा है।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि लाभार्थियों की कमी के लिए आयकरदाता लाभार्थी जो अब अपात्र माने गये तथा अन्य अपात्र लाभार्थी जो विभिन्न कारणों से अपात्र हुए, को जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि संगत अवधि में, पूर्वोक्त वर्णित अपात्र लाभार्थियों की संख्या 56,317 थी और इस प्रकार 74,175 लाभार्थी अब भी अलेखांकित थे।

2.8.7 चिन्हित लाभार्थियों की गैर-वैधता

योजना का दिशा-निर्देश प्रावधान करता है कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित लाभार्थियों की सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

इस प्रकार, राज्य के लाभार्थियों की सूची जो राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से चिन्हित किए गए, उनके पहचान की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध थी और एक वर्ष के बाद पुनः सत्यापित किया जाना था। योजना के आँकड़ों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि राज्य के 63,66,837 लाभार्थियों ने 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष से ज्यादा पूरा कर लिया था और इसलिए दिशा-निर्देशानुसार पुनर्सत्यापन की गारंटी मागी। हालाँकि, इन लाभार्थियों के पुनर्सत्यापन करने के लिए राज्य में कोई अभियान कार्यान्वित नहीं किया गया है (अक्टूबर 2021)। यह अपात्र लाभार्थियों की पहचान नहीं होने तथा लाभ प्राप्त करते रहने के जोखिम से भरा था।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि सभी लाभार्थियों का सत्यापन योजना के आने वाले आगामी समाजिक लेखापरीक्षा के दौरान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सत्यापित करने के लिए कि कोई अपात्र या मृत किसान को लाभ मिला डी.ए.ओ. द्वारा निष्पादित सूची कीलन गतिविधि आवश्यक रूप से मौजूदा लाभार्थी सूची का सत्यापन

था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रत्येक किस्त के पहले लाभ अंतरण के लिए सूची कीलन गतिविधि एक सामान्य प्रक्रिया थी और वार्षिक सत्यापन के लिए एक स्थानापन्न के रूप में विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें सभी लाभार्थियों के सत्यापन का परिणाम शामिल नहीं था।

2.8.8 पारदर्शिता एवं सूचना का अभाव

योजना का दिशा-निर्देश प्रावधान करता है कि पात्र लाभार्थियों की सूची गाँव/पंचायत स्तर पर प्रकाशित किये जायेंगे ताकि वे किसान जो पात्र हैं, परन्तु उन्हें बाहर रखा गया है, को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि लाभार्थियों की सूची राज्य में ग्राम/पंचायत स्तर पर प्रदर्शित नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, बहिष्कृत किसानों को उनके मामलों का प्रतिनिधित्व करने के अवसर प्रदान करने का अभीष्ट उद्देश्य सुनिश्चित नहीं किया गया।

आगे, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि कोई पात्र लाभार्थी नहीं छूटे और कि अपात्र लाभार्थियों को हटाया जाए, डी.ए.सी.एफ.डब्ल्यू. ने निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि ग्राम सभा की भागीदारी द्वारा निर्देश की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पूरी हो सकती है। हालांकि, योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा 60 चयनित ग्रामों में से किसी में भी आयोजित नहीं किया गया। इसने योजना के सघन अनुश्रवण के लिए आधारभूत स्तरीय संस्थागत व्यवस्था के लाभों से विभाग को वंचित किया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया कोविड-19 और पंचायत चुनाव के कारण आयोजित नहीं किया जा सका था। विभाग ने 60 दिनों के अन्दर जिला में सामाजिक लेखापरीक्षा करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किया (फरवरी 2022)। हालांकि, ग्राम/पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची के गैर-प्रकाशन के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.8.9 आवेदनों का विलंबित प्रसंस्करण

राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि विभाग द्वारा निर्गत निर्देश (फरवरी 2019) के अनुसार, एक नये लाभार्थी के आवेदन को पाँच दिनों में कृषि समन्वयक द्वारा, पाँच दिनों में सी.ओ. द्वारा, दो दिनों में ए.डी.एम. द्वारा एवं एक दिन में एस.एन.ओ. द्वारा संसाधित किया जाना है। एस.एन.ओ. सभी लाभार्थियों के स्वीकृत आवेदनों के प्रसंस्करण और अपलोड के लिए वास्तविक लिए गए समय का विवरण प्रदान नहीं कर सका।

चयनित 60 ग्रामों के 28,473 लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराए गए आँकड़ों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि आवेदनों को विभिन्न स्तरों पर विलंब से संसाधित किया गया जैसा नीचे तालिका 2.11 में विस्तृत है—

तालिका 2.11
विभिन्न स्तरों पर आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब

क्रम सं०	विलंब सीमा	आवेदनों की संख्या (प्रतिशत)				विलंब के कारण किस्तों की हानि	कुल राशि (₹ लाख में)
		ए.सी.	सी.ओ.	ए.डी.एम.	एस.एन.ओ.		
1	लंबित /अस्वीकृत	671	6890	2774	302	--	--
2	कोई विलंब नहीं	8,373 (29.40)	5,245 (18.86)	10,281 (49.16)	5,686 (31.35)	--	--
3	1-124 दिन	17921 (62.94)	14,059 (50.57)	7,844 (37.51)	12,056 (66.47)	--	--
4	125-249 दिन	951 (3.34)	1,104 (3.97)	11 (0.05)	48 (0.26)	2,114	42.28
5	250-374 दिन	513 (1.80)	400 (1.44)	2 (0.01)	9 (0.05)	1,848	36.96
6	375-499 दिन	44 (0.15)	58 (0.21)	0	4 (0.02)	318	6.36
7	500-624 दिन	0	41 (0.15)	0	32 (0.18)	292	5.84
8	625 दिन से अधिक	0	5 (0.02)	0	1 (0.01)	30	0.60
	कुल	28,473	27,802	20,912	18,138	4,602	92.04

(स्रोत: कृषि विभाग)

ए.सी., सी.ओ., ए.डी.एम. एवं एस.एन.ओ. के स्तर पर क्रमशः 68, 56, 38 एवं 67 प्रतिशत मामलों का विलंबित प्रसंस्करण था। 124 दिनों (एक चतुर्मासिक) से अधिक के लिए आवेदन के प्रसंस्करण में विलंब के परिणामस्वरूप लाभार्थियों को ₹92.04 लाख की राशि के 4,602 किस्तों का गैर-भुगतान हुआ क्योंकि योजना लाभ की पात्रता केवल पोर्टल पर विवरण अपलोडिंग के बाद ही देय होता है।

सचिव, कृषि विभाग ने अपने जवाब में (फरवरी 2022) आवेदनों की बड़ी संख्या एवं भू-अभिलेखों के अपूर्ण डिजिटलीकरण को विलंब के लिए जिम्मेदार ठहाराया।

2.8.10 लंबित आवेदन

लंबित आवेदनों के आँकड़ों की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने दर्शाया कि 6,63,651 एवं 4,85,907 आवेदन विभिन्न स्तरों पर क्रमशः दिनांक 31 मार्च 2021 और 17 सितम्बर 2021 को सत्यापन हेतु लंबित थे जैसा कि तालिका 2.12 में नीचे विस्तृत है-

तालिका 2.12
विभिन्न स्तरों पर लंबित आवेदन

प्रतिवेदन की तिथि	ए.सी. के पास लंबित	सी.ओ. के पास लंबित	ए.डी.एम. के पास लंबित	कुल लंबित आवेदन
31/3/2021	1,76,866	4,16,204	70,581	6,63,651
17/9/2021	2,27,451	2,20,499	37,957	4,85,907

स्रोत: (कृषि विभाग)

एस.एन.ओ. ने, आँकड़ों की बड़ी मात्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए, विभिन्न स्तरों पर विलंबन की अवधि उपलब्ध कराने में कठिनाई व्यक्त की। यह इंगित करता था कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर आवेदनों की विलंबन का अनुश्रवण नहीं किया गया।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि आवेदन एवं सत्यापन एक सतत प्रक्रिया थी और आज तक 92 प्रतिशत आवेदन सत्यापित किए गए थे। हालांकि, विभिन्न स्तरों पर विलंबन के अनुश्रवण के संबंध में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। विलंबित प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप इस अवधि के लिए लाभार्थियों के लाभों की हानि हुई।

2.8.11 किसान क्रेडिट कार्ड के साथ संतृप्ति

भारत सरकार ने राज्य सरकार को एक विशेष 15 दिवसीय अभियान में किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) के साथ सभी पी.एम.-किसान योजना के लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया (फरवरी 2020)। बिहार सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्ति अभियान के लिए पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करना और उसके बाद प्रगति की समीक्षा करनी थी। सभी पी.एम.-किसान लाभार्थी के.सी.सी. के निर्गमन के लिए स्वतः अनुमोदित थे और आवेदन औपचारिकताओं को पूरा करने के अन्तर्गत क्रेडिट सीमा स्वीकृत किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि किसान के रूप में 164.13 लाख भूमि जोतो में से, 81 लाख पी.एम.-किसान लाभों हेतु पंजीकृत थे जबकि राज्य के मात्र 28.42 लाख किसान ही के.सी.सी. धारक थे (मार्च 2021)। इस प्रकार, बिहार सरकार ने के.सी.सी. की संतृप्ति बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम नहीं उठाया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि के.सी.सी. धारकों की संख्या 31.38 लाख (जनवरी 2020) से घटकर 28.42 लाख (मार्च 2021) हो गई। लगभग 56 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध, बिहार में के.सी.सी. की व्याप्ति मात्र 17.32 प्रतिशत थी।

सचिव, कृषि विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग ने पी.एम.-किसान योजना के लाभार्थियों को के.सी.सी. की सहूलियत देने हेतु विशेष अभियान की व्यवस्था की थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 21 मार्च 2020 तक, पी.एम.-किसान के कुल 4,69,524 लाभार्थियों ने के.सी.सी. हेतु आवेदन किया, जिसमें से 3,70,504 आवेदनों को संबंधित बैंक को प्रस्तुत किया गया लेकिन बैंकों द्वारा मात्र 50,678 आवेदन स्वीकृत किये गये।

841 चयनित लाभार्थियों की नमूना-जाँच में लेखापरीक्षा ने देखा कि 73 प्रतिशत लाभार्थियों के पास उनके स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी। अतः, ऐसे लाभार्थियों के नाम पर के.सी.सी. स्वीकृत करना मुश्किल था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने के.सी.सी. के साथ पी.एम.-किसान योजना के सभी लाभार्थियों की संतृप्ति के लिए अभियान चलाने के भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया और क्षेत्रीय कार्यालयों को स्वीकृत लाभार्थियों के कम से कम 10 प्रतिशत को लक्षित करने का निर्देश दिया। इससे न्यूनतम लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात क्षेत्रीय कार्यालय आत्मतुष्ट हो सकते हैं।

2.8.12 कार्यक्रम का प्रभाव मूल्यांकन

यह योजना फरवरी 2019 में प्रारम्भ की गई थी, परन्तु, कृषि विभाग ने योजना के प्रभाव मूल्यांकन का उपक्रम नहीं किया (नवम्बर 2021)। विभाग के पास हितधारकों से फीडबैक प्राप्त और मूल्यांकन करने का कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, योजना के बेहतर संचालन हेतु हितधारकों के फीडबैक के संदर्भ में कोई भी उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा सकी। साथ ही, विभाग पता लगाने की अवस्था में नहीं था कि योजना के अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त हुए अथवा नहीं। तथापि, योजना का लाभ उठाने वाले अपात्र लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या थी, जैसा कि तालिका 2.13 में नीचे विस्तृत है।

तालिका 2.13
अपात्र लाभार्थियों को भुगतान

अपात्रता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
आयकर दाता	48,366	39.05	केंद्र सरकार स्तरीय सत्यापन में उद्घाटित हुआ (नवम्बर 2021) कि 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 48,366 आयकर दाता लाभार्थियों ने ₹39.05 करोड़ की योजना का लाभ प्राप्त किया था। चूँकि वास्तविक सत्यापन का सीमा लेखापरीक्षा को ज्ञात नहीं है अतः अपात्र लाभार्थियों की संख्या और अधिक हो सकती है।
अन्य अपात्रताएँ जैसे नियोजित होना, मृत्यु के मामले, इत्यादि	19,485	23.62	कृषि विभाग ने, विभिन्न सत्यापनों के माध्यम से पाया कि 82,50,032 पंजीकृत लाभार्थियों में से, 19,485 अन्य अपात्र लाभार्थियों ने ₹23.62 करोड़ का योजना लाभ प्राप्त किया था।
अवयस्क	22,301	23.59	10 चयनित जिलों में, 24,545 पंजीकृत अवयस्क लाभार्थियों में से 22,301 (91 प्रतिशत) को ₹23.59 करोड़ का अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया। यह संख्या एवं राशि बढ़ सकती है जब राज्य के सभी 38 जिलों की गणना की जाए।
भूमि नहीं होना	610	0.58	841 चयनित लाभार्थियों में से, 610 (73 प्रतिशत) के पास उनके स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी एवं ₹58.46 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
एक परिवार में एक से अधिक सदस्य	41	0.03	841 चयनित लाभार्थियों में से 41 में (पाँच प्रतिशत) उसी परिवार के एक से अधिक सदस्य लाभार्थी के रूप में थे और ₹3.40 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
मृत/कृषि भूमिहीन/सरकारी सेवक/पेंशनधारी को लाभ	18	0.01	841 चयनित लाभार्थियों में से नौ लाभार्थी मृत थे, छः के पास कृषि भूमि नहीं थी और तीन सरकारी नौकरी में/पेंशनधारी थे एवं ₹1.10 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
आवासीय भूमि के आधार पर लाभ	36	0.05	चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त 36 लाभार्थियों ने आवासीय भूमि (वासगीत पर्चा) के आधार पर ₹4.92 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।
भूमि सत्यापन को दरकिनार करने के कारण अनियमित लाभ	31	0.02	अस्वीकृत आवेदनों (1,20,087) के पुनर्विचार में, सी.ओ. द्वारा भूमि सत्यापन का कोई प्रवाधान नहीं था। नमूना जाँच में उद्घाटित हुआ कि इनमें से, 31 लाभार्थियों, जिनके पास अपने नाम पर भूमि नहीं थी, ने ₹1.72 लाख की राशि का योजना लाभ प्राप्त किया था।

अपात्रता	लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	अभ्युक्तियाँ
अन्य प्रखंडों के भूमि अभिलेखों की अनियमित स्वीकृति	24	0.02	841 चयनित लाभार्थियों में से, सी.ओ. ने लाभार्थियों के 24 आवेदनों को स्वीकृत किया था जिन्होंने अन्य प्रखंडों में भूमि होने का विवरण जमा किया था। परिणामस्वरूप इन लाभार्थियों को ₹2.46 लाख का भुगतान हुआ।
गलत बैंक खातों में अंतरण	175	0.23	चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त, 175 लाभार्थियों से संबंधित ₹22.62 लाख के योजना लाभों को अन्य व्यक्तियों में खातों में अंतरित किया गया।
“भुगतान रोक” अनुरोध के बावजूद भुगतानों का विमोचन	138	0.07	चयनित लाभार्थियों के अतिरिक्त, डी.ए.ओ. के भुगतान रोक की सूचना देने के बाद भी, 138 लाभार्थियों को ₹6.96 लाख भुगतान किया गया।
निष्क्रियता के परिणामस्वरूप कारण अनियमित भुगतान	70	0.07	कृषि समन्वयक के यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड को चोरी करके 98 आवेदनों को अनधिकृत अनुमोदन के परिणामस्वरूप ₹7.40 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।
कुल	91,295	87.34	

(स्रोत: कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय एवं लेखापरीक्षित सत्त्व)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 91,295 अपात्र लाभार्थियों ने ₹87.34 करोड़ की राशि का अदेय लाभ का दावा किया था, जबकि कंडिका संख्या 2.6.1 के तालिका 2.1 के अनुसार, 71,45,065 लाभार्थी शीघ्र ऑनबोर्डिंग की अनुपस्थिति में ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।

सचिव, कृषि विभाग, योजना के प्रभाव मूल्यांकन को संचालित करने संबंधी लेखापरीक्षा अवलोकन से सहमत होते हुए, ने आश्वस्त किया (फरवरी 2022) कि विभाग जल्द से जल्द प्रभाव मूल्यांकन को अंजाम देगा।

2.9 लेखापरीक्षा द्वारा लाभार्थियों का सत्यापन

लेखापरीक्षा ने 300 लाभार्थियों से बातचीत किया, महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार हैं:

- 297 लाभार्थियों ने सूचित किया कि उन्हें सभी किस्तें प्राप्त हुई, और तीन लाभार्थियों को कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई क्योंकि यह प्रक्रियाधीन था।
- छः लाभार्थियों ने उनके परिवार में एक से अधिक लाभार्थी का होना स्वीकार किया। एस.एन.ओ. ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि उनसे वसूली की जाएगी।
- 300 में से 296 लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित नहीं थे। एस.एन.ओ. ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग इन लाभार्थियों तक पहुँचेगा।
- सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से छूटा न हो ग्राम सभा की बैठक को आयोजित करने की जानकारी होने से सभी 300 लाभार्थियों ने इंकार किया। इस संबंध में एस.एन.ओ. द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
- 80 लाभार्थियों ने योजना के तहत शिकायतों के निवारण हेतु किसी विद्यमान तंत्र की जानकारी होने से इंकार किया। एस.एन.ओ. ने जवाब दिया (फरवरी 2022) कि विभाग योजना संबंधी मुद्दों पर सभी किसानों के बेहतर पहुँच पर काम करेगा।

2.10 निष्कर्ष

पी.एम. किसान, भारत सरकार का 100 प्रतिशत वित्त पोषित एक केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत सभी पात्र किसानों को उनकी वित्तीय एवं घरेलू आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति वर्ष ₹6000 की आय सहायता प्रदान करना परिकल्पित है।

योजना के अंतर्गत, लाभार्थियों की पहचान और लाभार्थी विवरण की सत्यता को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अगस्त 2021 तक, अर्थात् लगभग ढाई वर्ष की अवधि में, मात्र 50 प्रतिशत किसानों को ही आच्छादित किया जा सका। अपर्याप्त आच्छादन के लिए विभाग के पास संभावित लाभार्थियों की कोई विद्यमान सूची का नहीं होना, विद्यमान डाटाबेस तक नहीं पहुँचना, राज्य सरकार की तरफ से किसानों के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास का अभाव, ऑफ-लाईन आवेदनों की गैर-स्वीकृति आदि को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य की अपनी शिथिलता के कारण, कम से कम 71,45,065 लाभार्थी शीघ्र ऑनबोर्डिंग के अभाव में ₹3,443.55 करोड़ से वंचित रहे।

चूँकि, कृषि विभाग ने लाभार्थियों द्वारा दिए गए स्व-घोषणा की जाँच हेतु तंत्र का सृजन नहीं किया, 48,366 आयकर दाता लाभार्थियों ने ₹39.05 करोड़ प्राप्त किया (नवम्बर 2021); 19,485 अपात्र लाभार्थियों (लाभार्थियों के नियोजन के आधार पर, मृत्यु के मामले इत्यादि) ने ₹23.62 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया (नवम्बर 2021)। 10 चयनित जिलों में 22,301 (91 प्रतिशत) अवयस्क लाभार्थियों का ₹23.59 करोड़ की राशि का अस्वीकार्य लाभ का भुगतान किया गया क्योंकि पी.एम. किसान के अंतर्गत लाभ का आवेदन ने निर्दिष्ट तिथि अर्थात् 1 फरवरी 2019 को लाभार्थी की आयु को नहीं पकड़ा। इसके अतिरिक्त, 841 चयनित लाभार्थियों में से, 610 (73 प्रतिशत) के पास उनके स्वयं के नाम पर भूमि नहीं थी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया की कमजोरी के कारण योजना मार्गदर्शिका के विपरीत, उन्होंने ₹58.46 लाख का योजना लाभ प्राप्त किया। योजना के लाभों को प्राप्त करने वाले अपात्र लाभार्थियों के मामले जो लेखापरीक्षा के संज्ञान में आए सीमित विश्लेषण पर आधारित थे एवं इसलिए अपात्र लाभार्थियों की वास्तविक संख्या और अधिक हो सकती है।

राज्य के डी.बी.टी. पोर्टल के पास बैंक खाता विवरण जाँचने की सुविधा नहीं थी। फलस्वरूप, विफल एवं लंबित भुगतान के मामले (₹50.48 करोड़), बैंक खाता से संबंधित विसंगतियों के कारण पी.एम. किसान द्वारा 67,535 आवेदनों की अस्वीकृति, गलत बैंक खातों में अंतरण (₹22.62 लाख) आदि देखे गए। असफल एवं लंबित भुगतानों के मामले के साथ-साथ राज्य सरकार की तरफ से आवश्यक सत्यापन में निष्क्रियता के कारण एक ऐसा अनुकूल वातावरण का सृजन कर सकता है जिसमें राशि अभीष्ट प्राप्तकर्ता को अंतरित नहीं किया जा सकेगा।

समर्पित परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) के अभाव में ₹9.48 करोड़ की बड़ी वंचना, क्षेत्रीय संरचनाओं से अनुश्रवण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं करने, अपात्र लाभार्थियों से खराब वसूली (आठ प्रतिशत) एवं वसूली गई राशि (₹5.00 करोड़) का भारत सरकार को गैर-हस्तांतरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र (₹63.40 लाख) का गैर/विलंबित और गलत समर्पण, भुगतान रोक आग्रह के बावजूद ₹6.96 लाख की विमुक्ति, राज्य/जिला स्तरीय समितियों एवं पदनामित अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त बैठक/समीक्षा, शिकायत पदाधिकारियों एवं शिकायत सत्यापन का अभाव, लाभार्थियों में कमी के विश्लेषण के अभाव ने विद्यमान निगरानी प्रक्रिया को और मजबूत करने की आवश्यकता को इंगित किया।

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि लाभार्थी पहचान प्रक्रिया को और मजबूत करने, लाभार्थियों के विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने एवं बेहतर निगरानी के द्वारा योजना के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन दे सकता है।

2.11 अनुशासण

बिहार सरकार –

- किसानों जिसके नाम भू-अभिलेखों में दर्ज हैं के परिवारों के सभी सदस्यों के विवरणयुक्त एक आधार या समान सत्यापन योग्य विशेषता से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस तैयार कर सकती है।
- एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य में भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण एवं डिजिटलीकरण सुनिश्चित कर सकती है।
- लाभार्थियों द्वारा उनकी पात्रता के संबंध में किए गए स्व-घोषणा पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर काम कर सकती है।
- लाभार्थियों के बैंक खातों के सत्यापनों को सुनिश्चित कर सकती है।
- सभी अपात्र लाभार्थियों को निष्क्रिय, उनको भुगतान की गई राशि की वसूली और उनके चयन के लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है।
- योजना के संपूर्ण अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक समर्पित पी.एम.यू. की स्थापना और दोषयुक्त अनुश्रवण के लिए जिम्मेदारी तय करना सुनिश्चित कर सकती है।



अध्याय-III
वित्त विभाग में आंतरिक
नियंत्रण

अध्याय-III

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

3 वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण

3.1 परिचय

वित्त विभाग, बिहार सरकार राज्य सरकार के वित्त प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस विभाग का प्रमुख कार्य और कार्यकलाप बजट तथा वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना, व्यय की निगरानी, कोषागारों का प्रशासन और सरकारी विभागों की आंतरिक लेखा परीक्षा है। इसके अलावा, यह सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) और अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) के रखरखाव और विभागीय प्रेस के मुद्रण कार्यों से संबंधित कार्य भी करता है।

वित्त विभाग का अध्यक्षता एक अपर मुख्य सचिव करते हैं तथा क्रमशः संसाधनों के प्रबंधन और व्यय नियंत्रण के लिए दो सचिवों द्वारा सहायता की जाती है। विभागीय स्तर पर, कोषागार प्रशासन तथा जी.पी.एफ. के रख-रखाव का कार्य क्रमशः उपायुक्त, कोषागार और लेखा एवं उपायुक्त, जी.पी.एफ. की अध्यक्षता में किया जाता है।

प्रमंडल स्तर पर, लेखापरीक्षा निदेशक, वित्त विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित सहायक निदेशक, वित्त लेखापरीक्षा के कार्यालय हैं।

जिला स्तर पर, जिलाधिकारी के नियंत्रण में जिला लेखा अधिकारी (डी.ए.ओ.) पारदर्शी वित्तीय प्रशासन एवं गतिविधियों की निरंतर निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। संबंधित जिलाधिकारी जिला स्तरीय कार्यालयों के वित्तीय और लेखा निरीक्षण, प्रशिक्षण और अभिलेखों के रखरखाव के लिए डी.ए.ओ. की सेवाओं का उपयोग करता है।

3.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने उद्देश्य निर्धारित किया था कि क्या:

- जिला स्तर पर डी.ए.ओ. की कार्यप्रणाली ने निर्धारित वित्तीय प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया;
- सामान्य भविष्य निधि और अंशदायी भविष्य निधि से संबंधित अभिलेखों का प्रावधानों के अनुसार रखरखाव किया गया था;
- प्रभावी निगरानी के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

3.1.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर आयोजित की गई है:

- बिहार सरकार के कार्यपालिका नियमावली, 1979;
- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005;
- बिहार कोषागार संहिता 2011;
- बिहार बजट मैनुअल एवं
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र।

3.1.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

अनुपालन लेखापरीक्षा ने 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि को कवर किया है और इसे दिसंबर 2020 से सितंबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, सरकार स्तर पर वित्त विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् वित्त लेखापरीक्षा और निदेशालय, निदेशक भविष्य निधि पटना के निदेशकों के अभिलेखों की राज्य स्तर पर जाँच की गई। आगे, चुने गए सभी सात प्रमंडल/जिलों¹⁸ के सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा) वित्त, जिला भविष्य निधि अधिकारी (डी.पी.एफ.ओ.), जिला कोषागार पदाधिकारी (डी.टी.ओ.) के अभिलेखों और प्रत्येक जिला का एक प्रखंड विकास अधिकारी¹⁹ (बी.डी.ओ.) एवं क्षेत्रीय स्तर पर अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय (गया और गुलजारबाग) के अभिलेख वित्तविभाग के अधिगत कार्यालयों के नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता और अन्य प्रशासनिक विभागों पर विभाग के नियंत्रण का निर्धारण करने के लिए संवीक्षा की गई।

3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.1 जिला लेखा अधिकारियों की कार्यप्रणाली

बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.) के नियम 10 के अनुसार, विभाग प्रमुख संबंधित वित्तीय नियमों और विनियमों के पालन द्वारा वित्तीय आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेवार है।

जिलों में पारदर्शी वित्तीय प्रशासन एवं इसकी सतत निगरानी बनाए रखने के लिए वित्त विभाग द्वारा डी.ए.ओ. के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया (दिसंबर 2017) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- खातों और अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि बिहार बजट हस्तक, बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियम और समय-समय पर जारी अन्य निर्देश जिला स्तर पर डी.डी.ओ. द्वारा लागू किए जाते हैं।
- बैंक खातों के संचालन एवं बैंकों में जमा राशि की निगरानी करना।
- वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक डी.डी.ओ. के अभिलेखों का निरीक्षण एवं क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों के वित्तीय सलाहकार का कर्तव्य निष्पादित करना।
- जिलों के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों की लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन में निर्देश प्रदान करना।
- जिला स्तरीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- सरकारी कार्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों की जाँच करना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डी.ए.ओ. और सहयोगी सदस्य के लिए पृथक स्थापना के गैर-सृजन के कारण जिलों में कोई उपरोक्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है। सभी 38 जिलों में डी.ए.ओ. का पद स्वीकृत किया गया था। तथापि, नमूना-जाँचित सात जिलों में, केवल चार जिलों में नियमित डी.ए.ओ.²⁰ थे जबकि शेष

¹⁸ भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा एवं सारण

¹⁹ दानापुर (पटना), जगदीशपुर (भागलपुर), मुशहरी (मुजफ्फरपुर); कहरा (सहरसा), बहादुरपुर (दरभंगा), गया सदर (गया) एवं छपरा सदर (सारण)

²⁰ भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और सहरसा

तीन पद बिहार लेखा सेवा के जिला स्तरीय अधिकारियों²¹ के अतिरिक्त प्रभार के रूप में परिचालित थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि भागलपुर और सहरसा जिलों में, डी.ए.ओ. की नियमित पदस्थापना की गई थी, लेकिन इन अधिकारियों को क्रमशः डी.पी.एफ.ओ. और वरिष्ठ कोषागार अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इन कार्यालयों के संचालन के लिए कोई अलग बजट प्रदान नहीं किया गया था और डी.ए.ओ. का कार्यालय जिला अधिकारी के नियंत्रणाधीन अनुभाग रूप में कार्यरत था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नमूना-जाँचित सभी सात कार्यालयों (जुलाई 2021) में वित्तीय प्रावधानों का गैर-अनुपालन, बिहार बजट नियमावली का गैर-अनुपालन, निधियों की बड़ी/विलंब से समर्पण, बैंक खातों के अविवेकपूर्ण संचालन, निधियों का विचलन, निरंतर असमायोजित अग्रिम आदि प्रचलित थे।

3.2.2 बजटीय एवं व्यय नियंत्रण

बिहार बजट नियमावली 2016 के अनुसार, बजट पिछले वर्षों में किए गए वास्तविक व्यय पर आधारित होना चाहिए। पुनः, बिहार बजट नियमावली के अध्याय 4 के नियम 22 में प्रावधान है कि सभी नियंत्रक अधिकारी²² प्राक्कलन तैयार कर अपनी टिप्पणियों के साथ वित्त विभाग को भेजें। आगे उक्त नियमावली के नियम 65 व्याख्या करता है कि नियंत्री अधिकारियों को संवितरण अधिकारी²³ से प्राप्त अनुमानों को यह देखने के लिए कि सही हैं एवं उनमें आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एस. एफ.ए.आर.) (2019-20 तक) वित्तीय मुद्दों के खराब प्रबंधन में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें ए.सी./डी.सी. बिल, बजट आवंटन का गैर-उपयोग, लगातार बचत, अनावश्यक पूरक आवंटन, निधियों का पुनर्विनियोजन, निधियों का पर्याप्त प्रत्यर्पण, व्यय की जल्दबाजी के मामले, निधियों की रुकावट, पी.डी. खाते आदि शामिल हैं। आगे, विभाग के नमूना-जाँचित अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए बजट अनुमानों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वे वास्तविक नहीं थे क्योंकि पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय पर अगले वर्ष के लिए बजटीय अनुमान तैयार करते समय विचार नहीं किया गया था। वित्त विभाग ने पिछले वर्षों के वास्तविक मूल्यांकन के बिना व्यय के कुछ शीर्षों के तहत डी.डी.ओ. को निधियाँ जारी किया और निधियाँ अव्ययित रही और वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह/दिन में व्यपगत/अभ्यर्पण कर दी गई थी (परिशिष्ट-3.1)। वेतन शीर्ष में 12 से 38 प्रतिशत के बीच निधि व्यपगत हुई थी। नमूना-जाँचित कार्यालयों में कार्यालय व्यय, बिजली, यात्रा भत्ता आदि के मदों में भी 100 प्रतिशत निधि व्यपगत/सरेंडर कर दी गई थी (परिशिष्ट-3.2)। लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी उद्घाटित हुआ कि वित्त विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् सरकारी प्रेस (गुलजारबाग, पटना और गया), डी.पी.एफ.ओ., डी.टी.ओ., वित्त लेखापरीक्षा कार्यालय आदि को यात्रा भत्ते, वाहनों के रखरखाव (हालांकि कोई वाहन उपलब्ध नहीं था), प्रकाशन और मुद्रण, मशीन और उपकरण आदि के शीर्षों के तहत निधि का आवंटन किया गया, हालाँकि पिछले पाँच वर्षों में संपूर्ण निधि व्यपगत/अभ्यर्पण कर दी गई थी।

²¹ जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी

²² विभागाध्यक्ष या अन्य विभागीय पदाधिकारी, जिन्हे संबंधित विभाग के व्यय, राजस्व जमा और बजट प्राक्कलन के समर्पण की नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।

²³ बिहार बजट हस्तक के परिभाषा संख्या 25 के अनुसार निकासी एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) का आशय एक राजपत्रित अधिकारी से है जो सरकार की ओर से बिल/चेक की निकासी करने एवं भुगतान के लिए अधिकृत है।

बिहार सरकार ने बजट तैयार करने और आवंटन, ई-बिलिंग, कोषागार प्रणाली, आदाता प्रबंधन आदि सहित सभी वित्तीय लेनदेन ऑनलाइन करने के लिए, 1 अप्रैल 2019 से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी.एफ.एम.एस.) के रूप में लागू किया है।

अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि वित्त विभाग ने राज्य में सी.एफ.एम.एस. शुरू करने से पहले किसी प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित नहीं किया था और रूपरेखा और मामूली सुधार की भी पहचान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप समय-समय पर परियोजना की कई कमजोरियाँ दृष्टिगोचर हुईं। सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से अधिक भुगतान, दोहरा भुगतान, डुप्लिकेट बिल निर्माण (लगभग 1,500 कर्मचारी) के मामले थे। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में इन कमियों के कारण, वित्त विभाग ने व्यावहारिक समाधान के लिए सी.एफ.एम.एस. संस्करण 2.0 को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया था (सितंबर 2019)।

वित्त विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2021) कि वर्षों के दौरान दिए गए अनुपूरक अनुदानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। साथ ही कहा कि भविष्य में, ऐसी गलतियाँ न हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। तथापि, तथ्य रहा है कि डी.ए.ओ. ने पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर बजट अनुमान की तैयारी के लिए बिहार बजट नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया।

3.2.3 निधि का विलंब से अभ्यर्पण/व्यपगत होना

बिहार बजट नियमावली के अनुसार, नियंत्रक अधिकारी द्वारा अनुमानित समस्त बचतों की सूचना पूर्ण विवरण एवं कारणों सहित वित्त विभाग को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। बचत के अभ्यर्पण चालू वर्ष की 15 फरवरी तक भी सूचित किया जाना था।

11 नमूना-जाँचित कार्यालयों²⁴ के अभिलेखों की संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बचतों का वित्त विभाग को अभ्यर्पित करने की समय सीमा का 2016-17 से 2020-21 से डी.डी.ओ. द्वारा पालन नहीं किया गया था। धनराशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह/दिन में अभ्यर्पित किया गया था (तालिका संख्या 3.1):

तालिका संख्या 3.1

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह/दिन में अभ्यर्पित की गई राशि (₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	समर्पण/व्यपगत
2016-17	6.91	6.27	0.64
2017-18	10.03	9.57	0.46
2018-19	10.46	9.73	0.73
2019-20	6.34	5.80	0.54
2020-21	23.72	17.76	5.96
कुल	57.46	49.13	8.33

(स्रोत: नमूना-जाँचित कार्यालयों के अभिलेख)

वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में आवंटित निधि का अभ्यर्पण दर्शाता है कि विभाग निर्धारित वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में विफल रहा। नमूना जाँच किए गए डी.डी.ओ. की वस्तु स्थिति **परिशिष्ट-3.1** में दी गई है।

²⁴ डी.पी.एफ.ओ: मुजफ्फरपुर, गया, पटना, भागलपुर; डी.टी.ओ: मुजफ्फरपुर, गया सहरसा, छपरा; सहायक निदेशक; अंकेक्षण निदेशालय बिहार, पटना; सहायक निदेशक; वित्त अंकेक्षण, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा और सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना

3.2.4 विभिन्न बैंक खातों का संचालन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 34 के अनुसार, सरकारी सेवक/आहरण अधिकारी द्वारा लोक/सरकारी खाते से आहरित राशि सरकार/वित्त विभाग की विशेष अनुमति को छोड़ कर बैंक खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, वित्त विभाग ने 2000 से 2021 की अवधि के दौरान, आठ मौकों पर डी.डी.ओ. द्वारा वित्त विभाग की अनुमति के बिना बैंक खाते खोलने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि विभाग को डी.डी.ओ. द्वारा संचालित एवं बंद बैंक खातों की संख्या के बारे में पता नहीं था। वर्ष 2017 में, (i) बैंक खातों की संख्या की समीक्षा करने और दिसंबर 2017 तक सभी गैर-परिचालन बैंक खातों को बंद करने और (ii) अप्रयुक्त धन को राज्य की समेकित निधि में जमा करने के निर्देश जारी किए गए थे। उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर, बैंक खातों को बंद करने की समय-सीमा (छोटे भुगतानों के लिए एक को छोड़कर) को जून 2020 तक बढ़ा दी गयी थी इसका मार्च 2021 तक भी अनुपालन नहीं किया गया था। नमूना-जाँचित कार्यालयों में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जिला लेखा अधिकारी एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग बैंक खातों को बंद करने एवं राज्य की संचित निधि में राशि जमा करने के निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित नहीं कर सके।

नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि रोकड़ बही में दिखाए गए कुल 98 परिचालित बैंक खातों में से, तीन बी.डी.ओ. द्वारा 25 बैंक खातों में तीन वर्षों से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं था लेकिन ₹1.12 करोड़ राशि शेष थी (परिशिष्ट-3.3)। शेष 73 बैंक खातों में, पाँच बी.डी.ओ. द्वारा 12 निजी प्रक्षेत्र के बैंकों में संचालित किए जा रहे थे जिनमें ₹2.67 करोड़ शेष थी।

लेखापरीक्षा ने आगे निम्नलिखित का अवलोकन किया:

- 29 जिला स्तरीय कार्यालयों²⁵/डी.डी.ओ. की नमूना-जाँच में, सात बी.डी.ओ. समाज कल्याण योजनाओं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार, स्वतंत्रता सेनानी योजना आदि से संबंधित नौ से 28 बैंक खातों का संचालन कर रहे थे। मार्च 2021 तक, नौ डी.डी.ओ.²⁶ के पास कोई भी आधिकारिक बैंक खाता नहीं था और वे आकस्मिक भुगतानों के लिए, कोषागार से अधीनस्थ अधिकारी के व्यक्तिगत खातों में निधि निकाल रहे थे।


डी.पी.एफ.ओ., मुजफ्फरपुर ने कहा कि वित्त विभाग से अनुमति के अभाव में आधिकारिक बैंक खाता नहीं खोला जा सका। सरकारी निधि को अधिकारियों के व्यक्तिगत खातों में रखने के प्रचलन से धोखाधड़ी/गबन की संभावना हो सकती है।

- यह देखा गया कि सभी सात नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. ने मार्च 2021 तक कई बैंक खातों (नौ से 28) को संचालित किया था। सभी 98 बैंक खाते वित्त विभाग की अनुमति के बिना संचालन में थे। ₹52.37 करोड़ संचित रोकड़ बही अंतशेष (मार्च 2021) के विरुद्ध, बैंकों में केवल ₹20.67 करोड़ (39 प्रतिशत) (चार्ट 3.1) शेष थे।

²⁵ डी.पी.एफ.ओ. (7), सहायक निदेशक, वित्त लेखापरीक्षा (7), जिला कोषागार पदाधिकारी (6) और सरकार प्रेस (2)

²⁶ डी.पी.एफ.ओ. (4), सहायक निदेशक, वित्त लेखापरीक्षा (2) और जिला कोषागार पदाधिकारी (3)

चार्ट संख्या 3.1



(स्रोत: नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेख)

उपरोक्त चार्ट में, रोकड़ बही के अंतशेष और बैंक शेष के बीच का अंतर मुख्य रूप से विभिन्न अधिकारियों के साथ असमायोजित अग्रिमों और प्राधिकार के बिना योजना निधियों के विचलन के कारण था। ये राशियाँ उन योजनाओं के विरुद्ध रखी गई थी जो या तो बंद कर दी गई थीं या डी.बी.टी. जैसी अन्य पद्धति से संचालित की गईं। परिणामस्वरूप, विचलन की गई राशि से संबंधित अभिश्रव असमायोजित रहे। नमूना-जाँचित सभी बी.डी.ओ. में बैंक समाशोधन गैर-विद्यमान था। रोकड़ बही बैंक शेष पर आधारित नहीं थी। इन परिस्थितियों में, दुर्विनियोजन की संभावना के अलावा खातों ने सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाया। हालांकि, किसी भी संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

जवाब में विभाग ने कहा कि बैंक खाते खोलने/समीक्षा करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग के नियंत्रण में है। संबंधित वित्तीय प्रावधानों (जैसा कि बी.टी.सी., 2011 के नियम 34,176 और 177 में प्रावधानित एवं विभाग द्वारा जारी सावधिक निर्देश) का प्रशासनिक विभाग द्वारा पालन किया जाना अपेक्षित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन प्रावधानों का इन कार्यालयों में अत्यंत उपेक्षा की गई थी।

3.2.5 निधि का अवरुद्ध होना

वित्त विभाग ने सहायक खातों/रोकड़ बही को समाप्ति का निर्देश दिया (नवंबर 2017) जिनका परिचालन या तो बंद हो गया था या निकट भविष्य में संचालन की कोई संभावना नहीं थी।

अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि सात नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. में से, छः ने समाज कल्याण योजनाओं से संबंधित 203 सहायक रोकड़ बही संधारित रखा, जो या तो बंद कर दी गई थी या डी.बी.टी. के तहत संचालित की गई थी। 2010 से अप्रयुक्त ₹18.21 करोड़ की धनराशि को भी राज्य की संचित निधि में प्रेषित नहीं किया गया था।

वित्त विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2021) कि बी.डी.ओ. द्वारा वित्तीय नियमों के गैर-अनुपालन मामलों को ग्रामीण विकास विभाग (आर.डी.डी.) स्तर पर उठाया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह जिला स्तर पर वित्तीय प्रबंधन के प्रभावी अनुपालन की आवश्यकता को दर्शाता है।

3.2.6 योजना निधि का विचलन

बी.एफ.आर. के नियम 11 में प्रावधान है कि एक नियंत्रण अधिकारी को अवश्य देखना चाहिए कि जिस उद्देश्य के लिए धन निधि प्रदान किया गया था उस पर व्यय किया गया है। वित्त विभाग ने संचित राशि को बैंक खातों के साथ-साथ कोषागार में जमा करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया था।


सात नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि योजना निधियों से ₹15.26 करोड़ का विचलन था जिसके व्यय अभिश्रव को समायोजित किया जाना शेष था जिसके लिए सक्षम प्राधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान डी.डी.ओ. वार असमायोजित अभिश्रव की मात्रा में वृद्धि हुई जैसा नीचे चार्ट संख्या 3.2 में दी गई है:-

चार्ट संख्या 3.2

नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. में मार्च 2021 तक असमायोजित अभिश्रवों के रूप में निधियों के विचलन की स्थिति

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेख)

यह आगे भी देखा गया कि बी.डी.ओ., बहादुरपुर (दरभंगा) में मार्च 2015-16 से पहले की अवधि से संबंधित ₹1.33 करोड़ की राशि के अभिश्रव गायब थे जिससे संभावित गबन हुआ।

वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमति व्यक्त की और कहा (दिसम्बर 2021) कि निधियों को केवल उन्हीं उद्देश्यों पर खर्च किया जाना चाहिए जिनके लिए उन्हें आवंटित किया गया था और बी.डी.ओ. द्वारा वित्तीय नियमों के गैर-अनुपालन के लिए उन मामलों को आर.डी.डी. के साथ उठाया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि न तो कभी कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई या कभी जिम्मेदारी तय की गई।

3.2.7 असमायोजित अग्रिम

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 318 में प्रावधान है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभागीय अग्रिमों को आहरण के बारह महीनों के भीतर समायोजित/वसूली किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को डी.डी.ओ. के पास पड़े असमायोजित अग्रिमों की समीक्षा के लिए निर्देश जारी किए (मई 2020)। डी.ए.ओ. को कार्यालय प्रमुखों/डी.डी.ओ. द्वारा अग्रिम की राशि और उनके समायोजन की निगरानी करने की भी आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि सात बी.डी.ओ. सहित 29 नमूना-जाँचित कार्यालयों में से, 11 कार्यालयों में 1993-94 से असमायोजित/अप्राप्त अग्रिमों के लंबित मामले थे (तालिका संख्या 3.2) :

तालिका संख्या 3.2
नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. में मार्च 2021 तक असमायोजित/अप्राप्त अग्रिमों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	बी.डी.ओ. का नाम	रोकड़ बही के अनुसार असमायोजित अग्रिम	अग्रिम ²⁷ रजिस्टर के अनुसार दिया गया अग्रिम			तब से लंबित
			अन्य विभागों के अधिकारी	निजी पक्ष/ संस्थानों	खुद का अधिकारी/ कर्मचारी	
1	जगदीशपुर, (भागलपुर)	76.00	32.00	10.16	38.08	1993-94 के बाद से
2	मुशहरी, (मुजफ्फरपुर)	43.00	19.32	2.14	23.40	2016 से पहले से
3	बहादुरपुर, (दरभंगा)	688.00	167.74	1.63	509.45	1993-94 के बाद से
4	सदर गया, (गया)	31.28	25.81	1.15	4.33	2015 के पूर्व से
5	सदर छपरा (सारण)	57.17	8.61	16.38	16.33	2013-14 के बाद से
6	कहरा, (सहरसा)	421.00	169.91	48.19	196.52	1996-97 के बाद से
7	दानापुर (पटना)	177.00	विवरण उपलब्ध नहीं है-			2016 के पूर्व से
	कुल	1,493.45	423.39	79.65	781.65	

(स्रोत: नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. के अभिलेख)

मार्च 2021 तक वसूली/समायोजन के लिए लंबित ₹14.93 करोड़ का उपरोक्त अग्रिम ने नमूना-जाँचित बी.डी.ओ. के पास उपलब्ध अंतशेष का 28 प्रतिशत बना दिया। बी.डी.ओ. ने पंचायत सचिवों, कनीय अभियंताओं, मुखियाओं और यहाँ तक कि निजी पक्षों/फर्मों आदि को भी अग्रिम दिया था। हालाँकि, जिन व्यक्तियों को अग्रिम निर्गत थे, उनका विवरण अग्रिम पंजी में संघारित किया गया था। इसलिए, लगभग 30 वर्षों से लंबित अग्रिम की वसूली की अल्प संभावना थी। कुछ मामलों को नीचे विशिष्ट रूप से दर्शाया गया:

- बी.डी.ओ., दानापुर (पटना) ने ₹1.77 करोड़ के अग्रिमों का विवरण (नाम, तब से लंबित, राशि, उद्देश्य आदि) प्रस्तुत नहीं किया और ऐसे विवरणों के अभाव में अग्रिमों को समायोजित करने या वसूल करने की कोई संभावना नहीं थी। संबंधित अभिलेखों का अभाव भी संभावित दुर्विनियोजन का सूचक था।
- बी.डी.ओ., जगदीशपुर (भागलपुर) ने अधिकारियों को ₹33.17 लाख का अग्रिम दिया था जिसे समय-समय पर समायोजित नहीं किया गया था। इन सभी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु हो गई थी और इसलिए उनकी वसूली की कोई संभावना नहीं थी।
- बी.डी.ओ., बहादुरपुर (दरभंगा) के मामले में बिना रसीद के 137 लोगों को ₹32.90 लाख की राशि दी गई थी। इसके अलावा, ₹14.88 लाख की राशि बिना किसी सहायक अभिश्रवों के रोकड़ वही में समायोजित के रूप में दर्ज थी।

²⁷ डी.डी.ओ. के अग्रिम रजिस्टर में दिए गए विवरण अद्यतन नहीं किए गए थे और रोकड़ बही के अंत शेष से मेल नहीं खाते थे।

- बी.डी.ओ., छपरा (सारण) ने विभिन्न अधिकारियों को सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत लाभार्थियों को निधि के वितरण के लिए ₹19.98 करोड़ का अग्रिम दिया, जिसमें से ₹10.89 करोड़ की एक राशि का समायोजन बिना अभिश्रव के किया गया (जुलाई 2021)।
- बी.डी.ओ., कहरा (सहरसा) में कैश बुक के अनुसार ₹6.71 लाख के अग्रिम, अग्रिम पंजी (सितंबर 2021) से मेल नहीं खाया। अभिश्रवों की अनुपस्थिति के साथ-साथ अभिलेखों का अनुचित रखरखाव सरकारी धन के संभावित दुर्विनियोजन को दर्शाया।

वित्त विभाग ने अपने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2021) कि बी.डी.ओ. द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के मुद्दे को आर.डी.डी. के साथ उठाया गया है और अग्रिमों के समायोजन के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि बिना सहायक अभिश्रव के अग्रिमों के भुगतान/समायोजन, निजी पार्टियों और अन्य को 30 से अधिक वर्षों के लिए असमायोजित अग्रिम आदि गबन/भ्रष्टाचार/धोखाधड़ी आदि के जोखिम से भरे हुए थे। एक स्वतंत्र जाँच की जानी चाहिए और संबंधित शामिल की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

पुनः, वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन शेष चार कार्यालयों²⁸ में, आपूर्तिकर्ताओं को मुद्रण कार्य के लिए दिए गए अग्रिम (₹47.87 लाख) और कर्मचारियों को दिए गए अस्थायी अग्रिम (₹0.57 लाख) 2006-07 से असमायोजित रहे।

3.2.8 अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन

दो बी.डी.ओ.²⁹ के मामले में, अप्रैल 2015 से दिसंबर 2020 तक, ₹22.02 करोड़ मूल्य के 287 चेक जारी करने का उद्देश्य अभिलेख में नहीं था (परिशिष्ट-3.4)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि बी.डी.ओ., दानापुर के कार्यालय में, ₹0.55 लाख की राशि की निकासी नाजीर (कैशियर) द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के बाद भी बैंक से की गई।

उत्तर में, वित्त विभाग ने बताया (दिसम्बर 2021) कि लेखापरीक्षा अवलोकन ग्रामीण विकास विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित था।

वित्त विभाग का उत्तर बेपरवाह रवैया का एक प्रतिबिम्ब है।

3.3 सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना (सी.पी.एस.) खातों का अनियमित रखरखाव

3.3.1 जी.पी.एफ. खातों का गैर-रखरखाव

जी.पी.एफ. खातों के रखरखाव का कार्य राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 1985 में महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार से ले लिया गया था। सरकार द्वारा जारी निर्देशों (दिसंबर 1985) के अनुसार, भविष्य निधि कार्यालयों के कामकाज का विवरण और प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक के अभिलेख के रखरखाव की प्रणाली के साथ-साथ जी.पी.एफ. से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

- डी.डी.ओ. को कटौती अनुसूची के साथ वेतन बिल तैयार करने और भुगतान के लिए कोषागार में भेजना अपेक्षित था।

²⁸ सरकारी प्रेस गुलजारबाग (₹42.18 लाख), सरकारी प्रेस गया (₹5.69 लाख), डी.टी.ओ. भागलपुर (₹0.26 लाख) और डी.टी.ओ. गया (₹0.31 लाख)।

²⁹ दानापुर (पटना) और मुशहरी (मुजफ्फरपुर)।

- कोषागार कार्यालय को क्रमशः अखिल भारतीय संवर्ग/राज्य संवर्ग तथा अन्य अधिकारियों के संबंध में भविष्य निधि निदेशालय (पी.एफ.डी.) एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय (डी.पी.एफ.ओ.) को सरकारी अधिकारियों के वेतन बिल अनुसूची के साथ कोषागार अभिश्रव नंबर (टी.वी. नंबर) प्रदान करना अपेक्षित था।
- पी.एफ.डी. और डी.पी.एफ.ओ. को सरकारी आदेश (दिसंबर 1985) के अनुसार अभिदाताओं के जी.पी.एफ. के लिए जी.पी.एफ. अंशदान बहीखाता संधारित करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सात नमूना-जाँचित जिलों में, सरकार द्वारा निर्धारित अभिलेखों के आधार पर अभिदाताओं की जी.पी.एफ. गणना नहीं की जा रही थी। सेवानिवृत्त अधिकारियों के जी.पी.एफ. विवरणी डी.डी.ओ. द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर तैयार किए गए थे, जो गलत विवरणों के जोखिम से भरा था। परिणामस्वरूप, 1986 से 2011-12 की अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा किए गए जी.पी.एफ. अंशदान की राशि उपलब्ध नहीं थी। मार्च 2012 में समेकित कोषागार प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी.टी.एम.आई.एस.) के संचालन के बाद ही थी कि कुछ विवरण उपलब्ध हुए। अभिलेखों के गैर-रखरखाव के कारण पी.एफ.डी. के पास उपलब्ध कुल 1,70,520 में से, 27,237 (16 प्रतिशत) जी.पी.एफ. ग्राहकों के खातों में कोई विवरण नहीं था और सी.टी.एम.आई.एस. में 1 अप्रैल 2012 को शून्य प्रारंभिक शेष राशि के साथ खोला गया था।

भविष्य निधि निदेशालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि शून्य शेष मामलों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निदेशक, भविष्य निधि, बिहार के अनुसार, शून्य शेष के 27,525 मामलों में से, 14,538 मामलों का समाधान किया गया है और 12,714 मामले हल करने हैं तो प्रक्रियाधीन हैं (जनवरी 2021)। आगे की अद्यतन स्थिति प्रतीक्षित है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान शून्य शेष के मामले डी.पी.एफ.ओ. स्तर पर निरंतर पाए गए।

3.3.2 अंशदायी पेंशन योजना अभिदाताओं को लाभ से वंचित करना

अंशदायी पेंशन योजना (सी.पी.एस.) योजना, 2005 उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी जो राज्य सरकार की सेवाओं में सितंबर 2005 और मार्च 2010³⁰ के बीच सेवा में शामिल हुए थे। इस योजना में कर्मचारियों के वेतन से मूल वेतन के 10 प्रतिशत की कटौती की परिकल्पना की गई थी, जिसे फंड के प्रबंधन के लिए समान सरकारी योगदान के साथ नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) को हस्तांतरित किया जाना था। ब्याज प्रचलित जी.पी.एफ. योजना के बराबर देय था। योजना के प्रत्येक लाभार्थी को कटौती, योगदान और उस पर देय ब्याज की रिकॉर्डिंग के लिए डी.पी.एफ.ओ. स्तर पर एक स्थायी पेंशन खाता संख्या (पी.पी.ए.एन.) आवंटित की जानी थी।

भविष्य निधि निदेशालय (पी.एफ.डी.), पटना में उपलब्ध अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 26,932 सी.पी.एस. अभिदाता 2005-06 से 2009-10 के दौरान सेवा में शामिल हुए थे। तथापि, एक अभिदाताओं द्वारा किया गया अंशदान और सरकार द्वारा समान अंशदान सहित उन्हें देय ब्याज का विवरण अभिलेखों के गैर-रखरखाव के कारण पी.एफ.डी. के पास नहीं था।

³⁰ नई पेंशन योजना मार्च 2010 के बाद नई नियुक्तियों के लिए लागू की गई थी।

तथापि, यह लेखा परीक्षा द्वारा महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार को वित्त विभाग और कोषागार द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया था। मार्च 2010 तक सी.पी.एस. योगदान के रूप में शीर्ष 8011 के तहत मार्च 2010 तक संचित सी.पी.एस. योगदानों के ₹70.17 करोड़ में से, ₹41.32 करोड़ को अभी तक हस्तांतरित किया जाना था। परिणामस्वरूप, अभिदाताओं को उनके अपने हिस्से की राशि, सरकारी अंशदान और उनके खिलाफ देय ब्याज के लाभ से वंचित कर दिया गया था। इस बारे में पी.एफ.डी. को बताए जाने पर, उनकी ओर से कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गई।

3.4 आंतरिक लेखा परीक्षा

यद्यपि वित्त विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा 1953 से अस्तित्व में था, विभाग ने लेखापरीक्षा करने के लिए कोई कोड/मैनुअल, मार्गदर्शक सिद्धांत आदि विकसित/प्रकाशित नहीं किया। अपने उत्तर में (फरवरी 2021), लेखापरीक्षा निदेशालय ने कहा (फरवरी 2021) कि लेखापरीक्षा कोड, ऑडिट मैनुअल और दिशानिर्देश पहली बार तैयार किए जा रहे थे।

3.4.1 लेखापरीक्षा प्रबंधन

लेखापरीक्षा निदेशालय, (वित्त विभाग) ने लेखापरीक्षित इकाइयों की वास्तविक संख्या साथ ही साथ राज्य में लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की लेखापरीक्षा की स्थिति जानने के लिए किसी अभिलेख के संबंध में संधारण नहीं किया था। ऐसे मूल अभिलेखों के अभाव में, निदेशालय यह जानने की स्थिति में नहीं था कि किसी विशेष इकाई की लेखापरीक्षा के होने का पता लगाने की स्थिति में नहीं था।

राज्य में अप्रैल 2015 से मार्च 2021 के दौरान नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। जोखिम निर्धारण पर आधारित कोई लेखापरीक्षा योजना नहीं थी। हालांकि, विशेष लेखापरीक्षा केवल विशिष्ट विभाग/कार्यालय द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर की गई थी। जाँच में पाया गया हुआ कि उक्त अवधि के दौरान प्राप्त 498 मांगों में से, 261 अनुरोधों (52 प्रतिशत) का लेखापरीक्षा कार्य पूरा किया गया था, 14 को अधूरा छोड़ दिया गया था और 30 मामलों में, लेखापरीक्षा कार्य प्रगति पर था (मार्च 2021)। शेष 193 मांगों में से, 143 (29 प्रतिशत) अनुरोधों के लिए कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था हालांकि लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई थी। 50 (10 प्रतिशत) अनुरोधों की योजनाओं को निदेशालय द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी था।


लेखापरीक्षा निदेशालय ने कहा कि लेखापरीक्षा कर्मियों की कमी तथा लेखापरीक्षित इकाइयों द्वारा अभिलेखों का गैर-प्रस्तुतीकरण लेखापरीक्षा कार्य के गैर-प्रारंभ/गैर-सम्पादन का मुख्य कारण था। तथ्य यह है कि वित्त विभाग की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभावित हुई और परिणामस्वरूप वित्तीय मामलों में आंतरिक निगरानी के कार्य कमजोर हो गए।

3.5 कार्यबल की कमी

वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन नमूना-जाँच किए गए कार्यालयों अर्थात् लेखापरीक्षा कार्यालय, डी.पी.एफ.ओ., डी.टी.ओ. और सरकारी प्रेस की कुल स्वीकृत संख्या तथा उनमें कार्यरत बल नीचे चार्ट 3.3 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट 3.3

स्वीकृत बल (एस.एस.) और मानव बल की उपलब्धता की स्थिति (एम.आई.पी.) मार्च 2021



(स्रोत: विभाग के अभिलेख)

लेखापरीक्षा निदेशालय विंग में, 84 प्रतिशत पद रिक्त थे। लेखापरीक्षा कर्मियों की भारी कमी थी। श्रेणीवार स्वीकृत संख्या के साथ-साथ कार्यरत-बल को नीचे तालिका संख्या-3.3 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या-3.3

मार्च 2021 तक लेखापरीक्षा निदेशालय, वित्त विभाग के कार्यालय की श्रेणीवार रिक्ति की स्थिति

पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
निदेशक, संयुक्त, निदेशक, उपनिदेशक, अवर सचिव	प्रशासनिक अधिकारी	18	0	18 (100)
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी	लेखापरीक्षा कार्मिक	268	23	245 (91)
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी		275	0	275 (100)
वरिष्ठ लेखापरीक्षक / लेखा परीक्षक		876	192	684 (78)
अनुभाग अधिकारी, सहायक, यूडीसी आदि	अन्य आधिकारिक कर्मचारी	137	31	106 (77)
कुल		1,574	246	1,328 (84)

(स्रोत: निदेशक, वित्त (लेखापरीक्षा) कार्यालय के अभिलेख)

लेखापरीक्षा ने देखा कि वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (व.ले.प.अ.), लेखापरीक्षा अधिकारी (ले.प.अ.) और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (स.ले.प.अ.) के पद केवल 2018-19 के दौरान स्वीकृत किए गए थे। 1,419 लेखापरीक्षा कर्मियों³¹ की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 215 (15 प्रतिशत) कार्यरत थे।

उत्तर में, सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा निदेशालय, पटना ने कहा (फरवरी 2021) कि 138 स.ले.प.अ. की नियुक्ति के लिए मांगपत्र बी.पी.एस.सी को भेजी गई थी। अधीक्षक, गुलजारबाग मुद्रणालय, पटना ने स्वीकार किया (फरवरी 2021) कि कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के पास 1996 से लंबित थी जबकि राजकीय मुद्रणालय, गया ने कहा कि वित्त विभाग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा था (अक्टूबर 2021)।

³¹ लेखापरीक्षक, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

3.6 निष्कर्ष

वित्त विभाग ने जिला स्तरीय डी.डी.ओ. द्वारा पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला लेखा अधिकारी के पद के उचित/प्रभावी काम काज को सुनिश्चित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय अनुशासन का पूर्ण अभाव था। वर्ष 2019-20 तक बिहार के एस.एफ.ए.आर. (एस.एफ.ए.आर.) में बजटीय और वित्तीय मामलों में विभाग के घाटे के प्रबंधन को बार-बार उजागर करने के बावजूद, निधि के समर्पण/व्यपगत, कई बैंक खातों के अंधाधुंध संचालन, निधि के विचलन, लगातार अनुचित अग्रिम आदि के मामले जिला/प्रखण्ड स्तर के कार्यालयों में बने थे। सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी पेंशन योजना खातों के रख-रखाव में अनियमितताएं थीं जिनमें गबन और धोखाधड़ी की संभावना थी। वित्त विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था के अपर्याप्त प्रबंधन ने वित्तीय नियमों/विनियमों/अनुदेशों के अनुपालन की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के अपने इच्छित उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। जिला भविष्य निधि कार्यालयों, जिला कोषागार कार्यालयों और आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवबल की भारी कमी थी जिसने अंततः आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जिससे सरकारी निधि की दुर्विनियोजन, गबन, धोखाधड़ी आदि की संभावना पैदा होती है। इन सभी ने वित्त विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को प्रभावित किया जहाँ लेखापरीक्षा केवल आग्रह के आधार पर थी।

अध्याय-IV
अवसर बढ़े आगे पढ़े
के अन्तर्गत स्थापित
अभियंत्रण एवं
पॉलिटैक्निक संस्थानों की
कार्यपद्धति

अध्याय-IV

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

4 अवसर बढ़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों की कार्यपद्धति

4.1 परिचय

“अवसर बढ़े आगे पढ़े” (ए.बी.ए.पी.) बिहार सरकार (बि.स.) द्वारा घोषित (दिसम्बर 2015) सुशासन कार्यक्रम (2015–20) के अन्तर्गत सात निश्चय में से एक है। इसे राज्य में उच्चतर, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया ताकि आर्थिक एवं सामाजिक तरक्की में युवाओं के योगदान को सुगम किया जा सके। ए.बी.ए.पी. के तहत (i) स्वास्थ्य, (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और (iii) श्रम संसाधन विभागों के अन्तर्गत नौ³² प्रकार के संस्थानों को स्थापित किया जाना था। लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एस. एण्ड टी.) के अंतर्गत संस्थानों का चयन किया गया।

4.1.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य आकलन और जाँच करना था कि क्या:—

- संस्थानों की स्थापना एवं संचालन हेतु योजना के कार्यान्वयन की आयोजना सुदृढ़ थी एवं प्रभावी रूप से अमल में लाई गई थी;
- निधि प्रावधान पर्याप्त थी और इसका उपयोग दक्ष था;
- कार्यशाला उपकरण आदि सहित आधारभूत संरचना, और मानव बल, पर्याप्त प्रभावी एवं निर्धारित मानदंडों के अनुरूप थे और;
- अनुश्रवण तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से संचालित थी।

4.1.2 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये थे :—

- बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 एवं बिहार कोषागार संहिता, 2011।
- समय-समय पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.), भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड।
- बिहार सरकार तथा एस. एण्ड टी. विभाग द्वारा निर्गत आदेश, परिपत्र, दिशा-निर्देश इत्यादि।

4.1.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र, नमूना और कार्यप्रणाली

2016 से 2021 की अवधि को आवृत्त करते हुए सितम्बर 2020 से मार्च 2021 के दौरान विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई। मुख्यालय स्तर पर प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा क्षेत्रीय स्तर पर प्राचार्य (अभियंत्रण महाविद्यालय एवं

³² स्वास्थ्य विभाग (i) प्रत्येक जिला में एक जी.एन.एम. स्कूल (ii) प्रत्येक जिला में एक पारामेडिकल संस्थान (iii) प्रत्येक जिला के सभी चिकित्सा महाविद्यालय में एक नर्सिंग महाविद्यालय में एक नर्सिंग महाविद्यालय (iv) प्रत्येक अनुमंडल में एक ए.एन.एम. स्कूल (v) राज्य में पाँच और नए चिकित्सा महाविद्यालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- (vi) प्रत्येक जिला में एक पॉलिटेक्निक संस्थान (vii) प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय। श्रम संसाधन विभाग- (viii) प्रत्येक जिला में एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और (ix) प्रत्येक अनुमंडल में एक सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान।

पॉलिटैक्निक संस्थान) के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जाँच की गई। 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों में से छः³³ और 15 पॉलिटैक्निक संस्थानों में से तीन³⁴ का चयन स्तरीकृत नमूना विधि से किया गया।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छाओं का जवाब, प्रश्नावली के जरिए सूचना का संग्रहण, प्रपत्र इत्यादि से बना है।

4.2 योजना एवं वित्तीय प्रबंधन

4.2.1 संस्थानों की स्थापना के लिए योजना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस. एण्ड टी.) विभाग सभी 38 जिलों में प्रत्येक एक अभियंत्रण महाविद्यालय और एक पॉलिटैक्निक संस्थान की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी था। सात जिलों में सात अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 23 जिलों में 29 पॉलिटैक्निक संस्थान पहले से ही चल रहे थे। बि.स. ने तदनुसार सभी जिलों में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटैक्निक संस्थान को सुनिश्चित करने के लिए ₹3,015.96 करोड़ की लागत से 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों (25 नये एवं छह पूर्व स्वीकृत) एवं ₹841.10 करोड़ की लागत से 15 पॉलिटैक्निक संस्थानों (11 नये एवं चार पूर्व स्वीकृत) की स्थापना हेतु योजना स्वीकृत किया (फरवरी 2016)। भवनों का निर्माण तथा संस्थानों की स्थापना एवं शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 2016-21 की अवधि के दौरान पूरा किया जाना था। इस प्रकार, राज्य में 38 अभियंत्रण महाविद्यालयों और 44 पॉलिटैक्निक संस्थानों की कुल संख्या होने जा रहा था।

4.2.2 वित्तीय प्रबंधन

बि.स. ने 46 अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटैक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु ₹3,857.06 करोड़ स्वीकृत किया (फरवरी 2016)। योजना के अंतर्गत, भवन निर्माण के लिए निधि को "मांग संख्या 3 मुख्य शीर्ष 4202" के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग (बी.सी.डी.) को प्रावधानित किया गया और भूमि का अधिग्रहण, मशीन व उपकरण, फर्नीचर इत्यादि के क्रय हेतु निधि के लिए "मांग संख्या 43 मुख्य शीर्ष 4202" के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रावधानित किया गया।

2016-21 के दौरान योजना की वित्तीय स्थिति (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय को छोड़कर) तालिका 4.1 में दर्शाई गई है :-

तालिका सं.-4.1
योजना की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण बजट प्रावधान का प्रतिशत	बजट प्रावधान	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण (बजट प्रावधान का प्रतिशत)
माँग संख्या 43, एस. एण्ड टी. विभाग				माँग संख्या 03, बी.सी.डी. विभाग				
1	2	3	4	5 (2-4)	6	7	8	9 (6-8)
2016-17	100.00	65.01	55.83	44.17 (44)	500.00	102.65	99.38	400.62 (80)
2017-18	87.45	32.33	25.87	61.58 (70)	305.00	271.47	233.60	71.40 (23)
2018-19	82.50	56.41	47.50	35.00 (42)	575.00	546.79	518.78	56.22 (10)
2019-20	88.50	55.93	41.56	46.94 (53)	665.00	654.68	641.94	23.06 (03)
2020-21	63.06	59.88	56.88	6.18 (10)	610.00	602.23	590.17	19.83 (03)
कुल	421.51	269.54	227.64	193.88 (46)	2,655.00	2,177.82	2,083.87	571.13 (22)

(स्रोत:-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

³³ अभियंत्रण महाविद्यालय- बख्तियारपुर, बेगूसराय, बक्सर, पूर्णिया, रोहतास, एवं वैशाली।

³⁴ पॉलिटैक्निक संस्थान- जहानाबाद, समस्तीपुर एवं पश्चिम चम्पारण।

उपरोक्त **तालिका** से देखा जाता है कि कुल बजट प्रावधान का 46 और 22 प्रतिशत वर्ष 2016–21 के दौरान क्रमशः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भवन निर्माण विभाग द्वारा अभ्यर्पण किया गया था। इसका कारण भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, भवनों का विलंबित निर्माण था परिणामस्वरूप संस्थानों की स्थापना/कार्यसंचालन में विलंब था। यहाँ उल्लेख करना जरूरी है कि योजना अवधि मार्च 2021 तक थी, लेकिन 46 में से 18 भवनों का निर्माण निधियों के प्रावधान के बावजूद पूरा नहीं हुआ था।

4.2.3 वित्तीय प्रबंधन में विसंगतियाँ—

लेखापरीक्षा के दौरान, योजना के वित्तीय प्रबंधन में निम्नलिखित विसंगतियाँ देखी गईं—

➤ निधियों की अधिक स्वीकृति

विभाग के अभिलेखों की नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि वर्ष 2016–21 के दौरान 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु ₹84.00 करोड़ (मार्च 2016) की अधिक स्वीकृति थी। ₹3.50 करोड़ की एक राशि प्रतिवर्ष प्रति संस्थान आवर्ती व्यय हेतु स्वीकृत किया गया था। यह राशि ₹192.50 करोड़ होनी चाहिए थी किन्तु गलत गणना ₹276.50 करोड़ के रूप में की गई, परिणामस्वरूप ₹84.00 करोड़ की अधिक स्वीकृति हुई। (परिशिष्ट 4.1)

➤ जी.एस.टी. के तहत टी.डी.एस. की कटौती नहीं किया जाना

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 (1) और बिहार वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 कर योग्य वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान से दो प्रतिशत की दर से कर की कटौती का प्रावधान करता है, जहाँ आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक होता है।

विभाग के अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि 12 अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों³⁵ के लिए पूर्वनिर्मित पोर्टेबल केबिनो (कर योग्य उत्पाद) की आपूर्ति की तरफ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (बी.पी.बी.सी.सी.) को ₹16.20 करोड़ (मार्च 2019) का भुगतान करते समय, ₹32.40 लाख की राशि की टी.डी.एस. कटौती नहीं की गई। आगे, 19 अभियंत्रण महाविद्यालयों³⁶ के लिए कम्प्यूटर (कर योग्य उत्पाद) की आपूर्ति के विरुद्ध तरफ बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (बेल्ट्रॉन) को ₹8.15 करोड़ (जुलाई 2019) का भुगतान करते समय ₹16.30 लाख की टी.डी.एस. राशि की कटौती नहीं की गई।

➤ वैट के टी.डी.एस. की गैर-कटौती

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 40 (1) प्रावधान करता है कि करयोग्य उत्पाद की बिक्री/आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान के समय पर निर्दिष्ट दर पर कर की कटौती की जाएगी, जहाँ आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख और पचास हजार रुपये से अधिक होता है।

बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, पटना के अभिलेखों के नमूना जाँच में उद्घाटित हुआ (जनवरी 2021) कि करयोग्य वस्तु की आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता (मार्च 2016) को ₹1.27 करोड़ का भुगतान करते समय ₹13.70 लाख की राशि के टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। उसी प्रकार, करयोग्य वस्तुओं की आपूर्ति के विरुद्ध तरफ आपूर्तिकर्ता को ₹2.36 करोड़ का

³⁵ अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा एवं रोहतास, पॉलिटेक्निक संस्थान भागलपुर, गया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पाटलीपुत्र पटना, सहरसा, सारण, शिवहर एवं महिला पॉलिटेक्निक फुलवारीशरीफ पटना।

³⁶ अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान, एवं पश्चिम चम्पारण।

भुगतान करते समय (सितम्बर 2016 से मार्च 2017) शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास द्वारा ₹18.64 लाख की राशि की टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी।

दोनों संस्थानों के प्राचार्य ने जवाब दिया (जनवरी/फरवरी 2021) कि टी.डी.एस. की कटौती जानकारी की कमी के कारण नहीं की गई थी।

➤ अग्रिम का अनियमित भुगतान

बिहार कोषागार संहिता, (बी.टी.सी.), 2011 के नियम 176 प्रावधान करता है कि किसी राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तत्काल भुगतान के लिए इसकी आवश्यकता न हो। बी.टी.सी. का नियम 177 यह प्रावधान करता है कि किसी राशि को बजट के व्यपगत होने से रोकने के लिए निकाला नहीं जायेगा। आगे, बिहार वित्तीय नियमावली (बी.एफ.आर.) 2005 के नियम 131(Q) प्रावधान करता है कि साधारणतः, आपूर्ति किये जाने के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए।

हालाँकि लेखापरीक्षा ने देखा कि

- उपरोक्त वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हुए ₹23.86 करोड़ की लागत के साथ 12 अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटैक्निक संस्थानों के लिए पूर्वनिर्मित पोर्टेबल केबिनो की आपूर्ति/निर्माण हेतु विभाग ने बी.पी.बी.सी.सी. को ₹16.20 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया (मार्च 2019)।
- विभाग ने उपरोक्त वर्णित नियमों के उल्लंघन में 19 अभियंत्रण महाविद्यालयों को कम्प्यूटरों एवं प्रिन्टरों इत्यादि की आपूर्ति हेतु अग्रिम बीजक चालान के विरुद्ध बेल्ट्रॉन को सौ प्रतिशत अग्रिम के रूप में ₹8.15 करोड़ का भुगतान किया (जुलाई 2019)। अग्रिम भुगतान के बावजूद बेल्ट्रॉन ने अग्रिम का उपयोगीकरण समर्पित नहीं किया था।

4.3 संस्थानों की स्थापना

योजना के अंतर्गत, अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटैक्निक संस्थानों को उपयुक्त भूमि के अधिग्रहण और उस पर भवन निर्माण के जरिए स्थापित किया जाना था।

4.3.1 भूमि के अधिग्रहण में विसंगतियाँ

भूमि के अधिग्रहण और उस पर भवन निर्माण में, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो संस्थानों के लिए अधिग्रहित भूमि में समस्याएं थी:

- बिहार भवन उपनियम, 2016 की धारा 22(2) में प्रावधान करता है कि नदी क्षेत्र की बाहरी सीमा से 100 मीटर पट्टी के भीतर कोई भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग के अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि विभाग ने ₹36.35 करोड़ की लागत पर राजकीय पॉलिटैक्निक, जहानाबाद के भवन निर्माण के लिए एक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (जनवरी 2019)। हालाँकि, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, जहानाबाद ने पाया (अप्रैल 2019) कि प्रस्तावित स्थल निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं था। मुख्य वास्तुविद, बी.सी.डी. ने निर्माण हेतु स्थल को अनुपयुक्त घोषित किया एवं जिलाधिकारी, जहानाबाद से वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया (अप्रैल 2019)। तदनुसार, भूमि का आवंटन बदला गया था और विभाग ने बी.सी.डी. को तदनुसार सूचित किया (फरवरी 2021)। इसके आगे की सूचना अभिलेख में नहीं पाई गई।

इस प्रकार, अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण, निर्माण कार्य मार्च 2021 में योजना समाप्ति के बाद भी शुरू नहीं हुआ था। 2019-20 से, राजकीय पॉलिटैक्निक, जहानाबाद पॉलिटैक्निक पाटलीपुत्र, पटना के परिसर से चल रहा था।

- जहानाबाद में एक अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण हेतु, 7.5 एकड़ की भूमि बिना किसी मूल्य के विभाग को हस्तांतरित किया गया (मार्च 2019)। एक त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण समिति³⁷ ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया (नवंबर 2018) कि प्रस्तावित स्थल राजमार्ग से 125 मीटर दूर था और अतिरिक्त 12000 वर्ग फीट भूमि पहुँच पथ के लिए अपेक्षित होगा। यद्यपि, विभाग ने पहुँच पथ के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना निर्माण हेतु ₹73.13 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (फरवरी 2019)।

भवन का निर्माण पूरा किया गया (मई 2021) लेकिन बिना पहुँच पथ के। इसे स्वयं अक्टूबर 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। हालाँकि, विभाग ने जनवरी 2022 में पहुँच पथ के लिए 60.97 डिसिमिल (26,556 वर्ग फीट) भूमि के अधिग्रहण हेतु जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को एक पत्र निर्गत किया।

इस प्रकार, पहुँच पथ के लिए भूमि के समय से अधिग्रहण के अनुपस्थिति में, निर्मित भवन और इसके विरुद्ध व्यय (₹ 79.29 करोड़) मई 2021 से व्यर्थ हो गया। वर्ष 2019-20 से, अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद अभियंत्रण महाविद्यालय, गया के परिसर से चल रहा था (फरवरी 2022)।

4.3.2 निर्माण के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं किया जाना

ए.बी.ए.पी. के अंतर्गत, 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों (25 नए और छह पूर्व स्वीकृत) और 15 पॉलिटैक्निक संस्थानों (11 नए और चार पूर्व स्वीकृत) के भवनों का 2016-21 की अवधि के दौरान निर्माण किया जाना था।

पूर्व स्वीकृत और नये स्वीकृत संस्थानों के लिए भवनों के निर्माण की समाप्ति का लक्ष्य क्रमशः तीन और दो वर्ष था। इस प्रकार, सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटैक्निक संस्थानों के भवनों का निर्माण वर्ष 2020-21 तक पूर्ण कर लिया जाना था। हालाँकि, 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों में से 14³⁸ और 15 पॉलिटैक्निक संस्थानों में से चार³⁹ के भवनों को मार्च 2021 में योजना के समाप्त होने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। यहाँ तक की नौ⁴⁰ अभियंत्रण महाविद्यालयों और चार पॉलिटैक्निक संस्थानों के भवनों को अब तक पूरा नहीं किया गया था (फरवरी 2022)।

उपयुक्त भूमि की विलंबित उपलब्धता साथ ही साथ निर्माण कार्य के निष्पादन में विलंब भवनों के निर्माण के समापन में विलंब के लिए जिम्मेदार था। इसने इन संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों को उचित आधारिक संरचना/सुविधाओं से वंचित किया।

4.3.3 परिहार्य व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 126 प्रावधान करता है कि वित्तीय शक्तियों के साथ प्रत्यायोजित प्राधिकरण के पास लोक प्राप्ति में दक्षता, मितव्ययता और पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी और जवाबदेही है। यह आपूर्तिकर्ता का उचित और न्यायसंगत

³⁷ जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रतिनिधि, विशेष कार्य पदाधिकारी, अभियंत्रण महाविद्यालय, गया और प्राचार्य पॉलिटैक्निक संस्थान टेकारी, गया शामिल हैं।

³⁸ अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान और वैशाली।

³⁹ अरवल, भोजपुर, जहानाबाद एवं पश्चिम चम्पारण।

⁴⁰ भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीवान और वैशाली।

व्यवहार और प्रतिस्पर्धा का संवर्धन भी प्रावधानित करता है। आगे, नियम 131 (R) में प्रदत्त है कि सभी सरकारी क्रय राशि के सर्वोत्तम मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतियोगी और उचित तरीके से किये जाने चाहिए एवं नियम 131 (H) अनुमानित मूल्य ₹25.00 लाख और अधिक के वस्तुओं के आपूर्ति के लिए विज्ञापन द्वारा निविदाओं के आमंत्रण के लिए उपबंधित करता है। और, नियम 202 (4) प्रदत्त करता है कि ₹10 लाख से अधिक लागत का अनुमानित कार्य भवन निर्माण विभाग के साथ परामर्श के बाद एक लोक निर्माण संगठन से कराया जा सकता है।

विभाग के अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि विभाग ने तेरह⁴¹ संस्थानों के लिए कक्षा, कर्मचारी कक्ष, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हेतु पूर्वनिर्मित पोर्टेबल केबिनों के निर्माण का निर्णय लिया (फरवरी 2019)। कार्य को विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर वित्त विभाग, बि.स. द्वारा ₹26.43 करोड़ के लिए स्वीकृत किया गया (फरवरी एवं अगस्त 2019) कि पोर्टेबल केबिनों को शीघ्रता से स्थापित किया जा सकता है जबकि स्थायी भवनों के निर्माण में और दो वर्ष लगेंगे। कार्य को बिना निविदा आमंत्रित किए बी.पी.बी.सी.सी. को आवंटित किया गया (फरवरी/अगस्त 2019)। बी.पी.बी.सी.सी. निर्माण कार्य के लिए संवेदक शुल्क⁴² वसूल करता है जबकि सरकारी भवनों के निर्माण के लिए जिम्मेवार बी.सी.डी. संवेदक शुल्क नहीं लेता है। ए.बी.ए.पी. के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवनों के निर्माण कार्यों को बी.सी.डी. को सौंपा गया। लेकिन, वहनीय केबिनों का निर्माण कार्य न तो बी.सी.डी. को सौंपा गया और न ही बी.सी.डी. से परामर्श प्राप्त किया और कार्य को बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में बी.पी.बी.सी.सी. को आवंटित किया गया। इस प्रकार, विभाग को आवंटित कार्य के लिए बी.पी.बी.सी.सी. को संवेदक प्रभार (शुल्क) के रूप में ₹1.50 करोड़ का भुगतान करना होगा। ₹1.50 करोड़ एजेन्सी शुल्क में से, ₹ 6.32 करोड़ के निष्पादित कार्य के विरुद्ध बी.पी.बी.सी.सी. द्वारा ₹0.41 करोड़ समायोजित किया गया (फरवरी 2022)।

यह अवलोकन किया गया कि कुल 13 संस्थानों में से, केवल दो संस्थानों (महिला पॉलिटेक्निक, फुलवारीशरीफ, पटना और पाटलीपुत्रा, पटना) में पूरा कार्य किया गया, दो संस्थानों (अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास और पॉलिटेक्निक संस्थान, मधेपुरा) में निरस्त हुआ तथा शेष नौ संस्थानों में यह प्रक्रियाधीन था (जनवरी 2022)।

इस प्रकार, विभाग निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने में जहाँ विफल रहा, वहीं बगैर निविदा आमंत्रित किए बी.पी.बी.सी.सी. के चयन के परिणामस्वरूप ₹0.41 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ और छः महीनों की निर्धारित अवधि के साथ स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य की गैर-समाप्ति हुई।

4.3.4 निष्फल व्यय

ए.आई.सी.टी.ई. अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक (ए.पी.एच.) (परिशिष्ट 17.1.29) 2015-16 उपबंधित करता है कि नए तकनीकी संस्थान का अनुमोदन मांगने वाले आवेदक को एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि कोई भी हाईटेंशन लाईन छात्रावास सहित परिसर से गुजर नहीं रहा था। परिसर/छात्रावास से हाई टेंशन लाईन गुजरने वाले मामलों में सक्षम प्राधिकरण (विद्युत बोर्ड) से एक प्रमाण-पत्र अपेक्षित था कि यह भवन/छात्रों/संकाय/कर्मियों आदि की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा।

⁴¹ अभियंत्रण महाविद्यालय- दरभंगा, मोतीहारी एवं रोहतास, पॉलिटेक्निक संस्थान-भागलपुर, छपरा, गया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पाटलीपुत्र पटना, सहरसा, शिवहर, एवं महिला पॉलिटेक्नीक फुलवारीशरीफ पटना।

⁴² एजेन्सी शुल्क@7 प्रतिशत ₹10 करोड़ तक और 5 प्रतिशत ₹10 करोड़ से अधिक के लिए।

विभाग के अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (सितम्बर 2020) कि शेखपुरा में पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए भवन के निर्माण हेतु, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित (जनवरी 2014) एक त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण समिति⁴³ ने निर्माण स्थान से हाई टेंशन लाईन के अस्तित्व का उल्लेख किए बिना अपना प्रतिवेदन समर्पित किया (सितम्बर 2014) एवं इसे उपयुक्त घोषित किया। विभाग ने भवन का विन्यास योजना के साथ तकनीकी अनुमोदित आकलन प्रदान करने के लिए भवन निर्माण विभाग को एक पत्र निर्गत किया (फरवरी 2015)। भवन निर्माण विभाग ने हाई टेंशन लाईन के अस्तित्व को चित्रित करते हुए निर्माण स्थल नक्शा के साथ अनुमोदन के लिए विभाग को विन्यास योजना प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015)। विभाग ने भवन निर्माण विभाग द्वारा जमा किए गए विन्यास योजना को इस शर्त के साथ ₹42.55 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (जुलाई 2015) कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले हाईटेंशन लाईन को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

आगे यह अवलोकन किया गया कि विभाग ने न तो निर्माण कार्य शुरू होने (सितम्बर 2016) से पहले हाई टेंशन लाईन का स्थानांतरित करना सुनिश्चित किया और न ही वह बिजली बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर सका। इस दौरान निर्माण कार्य ₹48.70 करोड़ की लागत पर पूरा किया जा चुका था (अगस्त 2018) परन्तु उसे सौंपा नहीं गया और हाई टेंशन लाईन के गैर-स्थानांतरण के कारण रिक्त रहा जिससे ₹36 करोड़ का एक अतिरिक्त व्यय आएगा।

विकल्प के रूप में, भवन को प्रयोज्य बनाने हेतु, यह निर्णय लिया गया (दिसम्बर 2021) कि भवन के वर्तमान मुख्य द्वार को बंद किया जाएगा, चाहरदीवारी को ट्रांसमिशन लाइन के समानांतर बनाया जाएगा तथा बालिका छात्रावास एवं सिक रूम को बंद किया जाएगा। तदनुसार, ₹59.40 लाख की एक राशि फरवरी 2022 में स्वीकृत की गई।

इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने में विभाग विफल रहा कि कोई हाई टेंशन लाईन ए.आई. सी.टी.ई. के ए.पी.एच. के प्रावधानों के साथ अनुपालन में छात्रावास सहित परिसर से गुजर रहा था परिणामतः, ₹48.70 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ चूंकी निर्मित भवन इसके पूर्ण होने (अगस्त 2018) के बाद भी उपयोग में नहीं लाया जा सका और खाली रहा (फरवरी 2022)। संस्थान में नामांकित विद्यार्थी उद्दिष्ट शैक्षणिक लाभों से वंचित थे क्योंकि संस्थान पॉलिटेक्निक संस्थान, लखीसराय के परिसर से अभी भी चल रहा था।

• पढ़े पर ली गई अनुपयुक्त भूमि

विभाग के अभिलेखों के नमूना-जाँच में उद्घाटित हुआ (अक्टूबर 2020) कि सात एकड़ और 53.5 डिसमिल की भूमि शिवहर जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय के निर्माण के लिए पढ़े पर लिये जाने हेतु चिन्हित की गई। एक त्रि-सदस्यीय स्थल निरीक्षण समिति⁴⁴ ने निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल उपयुक्त प्रतिवेदित किया (जून 2017) और उल्लेख किया कि कोई हाईटेंशन लाइन भूमि से होते हुए नहीं गुजर रही थी। उपयुक्तता प्रतिवेदन के आधार पर, भूमि को ₹2.92 करोड़ (दिसंबर 2017) की लागत पर पढ़े पर अधिग्रहित किया गया और भवन निर्माण हेतु ₹73.13 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (जुलाई 2018)। निर्माण कार्य दो वर्ष के भीतर यानी जून 2020 तक पूरा किया जाना था।

⁴³ अपर-समहर्ता शेखपुरा, प्राचार्य, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी और प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, बरौनी शामिल हैं।

⁴⁴ अपर-समाहर्ता शिवहर, प्राचार्य अभियंत्रण महाविद्यालय सीतामढ़ी और प्राचार्य, बदीउज्जमा खान राजकीय पॉलिटेक्नीक संस्थान, सीतामढ़ी सम्मिलित है।

यह देखा गया कि मुख्य वास्तुविद, भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्गत विन्यास योजना (जनवरी 2019) में भूमि के ऊपर से एक हाई टेंशन लाईन गुजर रहा था। विभाग ने सशर्त स्वीकृति प्रदान किया (फरवरी 2019) की कोई निर्माण कार्य हाई टेंशन लाईन को स्थानांतरित करने के पहले शुरू नहीं होगा। यद्यपि, कार्य शुरू किया गया (दिसंबर 2020) और कार्य का 50 प्रतिशत हाई टेंशन लाईन को स्थानांतरित किए बिना पूरा किया गया (फरवरी 2022)।

इस प्रकार, अनुपयुक्त भूमि के चयन के कारण और हाई टेंशन लाईन के स्थानांतरण सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप मार्च 2021 में योजना समाप्ति के बाद भी भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ। 2019-20 से राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के परिसर से चल रहा था।

4.4 मानवबल प्रबंधन

ए.आई.सी.टी.ई., ए.पी.एच., 2016-17 के अध्याय I (8.1) में प्रावधान है कि किसी भी परिस्थिति में, जब तक कि सभी शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो जाती, संस्थान कार्यक्रम शुरू नहीं करेंगे। अध्याय 6.7 और 6.8 में प्रावधान है कि तकनीकी संस्थान डिप्लोमा/पूर्वस्नातक स्तर पर संकाय की मांग और संवर्ग अनुपात के मानदंडों का पालन करेंगे। पूर्वस्नातक स्तर और डिप्लोमा स्तर के लिए संकाय-छात्र अनुपात वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए क्रमशः 1:15 और 1:20 था जिसे आगे वर्ष 2018-19 से क्रमशः 1:20 और 1:25 में संशोधित किया गया।

अक्सर बढ़े आगे पढ़े के अंतर्गत स्थापित संस्थानों के संबंध में, 31 अभियंत्रण महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों में 90 प्रतिशत की कमी और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में 98 प्रतिशत की कमी थी, जबकि, 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कर्मचारियों में 80 प्रतिशत और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में 96 प्रतिशत की कमी थी (फरवरी 2022) जैसा **परिशिष्ट-4.2** में विस्तृत है।

नमूना-जाँचित महाविद्यालयों/संस्थानों में, शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्थिति नीचे तालिका 4.2 में विस्तृत है:

तालिका सं.-4.2
शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी

क्र. सं.	अभियंत्रण महाविद्यालय / पॉलिटेक्निक संस्थान का नाम	शिक्षण			गैर-शिक्षण		
		स्वीकृत पद	कार्यरत बल (नियमित)	रिक्ति (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल (नियमित)	रिक्ति (प्रतिशत)
1.	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	64	33	31 (48)	53	04	49 (92)
2.	अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर	77	05	72 (94)	50	00	50 (100)
3.	अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली	76	06	70 (92)	50	01	49 (98)
4.	अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास	64	23	41 (64)	38	0	38 (100)
5.	अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय	64	19	45 (70)	77	10	67 (87)
6.	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	77	10	67 (87)	50	02	48 (96)
7.	पॉलिटेक्निक संस्थान, समस्तीपुर	35	08	27 (77)	31	00	31 (100)
8.	पॉलिटेक्निक संस्थान, जहानाबाद	35	10	25 (71)	38	01	37 (97)
9.	पॉलिटेक्निक संस्थान, पश्चिमी चम्पारण	35	08	27 (77)	38	01	37 (97)

स्वीकृत कार्यबल के विरुद्ध शिक्षण कर्मचारी की वास्तविक कमी 48 से 92 प्रतिशत के बीच थी जबकि वह गैर-शिक्षण कर्मचारी के लिए 87 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

बिहार लोक सेवा आयोग (बी.पी.एस.सी.) ने सितम्बर-अक्टूबर 2020 में शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया, जो अभी तक प्रक्रियाधीन था। गैर-शिक्षण कर्मचारियों (तकनीकी के साथ-साथ गैर-तकनीकी) की नियुक्ति के लिए माँग जनवरी से दिसम्बर 2021 के बीच बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बी.एस.एस.सी.) तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बी.टी.एस.सी.) को भेजा गया था लेकिन बी.एस.एस.सी./बी.टी.एस.सी. द्वारा विज्ञापन प्रकाशित (फरवरी 2022) नहीं किया गया था। इस प्रकार, विभाग अत्यधिक तथा सतत रिक्तियों के विरुद्ध शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं कर सका।

शिक्षण संकाय के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक एवं निरंतर रहने वाली कमी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और यह योजना की भावना के विरुद्ध है। इस प्रकार, लगभग बिना कर्मचारियों (शिक्षण एवं गैर-शिक्षण) के अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की कार्य पद्धति सूचित करता है कि ये संस्थान/महाविद्यालय केवल कागज पर चल रहे थे और योजना के क्रियान्वयन में विभाग की विफलता को दर्शाते हैं।

4.5 सीटों का कम उपयोग

ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. 2016-17 का अध्याय VI अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे तथा शिक्षण कर्मियों के संवर्ग अनुपात के लिए मानदंड निर्धारित करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान पूर्वस्नातक स्तर (अभियंत्रण महाविद्यालयों) की 13,680 सीटों में से 3,506 (26 प्रतिशत) को भरा नहीं जा सका, जबकि डिप्लोमा स्तर (पॉलिटेक्निक संस्थान) की 8,640 सीटों में से 642 (7 प्रतिशत) सीटों को भरा नहीं जा सका। सीटों की अन्तर्ग्रहण क्षमता का कम-उपयोग के कारण मानवबल, आधारभूत संरचना तथा सुविधाओं का अभाव था।

19⁴⁵ अभियंत्रण महाविद्यालयों में, जो अन्य संस्थानों के साथ जोड़ने के बाद 2019-20 से क्रियाशील किए गए थे, 4,560 सीटों में से 2,784 (61 प्रतिशत) सीटें रिक्त रह गईं।

सीटों के कम उपयोग के लिए आवश्यक मानव बल (शिक्षण के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारियों) एवं आधारभूत संरचना/सुविधाओं के बिना संस्थान का स्थापना किया जाना जिम्मेदार था।

4.6 आधारभूत संरचना, उपकरण, सुविधाओं आदि का अभाव

ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. 2016-17 के परिशिष्ट 4 एवं 5 के साथ पठित अध्याय VI तकनीकी संस्थानों के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना के न्यूनतम स्तर के संबंध में मानदंड निर्धारित करता है।

लेखापरीक्षा ने आधारभूत संरचना (कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) में विशिष्ट कमियाँ तथा निर्धारित मानदंडों से विचलनों को पाया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

⁴⁵ अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान तथा पश्चिम चम्पारण।

(क) भवनों की अनुपलब्धता

अपने भवन की अनुपलब्धता के कारण, सत्र⁴⁶ अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा छः⁴⁷ पॉलिटेक्निक संस्थान अन्य संस्थानों के परिसर में, अपर्याप्त वर्ग कक्ष, प्रयोगशालाओं तथा छात्रावासों आदि (परिशिष्ट-4.3) के साथ चल रहे थे। सात मामलों में, तीन अभियंत्रण महाविद्यालय एक महाविद्यालय के परिसर में चल रहे थे विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3

समान परिसर में क्रियाशील तीन अभियंत्रण महाविद्यालय

क्र. सं.	संरक्षक महाविद्यालय का नाम	अन्य (संरक्षक) महाविद्यालय (संरक्षक महाविद्यालय से लगभग दूरी (कि.मी. में)) परिसर में कार्यशील थे
1	अभियंत्रण महाविद्यालय, नालंदा	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा (70) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा (55)
2	अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतीहारी	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिमी चम्पारण (45) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर (63)
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद (81) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद (50)
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज (69) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया (136)
5	अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर (85) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय (30)
6	अभियंत्रण महाविद्यालय, छपरा	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज (103) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, सिवान (67)
7	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर (187) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर (109)

जैसा कि तालिका 4.3 तथा परिशिष्ट 4.3 में देखा गया कि सात पॉलिटेक्निक संस्थान तथा दो अभियंत्रण महाविद्यालय अन्य महाविद्यालय/संस्थान को समायोजित कर रहे थे, सात अभियंत्रण महाविद्यालय अपने परिसर में दो अन्य अभियंत्रण महाविद्यालयों को समायोजित कर रहे थे।

इस निश्चय के अंतर्गत, राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य में तकनीकी तथा व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना था। यद्यपि, यदि महाविद्यालय/संस्थान को अपनी क्षमता से तीन गुना छात्रों को समायोजित करना है एवं जहाँ छात्रों को महाविद्यालय/संस्थान तक पहुँचने के लिए 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़े तो, हर जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य विफल हो जाता है।

(ख) छात्रावास सुविधाओं की अनुपलब्धता

- ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. (परिशिष्ट 4.2.3) 2016-17 में छात्रों एवं छात्राओं के लिए पर्याप्त छात्रावास सुविधा का प्रावधान उपबंधित करता है, यद्यपि नौ⁴⁸ नमूना-जॉंचित संस्थानों में से पाँच⁴⁹ के छात्रों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन पाँच में :-

⁴⁶ औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, नवादा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सिवान, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण।

⁴⁷ अरवल, भोजपुर, जहानाबाद, खगड़िया, शेखपुरा तथा पश्चिम चम्पारण।

⁴⁸ बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, वैशाली और पश्चिम चम्पारण।

⁴⁹ बख्तियारपुर, बेगूसराय, बक्सर, पूर्णियाँ, रोहतास तथा वैशाली के अभियंत्रण महाविद्यालय तथा जहानाबाद, समस्तीपुर तथा पश्चिम चम्पारण के पॉलिटेक्निक संस्थान।

- अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर, अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर के परिसर से संचालित हो रहा था जो बक्सर के जिला मुख्यालय से 187 कि.मी. की दूरी पर स्थित था।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली, पॉलिटेक्निक संस्थान, वैशाली के परिसर से संचालित हो रहा था।
- पश्चिम चम्पारण का पॉलिटेक्निक संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, मोतिहारी के परिसर से संचालित हो रहा था जो पश्चिम चम्पारण के जिला मुख्यालय से 45 कि.मी. दूर स्थित था।
- जहानाबाद का पॉलिटेक्निक संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, पाटलीपुत्रा पटना के परिसर से संचालित हो रहा था जो जहानाबाद के जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. की दूरी पर स्थित था।

(ग) प्रयोगशालाओं का अभाव

ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. (परिशिष्ट 4.2.1 (बी.) और 5.2) 2019–20 में प्रयोगशाला की न्यूनतम क्षेत्र आवश्यकता के बारे में परिकल्पना करता है और प्रावधान करता है कि प्रयोगशालाओं के पास प्रयोग के लिए उतना उपयुक्त उपकरण होगा जैसा संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड के पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं के लिए कहा गया/योग्य है।

यद्यपि, किसी भी नमूना-जाँचित संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित प्रयोगशाला नहीं थे (फरवरी 2022)। नौ नमूना-जाँचित संस्थानों में से चार⁵⁰ चिन्हित संस्थानों पर निर्भर थे।

- अभियंत्रण महाविद्यालय, पूणियाँ में आवश्यक 75 प्रयोगशालाओं में से केवल 44 उपलब्ध थी।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर में सिविल तथा मैकेनिकल शाखाओं में चार सेमेस्टर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल शाखा में तीन सेमेस्टर्स के लिए तथा कम्प्यूटर विज्ञान शाखा में दो सेमेस्टर्स के लिए प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी।
- पॉलिटेक्निक संस्थान, समस्तीपुर में, आवश्यक 62 प्रयोगशालाओं में से केवल 53 ही उपलब्ध थी। यद्यपि, केवल 37 प्रयोगशालाएँ ही क्रियाशील थीं।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय में, कम्प्यूटर विज्ञान अभियंत्रण के लिए आवश्यक 23 प्रयोगशालाओं में से केवल 15 उपलब्ध थी।
- अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास में, आवश्यक 62 प्रयोगशालाओं में से 54 उपलब्ध थी।

(घ) ए.आई.सी.टी.ई. ए.पी.एच. (परिशिष्ट 6.1.13) 2019–20 परिकल्पना करता है कि इंटरशिप के लिए विभिन्न उद्योगों से कम से कम पाँच समझौता ज्ञापन होने चाहिए। यद्यपि नौ नमूना-जाँचित संस्थानों में से छः⁵¹ संस्थानों ने ऐसा कोई समझौता ज्ञापन नहीं किया।

अपर्याप्त आधारभूत संरचना ने इस प्रकार दयनीय शिक्षा के माहौल का सृजन किया तथा राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

4.7 अनुश्रवण तंत्र

योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त तथा प्रभावशाली अनुश्रवण तंत्र आवश्यक है। यह पर्यवेक्षण अधिकारियों को योजना के बेहतर प्रबंधन एवं अनुश्रवण हेतु सक्षम बनाता है।

⁵⁰ बक्सर, जहानाबाद, वैशाली तथा पश्चिम चम्पारण।

⁵¹ बख्तियारपुर, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, समस्तीपुर तथा वैशाली।

लेखापरीक्षा ने पाया (दिसम्बर 2020) कि विभाग के पास योजना के क्रियान्वयन के लिए कोई एम.आई.एस. प्रणाली, राज्य स्तरीय अनुश्रवण इकाई, आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, शिकायत निवारण कक्ष के साथ-साथ आवधिक मूल्यांकन तंत्र नहीं थे। नमूना-जाँचित संस्थानों के प्राचार्यों ने जवाब दिया (जनवरी-मार्च 2021) कि संस्थान के स्तर पर प्रगति कार्य के अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था और न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था और न ही विभाग तथा बी.सी.डी. के अधिकारियों द्वारा कोई संयुक्त निरीक्षण/सत्यापन किया गया था।

परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा वांछित अनुश्रवण लागू नहीं किया गया तथा अनुश्रवण के अभाव में अनुपयुक्त भूमि का चयन किया गया, पोर्टेबल केबिनों का निर्माण नहीं किया गया और पर्याप्त प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी।

4.8 निष्कर्ष

अक्सर बड़े आगे पढ़े (ए.बी.ए.पी.) बिहार में तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए सात निश्चय में से एक था तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसके तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों के निर्माण तथा स्थापना के माध्यम से इसके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी था। विभाग ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध शिक्षण कर्मचारियों की अत्यधिक कमी तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों की लगभग अनुपलब्धता के कारण योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन नहीं कर सका जिससे तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, अनुपयुक्त भूमि का अधिग्रहण, बी.सी.डी. द्वारा भवनों का गैर/विलम्बित निर्माण, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उपकरण सुविधाओं आदि के कारण योजना का उद्देश्य विफल रहा। पुनः, विभाग के प्रभावी अनुश्रवण तंत्र के अभाव के कारण, अनुपयुक्त भूमि का चयन किया गया था, भवनों/पोर्टेबल केबिनों का निर्माण नहीं किया गया तथा पर्याप्त प्रयोगशालाएँ उपलब्ध नहीं थी। महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रों को उनकी क्षमता से तीन गुना समायोजित करने तथा महाविद्यालय/संस्थानों तक पहुँचने के लिए छात्रों को 30 कि.मी. से 187 कि.मी. की दूरी तय करने के साथ, प्रत्येक जिला में एक अभियंत्रण महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना के निश्चय का उद्देश्य विफल है। पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी गुणवत्ता पूर्ण तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करने के निश्चय का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार को मामला प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2020)। स्मार के बावजूद, जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (अप्रैल 2022)।



अध्याय-V
एकल कंडिकाएं

अध्याय – V

एकल कंडिकाएँ

पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग

5.1 निष्फल व्यय

पहुँच मार्ग के लिए भूमि सुनिश्चित किए बिना उच्च स्तरीय पुल के निर्माण से ₹11.70 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

कैबिनेट सचिवालय और समन्वय विभाग (गोपनीय प्रकोष्ठ), बिहार सरकार के संकल्प संख्या 948 (जुलाई 1986) के अनुच्छेद 7.5 में कहा गया है कि तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन और निधि के आवंटन सुनिश्चित होने के बाद ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। जिन मामलों में भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है, उन्हें अग्रिम रूप से पूरा किया जाना चाहिए।

(क) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हिलसा के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2019) में उद्घाटित हुआ कि—

- मुख्य अभियंता (सी.ई.), दक्षिण बिहार विंग, पटना ने उच्च स्तरीय (एच.एल.) पुल के निर्माण सहित बड़ीमठ (परवलपुर) से देवरिया पथ के निर्माण/सुधार-सह-रखरखाव के लिए ₹48.78 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (जुलाई 2015)। पथ निर्माण विभाग ने ₹48.78 करोड़ के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2015) और मुख्य अभियंता, केंद्रीय डिजाइन संगठन, पटना द्वारा ₹53.35 करोड़⁵² के लिए कार्य की तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) प्रदान की गई (मार्च 2016)।
- अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय प्रक्षेत्र, आर.सी.डी., पटना ने ₹37.87 करोड़ के लिए पथ कार्य का परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) तथा 55.80 मीटर लंबाई एवं पूर्वोक्त पथ के तीसरे किमी में 90 मीटर और 120 मीटर में दोनों तरफ पहुँच पथ वाले उच्च स्तरीय पुल (एच.एल.) के निर्माण के लिए ₹4.85 करोड़ के परिमाण विपत्र (अप्रैल 2016) अनुमोदित किया (जुलाई 2015)।
- कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), पथ प्रमंडल, हिलसा ने एक संवेदक (मैसर्स दयान एंड प्रसाद सिन्हा एंड कंपनी, पटना) के साथ ₹34.30 करोड़⁵³ मूल्य के पथ कार्य के लिए अनुबंध (नवंबर 2015) और एच.एल. पुल के लिए उसी संवेदक के साथ ₹4.36 करोड़⁵⁴ का पूरक अनुबंध (जुलाई 2016) किया था।
- संवेदक द्वारा ₹32.02 करोड़ में पथ कार्य पूर्ण किया गया (जून 2017) तथा एच.एल. पुल का कार्य ₹3.74 करोड़ की लागत से दिसम्बर 2017 में पूर्ण किया गया। हालांकि, पहुँच पथ के अभाव के कारण चार साल बीत जाने के बाद भी पुल का उपयोग सितंबर 2021 तक नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसके लिए आवश्यक भूमि निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं थी।

⁵² पथ कार्य ₹33.28 करोड़, पुल एवं पुलिया ₹12.85 करोड़, मूल्य वृद्धि ₹3.92 करोड़ एवं अन्य (भूमि अर्जन सहित ₹0.11 करोड़) ₹3.30 करोड़

⁵³ परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत नीचे ₹37.87 करोड़ अर्थात (₹38.09 करोड़— ₹0.22 करोड़ आपातकालीन कार्य हेतु प्रावधानित)

⁵⁴ परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत नीचे अर्थात ₹4.85 करोड़



नए पुल के दोनों किनारों की भौतिक स्थिति (अप्रैल 2022)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता, हिलसा ने बताया (दिसम्बर 2019) कि भूमि की उपलब्धता की प्रत्याशा में पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था लेकिन पुल की संरचना पूरी होने तक इसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी पट्टे के साथ पहल करने के प्रयास किए गए लेकिन भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

उन्होंने आगे कहा (अक्टूबर 2021) कि एक अन्य मौजूदा पुराने पुल का उपयोग किया जा रहा था एवं संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया था (अप्रैल 2022)।

कार्यपालक अभियंता के उत्तर अस्वीकार्य थे क्योंकि भूमि की उपलब्धता कार्य प्रारंभ करने से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। साथ ही, पुराने पुल के माध्यम से पथ का उपयोग यह दर्शाया कि नए पुल के निर्माण की योजना अनुचित थी।

इस प्रकार, पहुँच पथ हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रारंभ करने से एच.एल. पुल के निर्माण पर ₹3.74 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(ख) कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), ग्रामीण कार्य विभाग (आर.डब्ल्यू.डी.), समस्तीपुर के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पता चला (दिसंबर 2021) कि खानपुर ब्लॉक (समस्तीपुर) के अंतर्गत पुरानी बाघमती नदी पर एक उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल (एच.एल. पुल⁵⁵) का निर्माण नाबार्ड योजना के तहत किया जाना था। निर्माण का उद्देश्य उत्तर में बल्हा और डगरुआ गांवों और दक्षिण में रजवारा और अन्य गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करना था। ग्रामीण कार्य विभाग (आर.डब्ल्यू.डी.), बिहार सरकार ने ₹779.91 लाख के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (सितंबर 2012)। मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना ने इस कार्य के लिए ₹9.35 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (दिसम्बर 2012)। इसके अलावा, आकलन के अनुसार, दक्षिण दिशा में 75 मीटर (ए1 साइड) और उत्तर में 120 मीटर (ए 2 साइड) की पहुँच पथों का निर्माण किया जाना था (पुल और पहुँच पथों के लिए कुल 51.25 डिसमिल भूमि की आवश्यकता थी)। फरवरी 2015 तक कार्य पूरा करने के लिए एक संवेदक⁵⁶ के साथ ₹8.66 करोड़⁵⁷ (पहुँच पथ के निर्माण के लिए ₹39.11 लाख सहित) का अनुबंध किया गया था (अगस्त 2013)।

⁵⁵ आयाम (5 मीटर x 24.75 मीटर x 126.8 मीटर)

⁵⁶ विनय कुमार सिंह, काँटी फैक्ट्री रोड, कंकडबाग

⁵⁷ ₹ 8.75 करोड़ के परिमाण विपत्र से नीचे 1.10 प्रतिशत की दर पर

पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण, संवेदक को ₹86.01 लाख के भुगतान (सितम्बर 2014) के साथ जून 2014 में कार्य रोक दिया गया था। संवेदक ने सूचित किया (नवंबर 2014) कि पुल के कई हिस्से निर्माण में निजी भूमि पर हैं और भूमि के मालिक अपनी भूमि पर पुल के निर्माण का विरोध कर रहे थे। भूमि/स्थल चयन समिति की अनुशंसा पर, कार्यपालक अभियंता ने समस्तीपुर के जिलाधिकारी को एच.एल. पुल के निर्माण हेतु 51.25 डिसमिल भूमि की आवश्यकता के बारे में सूचित किया (दिसम्बर 2016)। भूस्वामियों को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण प्राप्त करने के बाद, कार्यपालक अभियंता ने विभाग से ₹18.04 लाख की राशि की मांग की (जून 2017)। सितंबर 2017 में राशि मिलने के बाद, पुनः काम शुरू हुआ (फरवरी 2018)। अगस्त 2019 तक किए गए कार्यों के लिये संवेदक को कुल ₹7.96 करोड़ (₹86.01 लाख के प्रथम भुगतान सहित) का भुगतान किया गया। पहुँच पथ का कोई कार्य नहीं किया गया था एवं पुल के अधिरचना के कुछ हिस्सों को अभी तक पूरा किया जाना था। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए, 0.4799 एकड़ भूमि की और आवश्यकता का निर्धारण किया गया एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा विभाग से अतिरिक्त ₹19.93 लाख निधि का अनुरोध किया (फरवरी 2020)। संबंधित मंडल के सहायक अभियंता के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2021) ने भी पुष्टि की कि पहुँच पथों पर कार्य निष्पादित नहीं किया गया था। पुल के उत्तर की ओर निजी भूमि का मामला था।

इस प्रकार, भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना, पहुँच पथों के निर्माण के बिना पुल के निर्माण पर ₹7.96 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। पहुँच पथ का काम शुरू होना अभी भी शेष है (दिसंबर 2021)।

इंगित किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2021) कि संरेखण में पड़ने वाले भूखण्ड का एक भाग अधिग्रहित नहीं किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (नवंबर 2021 और फरवरी 2022), लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अप्रैल 2022)।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

5.2 अलाभकारी व्यय

ग्राम जलापूर्ति योजना में बिना किसी योजना के पानी के मीटर लगाने से ₹1.99 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार (मई 2013) ग्रामीण जल आपूर्ति के संचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) नियमावली के पैराग्राफ 14.4 में निर्धारित किया कि बहु ग्राम जलापूर्ति योजना के मामले में, जल संवेदक/ग्राम जल स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/संवेदक प्रत्येक ग्राम पंचायत (जी.पी.) को पानी का थोक मीटर रीडिंग के आधार पर हर महीने बिल देगी। राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (विभाग) द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के माध्यम से जलापूर्ति के लिए संबंधित ग्राम पंचायत वी.डब्ल्यू.एस.सी./संवेदक को जल प्रभार का भुगतान करेगी और बदले में उपभोक्ताओं से जल शुल्क वसूल करेगी।

कार्यपालक अभियंता (ई.ई.), लोक स्वास्थ्य (लो.स्वा.) प्रमंडल, बेगूसराय के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (नवंबर 2021) कि चेरिया बरियारपुर में एक बहु ग्राम जलापूर्ति योजना

के लिए, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय ने एक संवेदक⁵⁸ के साथ ₹66.71 करोड़ की लागत से योजना के सभी सिस्टम घटकों के डिजाइन और निर्माण और पानी की बिलिंग और आपूर्ति सहित योजना के चालू होने के बाद पाँच साल के लिए परिचालन एवं रखरखाव (ओ. एंड एम.) के लिए एक समझौता किया (जुलाई 2014)।

डिजाइन और निर्माण कार्य जुलाई 2020 में पूरा किया गया और संवेदक को ₹43.87 करोड़ भुगतान किया गया (नवंबर 2021)। 9,480 घरों में कनेक्शन के लिए ₹6,400 प्रति घर की दर से अनुबंध किया गया, जिसमें प्रत्येक घर में ₹3,500 प्रति मीटर की दर से पानी का मीटर लगाने की लागत शामिल था। डिजाइन और निर्माण के लिए संवेदक को किए गए कुल ₹43.87 करोड़ के भुगतान में पानी के मीटरों की आपूर्ति के लिए ₹1.99 करोड़⁵⁹ का भुगतान (नवंबर 2021) शामिल है।

अनुबंध के अनुसार, ग्राम पंचायत को संवेदक द्वारा उत्पन्न बिल के अनुसार उपभोक्ता शुल्क एकत्र करना था। विपत्र प्रत्येक घर में लगाए गए पानी के मीटर के आधार पर ग्राम पंचायत या बिहार सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार उत्पन्न करने थे। तदनुसार, प्रत्येक घरेलू स्तर पर घरेलू पानी के मीटर लगाए जाने की आवश्यकता थी।

आगे यह पाया गया कि विभाग के पास घरेलू पानी के मीटर का कोई उपयोग नहीं था क्योंकि मंडल में इस योजना या साथ-साथ निष्पादित किसी अन्य योजना में उपयोगकर्ता शुल्क की गणना के लिए इनके पास कोई योजना उपलब्ध नहीं थी विभाग ने जल आपूर्ति योजना से घरेलू कनेक्शन वाले सभी घरों से उपभोक्ता द्वारा खपत किए गए पानी की मात्रा की परवाह किए बिना वसूल किये जाने वाले मासिक प्रभार के रूप में ₹30.00 निर्धारित किया (जून 2021)। इससे पानी के मीटरों की खरीद पर ₹1.99 करोड़ के मूल्य का व्यय निष्फल हो गया।

इंगित किये जाने पर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगूसराय ने स्वीकार किया (नवंबर 2021) कि प्रारंभ में जल मीटर के आधार पर पानी की लागत वसूल करने का प्रावधान था, लेकिन विभाग द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। जवाब से भी निष्क्रिय जल मीटर की स्थापना के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन का समर्थन हुआ।

मामला सरकार को सूचित किया गया (फरवरी 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

सामाजिक कल्याण विभाग

5.3 अस्वीकार्य भुगतान

दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अपात्र लाभार्थियों को नकद प्रोत्साहन के रूप में ₹45.43 लाख का भुगतान किया गया।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.एम.वी.वाई.), एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित योजना (महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन के रूप में मजदूरी के नुकसान के लिए आंशिक मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई थी (जनवरी 2017) जिन्होंने पहले बच्चे के लिए इस योजना की शुरुआत या उसके बाद गर्भ धारण किया था। यह योजना

⁵⁸ मेसर्स गैनन डंकरले एण्ड कंपनी लिमिटेड

⁵⁹ भुगतान कुल लागत के 60 प्रतिशत तक सीमित किया गया— $₹3,500 \times 9,480 \times 60 \% = ₹1.99$ करोड़

महिलाओं को नकद प्रोत्साहन के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए पहले बच्चे के प्रसव से पहले/बाद में पर्याप्त आराम प्रदान करने की सुविधा देती है। प्रति लाभार्थी ₹5,000 का कुल नकद प्रोत्साहन सीधे लाभार्थी के खाते में तीन किस्तों⁶⁰ में अंतरित किया जाना था।

तीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत संचालित आठ⁶¹ बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सी.डी.पी.ओ.) के लाभार्थियों को पी.एम.एम.वी.वाई. के तहत भुगतान से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच (अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पी.एच.सी.)/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सी.एच.सी.) के सम्बंधित प्रसव-कक्ष पंजियों के अभिलेखों के साथ उनके क्रॉस-सत्यापन से प्रकट हुआ कि वर्ष 2017 से अक्टूबर 2021 की अवधि के दौरान दूसरी, तीसरी या उससे अधिक भी जीवित बच्चे की माताओं को भी गर्भधारण करने के पश्चात योजना के नकद प्रोत्साहन का लाभ दिया गया था। प्रावधान का उल्लंघन कर 1,006 अयोग्य लाभार्थियों को ₹45.43 लाख के कुल अस्वीकार्य भुगतान का विवरण निम्न है:—

अस्वीकार्य भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	जिला	सी.डी.पी.ओ.	अस्वीकार्य नकद प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या	(₹ राशि में)
1	मधुबनी	हरलाखी	148	7,16,000
2		लदनिया	132	6,32,000
3		बेनीपट्टी	37	99,000
4		पंडौल	22	88,000
5	मुजफ्फरपुर	काँटी	38	1,20,000
6	औरंगाबाद	हंसपुरा	323	15,18,000
7		रफीगंज	258	12,07,000
8		ओबरा	48	1,63,000
कुल			1,006	45,43,000

इस प्रकार, संबंधित सी.डी.पी.ओ. द्वारा प्रावधान की उपेक्षा के परिणामस्वरूप योजना के इच्छित उद्देश्य से विचलन सहित अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2022) और जवाब अभी तक प्रतीक्षित है।

5.4 निष्क्रिय व्यय

आवश्यक मानव बल की कमी के कारण ₹6.26 करोड़ मूल्य के आधार नामांकन किट का विभाग द्वारा उपयोग नहीं किए जा सकने के परिणामस्वरूप किट का अप्रयुक्त पड़ा रहना।

मार्च 2018 तक सभी डी.बी.टी. योजनाओं के लाभार्थियों के आधार सीडिंग तथा आँकड़ा सत्यापन पूरा करने के लिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम.डब्ल्यू.

⁶⁰ ₹1000/- आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा में गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण कराने पर, ₹2000/- गर्भावस्था के छह माह बाद कम से कम एक प्रसवपूर्व जाँच प्राप्त करने पर और ₹2000/- बच्चे के जन्म के पंजीकरण के बाद तथा बच्चे को बी.सी.जी., ओ.पी.वी., डी.पी.टी. और हेपेटाइटिस-बी अथवा इसके समकक्ष/विकल्प का पहला चक्र प्राप्त होने पर।

⁶¹ औरंगाबाद जिला-हंसपुरा, रफीगंज और ओबरा मधुबनी जिला- बेनीपट्टी, हरलाखी, लदानियां और पंडौल मुजफ्फरपुर जिला- काँटी

सी.डी.पी.ओ.), भारत सरकार (भा.स.) ने बाल विकास परियोजना कार्यालयों (सी.डी.पी.ओ.) में आधार नामांकन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2017)। यह निर्णय बच्चों के निरंतर एवं निर्बाध नामांकन को प्रोत्साहन देने हेतु लिया गया था। आगे, एम.डब्ल्यू.सी.डी. ने 1,632 आधार नामांकन किटों⁶² की खरीद के लिए ₹24.48 करोड़⁶³ का सहायता अनुदान स्वीकृत किया (दिसंबर 2017) और केंद्र की हिस्सेदारी की राशि के रूप में ₹14.69 करोड़ जारी किया (दिसंबर 2017)। इस स्वीकृति आदेश के दो वर्ष पश्चात, निदेशालय, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.), समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने ₹6.65 करोड़ आवंटित किया (अगस्त 2019) और सिर्फ 544 किट की खरीद के लिए ₹6.27 करोड़ जारी किया (दिसंबर 2019)।

निदेशालय, आई.सी.डी.एस. के अभिलेखों की नमूना-जाँच (जुलाई तथा अगस्त 2021) से पता चला कि जी.ई.एम. पोर्टल पर निदेशालय द्वारा 544 किटों की खरीद एवं अधिष्ठापन के लिए एक निविदा मंगाई गई थी (मई 2019) जिसके विरुद्ध चयनित संवेदक⁶⁴ ने 544 किटों की आपूर्ति की (दिसंबर 2019 से मार्च 2020) तथा संवेदक को ₹6.26 करोड़ का भुगतान किया गया (जून 2020)। जाँच में आगे पता चला कि किट की आपूर्ति के लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी, किसी भी सी.डी.पी.ओ. में आधार नामांकन कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि इसके संचालन के लिए आवश्यक मानव बल उपलब्ध नहीं थे और सी.डी.पी.ओ. में किट अप्रयुक्त रहे।

आगे, तीन जिलों के नमूना-जाँचित 18 सी.डी.पी.ओ.⁶⁵ से किट के उपयोग के संबंध में सूचना एकत्र की गई (अक्टूबर-दिसंबर 2021) जिससे पता चला कि आवश्यक मानव बल की अनुपलब्धता के कारण संपूर्ण किट अप्रयुक्त पड़ी रही (सील पैक अवस्था में रखी हुई थी जिसकी वारंटी अवधि तीन साल अर्थात् मार्च 2023 तक थी)।

सी.डी.पी.ओ. कार्यालयों में इस सुविधा के प्रारंभ न होने के कारण राज्य में 0-5 वर्ष के आयु वर्ग का नामांकन (9.91 प्रतिशत बाद) पूरी तरह से रुका हुआ था जैसा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा सूचित किया गया (जनवरी 2021) कि इस प्रकार, मार्च 2018 की लक्षित तिथि के विरुद्ध सी.डी.पी.ओ. में स्थायी आधार नामांकन सुविधा लेखापरीक्षा की तिथि (दिसंबर 2021) तक शुरू भी नहीं हो सकी, यद्यपि दिसंबर 2017 में धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी।

जवाब में, निदेशक, आई.सी.डी.एस. ने कहा (सितंबर 2021) कि महिला पर्यवेक्षकों को यू.आई.डी.ए.आई. के माध्यम से किट संचालन के लिए प्रशिक्षण दिया गया था और वर्तमान में, किट का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा रहा था। पुनः, निदेशक, आई.सी.डी.एस. ने अपने अनुवर्ती जवाब में कहा (फरवरी 2022) कि वर्तमान में कुछ परियोजनाओं ने आधार नामांकन शुरू कर दिया था तथा नामांकन की इसकी वर्तमान स्थिति 9.91 प्रतिशत थी।

⁶² ₹1.50 लाख प्रति किट की दर से 544 सीडीपीओ के लिए प्रत्येक के तीन सेट

⁶³ केंद्रीय हिस्सा: ₹14.69 करोड़ और राज्य का हिस्सा ₹9.79 करोड़

⁶⁴ मेसर्स उर्वशी कंप्यूटर, दिल्ली

⁶⁵ (i) मुजफ्फरपुर: औराई, बांद्रा, कांटी, कटरा, कुधनी और पारु, (ii) मधुबनी-बेनीपट्टी, हरलाखी, झांझरपुर, लदनिया, पंडौल और माधवपुर (iii) औरंगाबाद- देव, हंसपुरा, गोह, नवीनगर, ओबरा और रफीगंज

निदेशक, आई.सी.डी.एस. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि महिला पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देने के बाद भी किट के उपयोग से बच्चों का आधार नामांकन शुरू नहीं किया गया था जैसा तीन जिलों के 18 नमूना-जाँचित सी.डी.पी.ओ. में देखा गया। आगे, जवाब स्वयं शून्य से पाँच आयु वर्ग के गैर-नामांकन के सम्बन्ध में तथ्य की पुष्टि करता है क्योंकि 9.91 प्रतिशत की उपलब्धि पहले ही जनवरी 2021 में यू.आई.डी.ए.आई. के पत्र में जिक्र किया गया था।

यह विषय सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (फरवरी 2022) लेकिन उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (अप्रैल 2022)।

(रामावतार शर्मा)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

पटना

दिनांक: 21 अक्टूबर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 27 अक्टूबर 2022



परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: कडिका 1.3.1; पृष्ठ 2)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कडिकाएँ को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि
2011-12	3	15	10.12	83	559	7131.94	83	529	11894
2012-13	51	387	3015.68	435	2644	31770.01	98	686	6368
2013-14	154	1136	1604.23	545	3249	16007.68	169	1153	16282
2014-15	147	765	5505.50	527	3457	11785.33	222	1406	24891
2015-16	175	855	1289.84	579	4310	13868.89	188	1281	10955
2016-17	226	1309	7199.09	574	5340	26932.20	211	1416	20128
2017-18	139	818	1547.08	454	4615	44008.54	162	1265	60529
2018-19	24	222	75363.51	108	1154	9399.74	34	316	5684.70
2019-20	70	755	394900.10	152	1825	77893.91	16	177	1132.30
2020-21	9	87	141930	34	503	52616.51	12	114	1272.40
कुल	998	6349	632365.10	3491	27656	291414.80	1195	8343	159136.40

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.3.1; पृष्ठ 2)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं में विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

वर्ष	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए धोखाघड़ी/ दुर्विनियोजन/गबन/हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले	संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के संस्वीकृति के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक शीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/गोदाम का क्रय	घन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/ निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/निष्क्रिय उपकरण औरतत् संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि/निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	24	2	0	4	70	5	2	78	717	1103
2012-13	584	20	194	85	201	182	52	127	8	27	9	283	20	35	219	2255	3717
2013-14	868	98	212	144	227	287	42	118	13	73	13	437	33	39	319	3483	5538
2014-15	896	129	361	207	179	241	31	112	11	7	11	452	10	29	308	3540	5628
2015-16	942	57	270	198	311	390	105	204	25	11	61	530	17	21	444	3802	6446
2016-17	1011	63	181	345	415	386	87	195	69	90	80	641	26	40	593	4854	8065
2017-18	755	78	135	466	282	333	46	41	61	11	12	859	26	16	399	3933	6698
2018-19	166	30	33	61	96	32	8	26	6	0	8	124	7	4	75	1182	1692
2019-20	238	12	19	42	54	113	8	10	0	21	1	99	4	13	68	2293	2757
2020-21	55	9	6	21	30	26	1	14	2	2	0	11	1	3	17	561	704
कुल	5684	505	1473	1620	1815	2043	386	871	197	242	199	3506	149	202	2520	26620	42348

परिशिष्ट 1.3
(संदर्भ: कड़िका 1.3.3; पृष्ठ 3)
मार्च 2021 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा/विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा (वि.अ.ले.प.) से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति

क्र. सं.	नि.ले.प./ वि.ले.प./ दी.प्रा.कं.	निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत/ लेखापरीक्षा/दी.प्रा.कं. का नाम	नि.ले.प./ वि.अ.ले.प. का उत्तर प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षित इकाईयों की सं.	कुछ अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने वाले इकाईयों की सं.	जारी किए गए ज्ञापनों की सं.	ज्ञापनों की सं. जिनका उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं. जिनका आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं. जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1.	नि.प.ले.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	हाँ	52	52	947	704	-	243
3.	वि.अ.ले.प.	अक्सर बड़े आगे पढ़े के अन्तर्गत स्थापित अभियंत्रण एवं पॉलिटैक्निक संस्थानों की कार्यप्रणाली	नहीं	10	03	87	58	06	23
4.	वि.अ.ले.प.	वित्त विभाग में आंतरिक नियंत्रण	हाँ	31	16	232	232	शून्य	शून्य
कुल				93	71	1,266	994	06	266

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: कंडिका 1.4; पृष्ठ 4)
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एस.ए.आर.) की प्रस्तुतीकरण की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखा परीक्षा सौंपे जाने की स्थिति	लेखा परीक्षा के लेखों का प्रस्तुतीकरण		पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन लेखों का वर्ष	विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक			
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थाई	2019-20	12.07.2021	2016-17, 2017-18 एवं 2018-19	18.02.19 एवं 15.02.19	
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	अक तक 2015-16	2016-17	05.07.2019	अक तक 2008-09		वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि का एस.ए.आर. पूर्ण नहीं किया गया है। वर्ष 2012-13 से प्रमाणित वार्षिक लेखा प्राप्त नहीं हुआ है।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	शून्य					
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	शून्य					
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	शून्य					
6	बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बी.ई.आर.सी.)	--	2018-19	--	2017-18	--	प्रत्रांक आर.ए.ओ. (ई.एस.)/2018-19/217 और 218 दिनांक 24.08.18 के द्वारा प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार एवं प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार को पत्र भेजा गया था जिसके विरुद्ध उपसचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार ने सचिव, बी.ई.आर.सी. को एस.ए.आर. के प्रस्तुतीकरण पर संज्ञान लेने एवं महालेखाकार, बिहार को सूचित करने का अनुरोध किया।

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कड़िका 3.2.2 एवं 3.2.3; पृष्ठ 41, 42)

बचतों के अभ्यर्पण में विलंब का विवरण

(राशि ₹लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण/ व्यपगत	अभ्यर्पण की तारीख और महीना
1	डी.पी.एफ.ओ., मुजफ्फरपुर	2016-17	33.52	30.50	3.03	27 मार्च
		2018-19	45.93	44.73	1.20	25 मार्च
		2019-20	56.81	50.22	6.59	31 मार्च
		2020-21	53.96	52.01	1.95	31 मार्च
2	डी.पी.एफ.ओ., गया	2016-17	32.96	32.40	0.56	30 मार्च
		2017-18	37.45	33.60	3.84	28 मार्च
		2018-19	34.15	32.05	2.10	27 मार्च
		2019-20	33.59	32.77	0.81	31 मार्च
		2020-21	38.22	33.50	4.72	31 मार्च
3	डी.पी.एफ.ओ., पटना	2016-17	87.59	87.06	0.53	30 मार्च
		2017-18	105.66	103.05	2.61	27 मार्च
		2018-19	91.99	88.90	3.09	29 मार्च
		2019-20	103.26	94.59	8.67	31 मार्च
4	डी.पी.एफ.ओ., भागलपुर	2016-17	40.06	38.44	1.62	30 मार्च
		2017-18	32.90	30.54	2.36	27 मार्च
		2018-19	44.36	27.99	16.37	30 मार्च
		2019-20	25.30	24.04	1.26	30 मार्च
		2020-21	36.46	27.74	8.72	31 मार्च
5	डी.टी.ओ., मुजफ्फरपुर	2016-17	90.45	80.89	9.56	31 मार्च
		2017-18	105.87	104.99	0.88	31 मार्च
		2018-19	164.40	159.31	5.09	30 मार्च
		2020-21	156.25	147.95	8.30	31 मार्च
6	डी.टी.ओ., गया	2017-18	72.41	71.55	0.86	31 मार्च
		2018-19	96.87	96.77	0.10	30 मार्च
7	डी.टी.ओ., सहरसा	2016-17	59.51	58.99	0.52	30 मार्च
		2017-18	69.50	68.51	0.99	31 मार्च
		2018-19	77.11	57.85	19.26	30 मार्च
		2019-20	108.82	77.56	31.26	31 मार्च
		2020-21	107.17	63.67	43.50	31 मार्च

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण/ व्यपगत	अभ्यर्पण की तारीख और महीना
8	डी.टी.ओ., छपरा	2016-17	76.58	42.29	34.28	31 मार्च
		2017-18	79.82	63.66	16.16	31 मार्च
		2018-19	95.76	87.84	7.92	31 मार्च
		2019-20	93.87	90.22	3.65	31 मार्च
		2020-21	105.85	99.08	6.77	31 मार्च
9	सहायक निदेशक, लेखापरीक्षा निदेशालय, पटना, बिहार	2016-17	270.14	256.62	13.52	28 मार्च
		2017-18	373.76	363.29	10.47	26 मार्च
		2018-19	395.24	377.53	17.71	27 मार्च
		2020-21	586.00	474.16	111.84	31 मार्च
10	सहायक निदेशक वित्त, (लेखापरीक्षा) प्रमंडल, दरभंगा	2017-18	125.44	117.50	7.94	28 मार्च
		2019-20	212.11	210.84	1.26	31 मार्च
11	गवर्नमेंट प्रेस, गुलजारबाग	2020-21	1,287.81	877.48	410.33	31 मार्च
	कुल		5,744.87	4,912.66	832.21	

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कडिका 3.2.2; पृष्ठ 41)

बचत का शीर्ष वार 100 प्रतिशत अभ्यर्पण की स्थिति

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
1	डी.पी.एफ.ओ., मुजफ्फरपुर	2016-17	टेलीफोन	0.02	0	0.02
		2017-18	टेलीफोन	0.01	0	0.01
			यात्रा भत्ता	0.05	0	0.05
		2018-19	यात्रा भत्ता	0.10	0	0.10
		2020-21	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.60	0	0.60
			यात्रा भत्ता	0.06	0	0.06
			कानूनी व्यय	0.13	0	0.13
2	डी.पी.एफ.ओ., पटना	2016-17	वर्दी	0.05	0	0.05
		2016-17	यात्रा भत्ता	0.07	0	0.07
		2017-18	यात्रा भत्ता	0.05	0	0.05
		2018-19	टेलीफोन	0.01	0	0.01
		2018-19	बिजली	1.15	0	1.15
		2019-20	वर्दी	0.30	0	0.30
3	डी.पी.एफ.ओ., भागलपुर	2016-17	यात्रा भत्ता	0.09	0	0.09
			व्यवसायिक एवं अन्य सेवाएं	0.82	0	0.82
		2017-18	यात्रा भत्ता	0.05	0	0.05
			वर्दी	0.05	0	0.05
		2018-19	टेलीफोन	0.10	0	0.10
		2020-21	यात्रा भत्ता	0.06	0	0.06
			टेलीफोन	0.13	0	0.13
बिजली	0.50		0	0.50		
4	डी.पी.एफ.ओ., दरभंगा	2016-17	वर्दी	0.05	0	0.05
		2017-18	वर्दी	0.02	0	0.02
		2019-20	यात्रा भत्ता	0.35	0	0.35
			टेलीफोन	0.20	0	0.20

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
5	डी.पी.एफ.ओ., गया	2016-17	टेलीफोन	0.04	0	0.04
			वर्दी	0.04	0	0.04
		2017-18	टेलीफोन	0.03	0	0.03
			वर्दी	0.07	0	0.07
		2019-20	यात्रा भत्ता	0.14	0	0.14
		2020-21	कानूनी व्यय	0.18	0	0.18
6	डी.टी.ओ., मुजफ्फरपुर	2017-18	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.10	0	0.10
		2019-20	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.05	0	0.05
			संविदा सेवाएँ	0.80	0	0.80
7	डी.टी.ओ., गया	2017-18	यात्रा भत्ता	0.20	0	0.20
			किराया	0.05	0	0.05
		2018-19	टेलीफोन	0.08	0	0.08
			कानूनी व्यय	0.02	0	0.02
		2019-20	चिकित्सा	0.05	0	0.05
8	डी.टी.ओ., सहरसा	2019-20	चिकित्सा	0.05	0	0.05
			यात्रा भत्ता	1.20	0	1.20
			टेलीफोन	0.04	0	0.04
			अनुबंध	0.80	0	0.80
9	डी.टी.ओ., छपरा	2017-18	यात्रा भत्ता	0.20	0	0.20
			टेलीफोन	0.12	0	0.12
			कानूनी व्यय	0.05	0	0.05
		2019-20	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.04	0	0.04
10	गवर्नमेंट प्रेस, गुलजारबाग	2016-17	यात्रा भत्ता	0.15	0	0.15
			वाहन का रखरखाव	1.50	0	1.50
			प्रकाशन एवं मुद्रण	5.00	0	5.00
			मशीन एवं उपकरण	30.00	0	30.00
		2017-18	यात्रा भत्ता	0.15	0	0.15
			वाहन का रखरखाव	1.50	0	1.50
			प्रकाशन एवं मुद्रण	5.00	0	5.00

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
			मशीन एवं उपकरण	30.00	0	30.00
			वर्दी	3.00	0	3.00
		2018-19	यात्रा भत्ता	10.00	0	10.00
			वाहन का रखरखाव	1.50	0	1.50
			त्योहार अग्रिम	5.40	0	5.40
		2019-20	यात्रा भत्ता	10.00	0	10.00
			वाहन का रखरखाव	1.50	0	1.50
			कानूनी व्यय	0.20	0	0.20
			वर्दी	3.00	0	3.00
			मरम्मत एवं रखरखाव	5.00	0	5.00
		2020-21	मशीन एवं उपकरण	30.00	0	30.00
			वाहन का रखरखाव	1.50	0	1.50
		11	प्रेस और प्रपत्र, गया	2020-21	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2.00
यात्रा भत्ता	0.30				0	0.30
टेलीफोन	0.20				0	0.20
वर्दी	3.00				0	3.00
किराया	0.50				0	0.50
सामान एवं आपूर्ति	300.00				0	300.00
मरम्मत एवं रखरखाव	2.50				0	2.50
उपकरण एवं मशीनरी	4.00				0	4.00
12	सहायक निदेशक, निदेशालय, लेखापरीक्षा, पटना, बिहार				2016-17	वाहन का रखरखाव
		कानूनी व्यय	0.17	0		0.17
		बिजली	1.66	0		1.66
		2017-18	वाहन का रखरखाव	0.50	0	0.50
			कानूनी व्यय	0.20	0	0.20
		2018-19	वाहन का रखरखाव	0.40	0	0.40
		2019-20	वाहन का रखरखाव	0.13	0	0.13
			प्रशिक्षण	0.08	0	0.08

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ष	मद	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण
13	सहायक निदेशक वित्त, (लेखापरीक्षा) पटना प्रमंडल, पटना	2016-17	बिजली	0.12	0	0.12
		2017-18	बिजली	0.12	0	0.12
			वर्दी	0.06	0	0.06
		2018-19	बिजली	0.12	0	0.12
		2020-21	बिजली	0.10	0	0.10
14	सहायक निदेशक वित्त, (लेखापरीक्षा) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	2016-17	टेलीफोन	0.03	0	0.03
		2017-18	टेलीफोन	0.03	0	0.03
		2019-20	टेलीफोन	0.15	0	0.15
15	सहायक निदेशक, वित्त (लेखापरीक्षा) भागलपुर, भागलपुर प्रमण्डल	2016-17	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.50	0	0.50
		2017-18	टेलीफोन	0.10	0	0.10
			चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.40	0	0.40
16	सहायक निदेशक वित्त, (लेखापरीक्षा), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	2016-17	चिकित्सा	3.00	0	3.00
			वर्दी	0.06	0	0.06
		2017-18	अन्य भत्ता	0.01	0	0.01
		2018-19	अन्य भत्ता	0.01	0	0.01
		2020-21	टेलीफोन	0.03	0	0.03
17	सहायक निदेशक वित्त, (लेखापरीक्षा), मगध प्रमंडल, गया	2016-17	चिकित्सा	0.50	0	0.50
		2020-21	टेलीफोन	0.05	0	0.05
			बिजली	0.10	0	0.10
	कुल			475.36	0	475.36

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कडिका 3.2.4; पृष्ठ 43)

नमूना जाँच किए गए बी.डी.ओ. कार्यालयों में निष्क्रिय बैंक खातों की सूची

(राशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या	निष्क्रियता की तिथि	कैशबुक के अनुसार शेष राशि
1	बी.डी.ओ.,	भारतीय स्टेट बैंक	10369066173	12.03.2015	0.52
2	छपरा सदर (सारण)	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3178655806	06.05.2013	0.06
3		केनरा बैंक	1968101002561	02.06.2014	0.44
4		इलाहाबाद बैंक	50122918500	17.12.2016	4.33
5	बी.डी.ओ., बहादुरपुर, दरभंगा	एच.डी.एफ.सी. बैंक	501000222212233	31.03.2015	12.86
6		ऐक्सिस बैंक	913010039632755	02.12.2016	12.47
7		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एकमी	3553212119	30.11.2015	9.68
8		यू.बी.जी.बी., अंदामा	1004621010000486	30.11.2015	4.38
9		यू.बी.जी.बी., अंदामा	1004621010000610	21.12.2016	1.37
10		यू.बी.जी.बी., उधरा	1004301010000741	17.12.2016	0.59
11		यू.बी.जी.बी., उधरा	1004301010000844	11.06.2016	0.42
12		यू.बी.जी.बी., उधरा	1004301010000740	10.12.2016	3.12
13		बैंक ऑफ इंडिया	12760	15.12.2017	5.11
14		बैंक ऑफ इंडिया	12764	15.12.2017	4.99
15		बैंक ऑफ इंडिया	12781	15.12.2017	14.87
16		सी.बी.आई., देकुलीचट्टी	2394015854	27.03.2018	4.44
17		सी.बी.आई., बेंता	3186785891	08.03.2018	0.09
18		इलाहाबाद बैंक	20927192510	31.03.2018	0.50
19	यूनियन बैंक	5879020100004878	22.06.2017	16.92	
20	पी.एन.बी. लहेरियासराय	2407000100065470	17.12.2016	1.37	
21	बी.डी.ओ., मुशहरी, मुजफ्फरपुर	भारतीय स्टेट बैंक	5020/5720	31.03.2016	0.26
22		सिंडिकेट बैंक	86	31.03.2016	0.13
23		बैंक ऑफ बड़ौदा	130	31.03.2016	0.05
24		बैंक ऑफ बड़ौदा	351	31.03.2016	9.68
25		केनरा बैंक	107	31.03.2016	3.62
कुल					112.27

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कडिका 3.2.8; पृष्ठ 47)

बिना किसी औचित्य के भुगतानों का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	बैंक खाता संख्या एवं नाम	अवधि	अवसरों की संख्या	राशि
1	बी.डी.ओ., दानापुर	आई.डी.बी.आई. (बचत खाता) 0781104000007016	24.10.16 से 6.11.20	30	161.28
		एस.बी.आई. (बचत खाता) 37446120250	23.4.18 से 29.10.20	9	79.81
		एस.बी.आई. (बचत खाता) 37446122746	25.5.18 से 4.5.20	19	62.96
		एस.बी.आई. (चालू खाता) 10962961455	13.4.15 से 4.12.20	106	393.81
		विजया बैंक (बचत खाता) 844701011000530	13.4.18 से 3.8.20	21	41.79
2	बी.डी.ओ., मुशहरी	यू.बी.जी.बी. (बचत खाता) 1000221010004846	22.4.16 से 12.5.16	6	195.63
		पी.एन.बी. (बचत खाता) 42380	8.4.15 से 12.3.18	86	1,238.03
		केनरा बैंक (बचत खाता) 107	7.5.15 से 24.6.15	10	29.00
कुल				287	2,202.31

परिशिष्ट 4.1
(संदर्भ: कडिका 4.2.3; पृष्ठ 55)
प्रति वर्ष आवर्ती व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल राशि
परिचालित होने के लिए प्रस्तावित संस्थान की संख्या	4	9	12	15	15	
₹3.5 करोड़ प्रति वर्ष प्रति संस्थान की दर से व्यय (अ)	14.00	31.50	42.00	52.50	52.50	192.50
वास्तविक प्रावधानित निधि (ब)						276.50
अधिक प्रावधानित निधि (ब-अ)						84.00

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.4; पृष्ठ 60)

सात निश्चय के अंतर्गत स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में मानव संसाधन की स्थिति

अभियंत्रण महाविद्यालय									
क्र० सं०	संस्थान का नाम	शिक्षण				गैर शिक्षण			
		स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)
1	अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर	76	5	71	93	50	0	50	100
2	अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर	77	5	72	94	50	0	50	100
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा	77	3	74	96	50	0	50	100
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर	76	0	76	100	50	1	49	98
5	अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज	76	3	73	96	50	0	50	100
6	अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान	76	4	72	95	50	0	50	100
7	अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल	76	4	72	95	50	0	50	100
8	अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया	76	2	74	97	50	0	50	100
9	अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय	76	1	75	99	50	0	50	100
10	अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी	76	3	73	96	50	0	50	100
11	अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद	76	5	71	93	50	0	50	100
12	अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर	76	2	74	97	50	0	50	100
13	अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज	76	0	76	100	50	0	50	100
14	अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद	76	4	72	95	50	0	50	100

अभियंत्रण महाविद्यालय									
क्र० सं०	संस्थान का नाम	शिक्षण				गैर शिक्षण			
		स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)
15	अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया	76	5	71	93	50	0	50	100
16	अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण	76	3	73	96	50	0	50	100
17	अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर	76	5	71	93	50	1	49	98
18	अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा	76	4	72	95	50	0	50	100
19	अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर	76	1	75	99	50	0	50	100
20	अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा	64	15	49	77	54	3	51	94
21	अभियंत्रण महाविद्यालय, रोहतास	64	23	41	64	38	0	38	100
22	अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार	64	26	38	59	38	0	38	100
23	अभियंत्रण महाविद्यालय, सीतामढ़ी	64	11	53	83	54	3	51	94
24	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	64	33	31	48	53	4	49	92
25	अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय	64	19	45	70	77	10	67	87
26	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	77	10	67	87	50	2	48	96
27	अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा	77	9	68	88	50	2	48	96
28	अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल	77	5	72	94	50	1	49	98
29	अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	77	1	76	99	50	1	49	98

अभियंत्रण महाविद्यालय									
क्र० सं०	संस्थान का नाम	शिक्षण				गैर शिक्षण			
		स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)
30	अभियंत्रण महाविद्यालय, बांका	76	5	71	93	50	4	46	92
31	अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली	76	6	70	92	50	1	49	98
कुल		2,290	222	2,068	90	1,564	33	1,531	98
पॉलिटैक्निक संस्थान									
1	पॉलिटैक्निक संस्थान, मुंगेर	35	7	28	80	31	0	31	100
2	पॉलिटैक्निक संस्थान, मधेपुरा	34	9	25	74	55	15	40	73
3	पॉलिटैक्निक संस्थान, शेखपुरा	35	12	23	66	31	0	31	100
4	पॉलिटैक्निक संस्थान, समस्तीपुर	35	8	27	77	31	0	31	100
5	पॉलिटैक्निक संस्थान, किशनगंज	36	9	27	75	39	0	39	100
6	पॉलिटैक्निक संस्थान, बक्सर	36	11	25	69	38	1	37	97
7	पॉलिटैक्निक संस्थान, पश्चिम चम्पारण	35	8	27	77	38	1	37	97
8	पॉलिटैक्निक संस्थान, नवादा	36	5	31	86	38	1	37	97
9	पॉलिटैक्निक संस्थान, अररिया	36	8	28	78	38	1	37	97
10	पॉलिटैक्निक संस्थान, सीवान	36	3	33	92	38	2	36	95
11	पॉलिटैक्निक संस्थान, जहानाबाद	35	10	25	71	38	1	37	97

अभियंत्रण महाविद्यालय									
क्र० सं०	संस्थान का नाम	शिक्षण				गैर शिक्षण			
		स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	रिक्ति (प्रतिशत)
12	पॉलिटेक्निक संस्थान, अरवल	35	2	33	94	38	0	38	100
13	पॉलिटेक्निक संस्थान, खगड़िया	36	3	33	92	38	0	38	100
14	पॉलिटेक्निक संस्थान, भोजपुर	35	8	27	777	38	1	37	97
15	पॉलिटेक्निक संस्थान, औरंगाबाद	35	3	32	91	38	1	37	97
कुल		530	106	424	80	567	24	543	96

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.6; पृष्ठ 62)

अन्य संस्थानों के परिसर में कार्यरत संस्थानों की सूची

क्रम संख्या	मेंटर संस्थान का नाम	अन्य संस्थान के परिसर में कार्यरत महाविद्यालयों / संस्थानों (मेंटर संस्थान से अनुमानित दूरी (किलोमीटर में))	टैग किए गए संस्थान की संख्या
1	अभियंत्रण महाविद्यालय, नालन्दा	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा (70) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा (55)	2
2	पॉलिटैक्निक संस्थान, वैशाली	अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली (37)	1
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतीहारी	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चम्पारण। (45) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर (63)	2
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद (81) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद (50)	2
5	अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज (69) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया (136)	2
6	अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर (85) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय (30)	2
7	अभियंत्रण महाविद्यालय, छपरा	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज (103) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान (67)	2
8	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	1. अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर (187) 2. अभियंत्रण महाविद्यालय, भोजपुर (109)	2
9	अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा	अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी (39)	1
10	अभियंत्रण महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर	अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर (55)	1
11	पॉलिटैक्निक संस्थान, कटिहार	पॉलिटैक्निक संस्थान, खगड़िया (136)	1
12	पॉलिटैक्निक संस्थान गुलजारबाग, पटना -7	पॉलिटैक्निक संस्थान, भोजपुर (53)	1
13	पॉलिटैक्निक संस्थान, पटना -13	पॉलिटैक्निक संस्थान, जहानाबाद (50)	1
14	पॉलिटैक्निक संस्थान, नालन्दा	पॉलिटैक्निक संस्थान, अरवल (102)	1
15	पॉलिटैक्निक संस्थान, लखीसराय	पॉलिटैक्निक संस्थान, शेखपुरा (30)	1
16	पॉलिटैक्निक संस्थान, मोतीहारी	पॉलिटैक्निक संस्थान, पश्चिम चम्पारण (45)	1
कुल			23